लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th LOK SABHA

DEBATES

[तीसरा सत्र]

Third Session

[खंड 10 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. X contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debate and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/Contents

अंक 20, सोमवार, 11 दिसम्बर, 1967/20 अग्रहायण, 1889 (शक)

No. 20, Monday, December 11, 1967/Agrahayana 20, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि Obituary Reference	2837-2838
572.	आकाशवाणी से विज्ञापन प्रसारण सम्बन्धी चन्दा समिति के समक्ष साक्ष्य Evidence before Chanda Committee on Commercial Broadcasting	2838-2841
573.	विद्रोही नागाओं के नेताओं में फूट Split among Leaders of Rebel Nagas	2841-2844

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		
570.	क आकाशवणी All India Radio	2845
571.	डा० लोहिया के देहावसान के दिन आकाशवाणी से विविध भारती तथा अन्य कार्य-क्रमों का प्रसारण Broadcast of Vividh Bharti and other Programmes by A. I. R. on the day of Dr. Lohia's dath	2845
576.	विदेशों में पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा भारत विरोधी प्रचार Pakistan President's Anti Indian Propaganda Abroad	2845-2846

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्रश्न संख्या S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
577.	नागालैंड में ईसाई पादरियों की गतिविधियाँ	Missionaries Activity in Nagaland	2846
578.	नई दिल्ली में दैनिक समाचार-पत्रों द्वारा निर्मित इमारतें	Buildings constructed by Daily Newspapers in New Delhi	2846-2847
579.	पाकिस्तान द्वारा सैनिक सामान की पूर्ति	Replenishment of Military Equipment by Pakistan	2847
580.	भारतीय वायुसेना के विकलांग तथा मृत सैनिकों के परिवार के पुनर्वास के लिये भूमि का आवंटन	Allotment of land for rehabilitation of families of deceased and disabled I.A.F. Personnel	2847-2848
581.	अदन से स्वदेश लौटे भारत मूलक लोग	Indian Repatriates from Aden	2848
582.	नेताजी का निधन	Netaji's Death	2848-2849
583.	अबखारी कागज	Newsprint	2849-2850
584.	1968-69 के लिये वार्षिक योजना	Annual Plan for 1968-69	2850-2851
585.	पीस एन्ड प्रोग्रेस रेडियो, मास्को से भारत विरोधी प्रसारण	Anti Indian Broadcasts from Moscow Radio Peace and Progress	2851
586.	श्री फिजो द्वारा प्रचार	Propaganda by Mr. Phizo	2851
587.	भूटान में चीन द्वारा प्रचार	Chinese Propaganda in Bhutan	2851-2852
588.	सेना के लिये कपड़ों की सिलाई	Stitching of Garments for Army	2852
590.	आकाशवाणी संहिता	A. I. R. Code	2852-2853
591.	एशियाई परिषद्	Council of Asia	2853
592.	पश्चिम जर्मनी द्वारा प्रकाशित मानचित्रों में काश्मीर	Kashmir in Maps publishde by West Germany	2853-2854
593.	दलाई लामा	Dalai Lama	2854
594.	भारत अमरीका सम्बन्ध	Indo-U. S. Relations	2854
595.	सेना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की भर्ती	Retrenchment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Army	2854-2855
596.	विदेश जाने वाले मंत्रियों द्वारा उपहार खरीदे जाना	Purchase of Presents by Ministers going abroad	2855

ता० प्रश्न संख्या

S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
598.	हिन्द महासागर के अलडवा में ब्रिटेन 'स्टेजिंग पोस्ट'	U. K.s Staging Post at Aldabra in the Indian Ocean	2856
599.	योजना में सम्मिलित परि-योजनाओं सम्बन्धी समिति	Committee on Plan Projects	2856
600.	उड़ीसा में पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas of Orissa	2856-2857

अतारांकित प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.

3678.	आकाशवाणी के कलाकार	A. I. R. Artistes	2857
3679.	भारतीय साम्यवादी नेताओं का विदेशों में जाना	Indian Communist Leaders gone Abroad	2857-2858
3680.	चतुर्थ योजना में शामिल करने के लिये महाराष्ट्र की योजनायें	Maharashtra Schemes for Inclusion in Fourth Plan	2858
3681.	महाराष्ट्र के लिये ट्रान्समीटर	Transmitter for Maharashtra	2858-2859
3682.	चतुर्थ योजना के प्रथम वर्ष में महाराष्ट्र के लिये नियत की गई राशि	Allocations made to Mahrashtra for First Year of Fourth Plan	2859
3683.	अहमदाबाद से 'टाइम्स आफ इण्डिया' का तीसरा संस्करण	Third Edition of Times of India from Ahmedabad	2859-2860
3684.	टाइम्स आफ इन्डिया का बिस्तार	Expansion of Times of India	2860
3685.	आकाशवाणी के कार्य भारित कर्मचारी	Work Charged Staff of A.I.R.	2860
3686.	आकाशवाणी के कार्य भारित कर्मचारी	Work charged Staff of A.I.R.	2861
3687.	बोडाकास्टर्स एण्ड टेली-कास्टर्स गिल्ड	Broadcasters and Telecasters Guild	2861
3688.	जम्मू तथा श्रीनगर के आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा राज्य में सत्तारूढ़ दल सम्बन्धी समाचारों का प्रचार	Publishing news pertaining to state Ruling Party by Sringar and Jammu Stations	2861

अता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3689	पाकिस्तान में हिन्दुओं का धर्म परिवर्तन	Conversion of Hindus in West Pakistan	2862
3690	ब्रिटिश सेना से सेवा मुक्त गोरखा सैनिक	Gorakhas Released from British Army	2862
3691	आल इंडिया रेडियो ब्राड-कास्टर्स एन्ड टेलीकास्टर्स गिल्ड	A. I. R. Batg	2862-2863
3692	अन्तर्राष्ट्रीय मंत्री संगठन	International Friendship Organisations	2863
3693	छावनी क्षेत्रों भूमि का स्वामित्व	Ownership of land in Cantonment Areas	2863-2864
3694	भारत और बल्गेरिया के बीच औद्योगिक सहयोग	Indo Bulgaria Industrial Collaboration	2864
3695	सेना में प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी	Trained Officers in Army	2864
3696	कांगो को सहायता	Assistance to Congo	2864-2865
3697	शेख अब्दुल्ला की रिहाई	Release of Sheikh Abdullah	2865
3698	पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas	2866
3699	राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए एकत्रित किए गए धन के बारे में अनियमितताएं	Irregularities in Funds Collectors N.D.F.	2866
3700	आल इंडिया रेडियो ब्रोड-कास्टर्स एण्ड टेलीकास्टर्स गिल्ड	A. I. R. Broadcaster and Telecaster Guild	2866
3701	उड़ीसा के लिये ग्रामीण औद्योगिक परियोजना	Rural Industrial Project for Orissa	2867
3702	श्री फिजो को पाकिस्तान आने का निमंत्रण	Invitation to Mr. Phizo to visit Pakistan	2867
3703	साम्यवादी नेताओं को पार-पत्र दिया जाना	Grant of Passports to Communist Leaders	2867-2868
3704	मध्य प्रदेश सम्बन्धी योजना	Plan for Madhya Pradesh	2868
3705	मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक	Ex-servicemen in M. P.	2868-2869
3706	रूसी दूतावास द्वारा कागज का आयात	Import of paper by USSR Embassy	2869

अता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3707.	इलेक्ट्रानिक का सामान बनाने का तीसरा कारखाना	Third Electronics Factory	2869
3708.	तख्ते ताऊस	Peacock Throne	2870
3709.	तूफान सम्बन्धी फिल्म	Film on Cyclone	2870
3710.	फिल्म सेंसर बोर्ड	Board of Film Censors	2870-2871
3712.	प्रतिरक्षा व्यय	Defence Expenditure	2871
3713.	हिन्दी समाचार बुलेटिन	Hindi News Bulletin	2871-2872
3714.	आकाशवाणी को भारतीय भाषाओं में समाचार भेजना	Supply of News in Indian Languages to All India Radio	2872
3715.	समाचार अभिकरणों द्वारा समाचार भेजे जाना	Supply of News by News Agencies	2872
3716.	कच्छ न्यायाधिकरण	Kutch Tribunal	2873
3717.	काबुल में शिशु अस्पताल	Children's Hospital in Kabul	2873
3718.	संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता	Membership of UNO	2873
3719.	नेताजी के देहावसान के बारे में जाँच	Enquiry about Netaji's Death	2873-2874
3720.	नेताजी जाँच समिति	Netaji Enquiry Committee	2874
3721.	समाचार पत्र परिषद् द्वारा समाचारपत्रों के विरुद्ध कार्यवाही ।	Press Council Action against Newspaper	2875
3722.	समाचार एजेंसी को आर्थिक सहायता	Subsidy to News Agencies	2875
3723.	दिल्ली में टेलीविजन केंद्र	Television Centre in Delhi	2875-2876
3725.	इसराइली सेनाओं द्वारा भारतीय जहाज को पहुँचाई गई क्षति	Damage caused by Israeli Forces to Indian Ship	2876
3726.	आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की शिकायतों की जाँच के बारे में मसानी समिति का प्रतिवेदन	Masani Committee's Report to look into grievances of A. I. R. Staff Artistes	2876-2877
3727.	आकाशवाणी कलकत्ता, के कार्यक्रम	Programme of A. I. R. Calcutta	2877
3728.	सयंत्रों का आयात	Import of Plants	2877

तता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3729.	वैदेशिक कार्य मंत्रालय में टैरीटोरियल डिवीजन	Territorial Divisions in the External Affairs Ministry	2879
3730.	चीन के राष्ट्रीय दिवस समारोह भारतीय राजनीतिकोंको आमंत्रित न करना	Indian Diplomats not invited to Chinese National Day Function	2879
3731.	भारत में समाचार पत्र	Newspapers in India	2879
3732.	सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर चलचित्र	Film on Sardar Patel & Lal Bahadur Shastri	2879
3733.	विदेशी विज्ञापन एजेंसियों से सहयोग	Collaboration with Foreign Advertising Agencies	2879-2880
3734.	पाकिस्तान के अवैध कब्जे में भारतीय क्षेत्र	Indian Territory in Adverse Possession of Pakistan	2880-2881
3735.	आयुद्ध कारखानों में उत्पादन	Production in Ordinance Factories	2881
3736.	कानपुर में मिश्रित इस्पात कारखाना	Alloy Steel Plant in Kanpur	2881
3737.	परमाणु शक्ति के प्रयोग से उर्वरक का उत्पादन	Manufacture of Fertilizer with Atomic Energy	2881-2882
3738.	सूचना और प्रसारण के माध्यमों के बारे में चन्दा समिति के प्रतिवेदन	Chanda Commtttie's Reports on Media of formation and Broadcasting	2882-2883
3739.	दलाई लामा की विदेश यात्रा	Dalai Lama's Visit Abroad	2883
3740.	जर्मनी से सहायता	Aid from Germany	2884
3741.	सीमा पर हुई झड़पों में मृत सैनिक	Military Personnel Killed in Border Skirmishes	2884
3742.	डाक्टरी परीक्षा में अपात्र घोषित किये गये सैनिक अधिकारी और जवान	Officers and Jawans Declared Medically Unfit	2884-2885
3743.	चिकित्सा के लिये विदेश भेजे गये सैनिक अधिकारी	Military Officers sent abroad for Medical Treatment	2885
3744.	विदेशों के रेडियो से समाचारों का प्रसारण	News from Foreign Radios	2886
3745.	परमाणु शक्ति परियोजनायें	Atomic Power Projects	2886

अता० प्र० स० U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3746.	विदेशों में भारतीय दूतावासों द्वारा प्रकाशित हिन्दी प्रकाशन	Hindi Publications brought out by Indian Missions abroad	2886-2887
3747.	भारतीय दूतावासों द्वारा हिन्दी में कामकाज किया जाना	Work done by Indian Embassies in Hindi	2887
3748.	ब्रिटेन में भारतीयों को प्रविष्ट होने की मनाही	Indians refused entry in U. K.	2887
3749.	मिग विमानों में सुधार	Improvements in MIG Aircrafts	2887-2888
3750.	सुपरसैनिक विमान	Supersonic Aircraft	2888
3751.	'इण्डिया विद् एण्ड विदाउट वंडर्स' नामक पुस्तक	Book Entitled India with and without wonders	2888-2889
3752.	राजदूतावासों की कारें	C. D. Cars	2889
3753.	प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास परिषद्	Defence Research and Development Council	2889-2890
3754.	प्रतिरक्षा विभाग के लिये खाद्य अनुसंधान	Food Research for Defence Department	2890
3755.	बुनियादी अनुसंधान	Fundamental Research	2890-2891
3756.	अस्पृश्यता पर फिल्म	Film on Untouchability	2891
3757.	हिन्द महासागर में सैनिक अड्डे	Military Bases in Indian Ocean	2891-2892
3758.	विसैन्यीकृत क्षेत्र	Demilitarised Zone	2892
3759.	शिमला के लिए ट्रांसमीटर	Transmitter for Simla	2892
3760.	विदेशों में भेजे गए आयुध के कारखानों के कर्मचारी	Ordnance Employees sent abroad for Training	2892
3762.	मास्को फिल्म समारोह और एशियाई फिल्म समारोह	Moscow and Asian Film Festivals	2893
3763.	विदेशी फिल्मों का प्रदर्शन	Release of Foreign Films	2893
3764.	पूंजी का विनियोजन	Investment	2893-2894
3765.	कृषि के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग	Use by Atomic Energy in Agriculture	2894
3766	अम्बर नाथ आयुध कारखाने के निकट खेती वाली भूमि	Agricultural Land near Amharnath Ordnance Factory	2894

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3767.	जमाखोरी के विरुद्ध कार्यवाही के बारे में आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से समाचार का प्रसारण	News Broadcast for A.I.R. Station Calcutta about Dehoarding Operations	2895
3768.	सशस्त्र सेनाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की भर्ती	Recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Armed Forces	2895
3769.	जवानों से मिलने के लिये संसद् सदस्यों के दल	M.Ps batches to meet Jawans	2695-2896
3771.	छावनी बोर्ड, जालन्धर के लिये चुनाव	Election to Cantonment Board, Jullundur	2896
3772.	इटारसी के निकट भूमि का अर्जन	Acquisition of land near Itarsi	2896-2897
3773.	जवानों की विधवाओं को पेंशन	Pension to widows of Jawans	2897
3774.	अल्जीरिया को तकनीशियन भेजे जाना	Technicians for Algeria	2897-2898
3775.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये नगर प्रतिकरात्मक और मकान किराया भत्ता	City Compensatory and House Rent Allowance for Central Government Employees	2898-2899
3776.	जैसलमेर के निकट चान्दमारी क्षेत्र	Field firing range near Jaisalmer	2899
3777.	तारापुर परमाणु बिजली घर	Tarapore Atomic Power Station	2899
3779.	विदेशी भाषाओं में प्रसारण	Foreign Languages Broadcasts	2900
3780.	सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य के रूप में भारत	India as Permanent Member of Security Council	2900
3781.	कानपुर छावनी में सफाई व्यवस्था में सुधार	Improvement of Sanitary System in Kanpur Cantonment	2900
3782.	उड़ीसा में फिल्म स्टूडियो	Film Studio in Orissa	2901
3783.	मनीपुर में सीमावर्ती सड़कें	Border Roads in Manipur	2901-2902
3784.	मनीपुर का औद्योगीकरण	Industrialisation of Manipur	2902
3785.	आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र से साप्ताहिक मूल्य बुलेटिन का प्रसारण	Weekly Price Bulletin Broadcast by Imphal Radio Station	2902

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3786.	योजना परियोजना समिति में नियुक्तियाँ	Appointments in Committee on Plan Projects	2902-2903
3787.	भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	Rehabilitation of Ex-Servicemen	2903
3788.	पेनांग में भारतीय लोगों पर हमले	Attack on Indian Residents in Penang	2903-2904
3789.	अमरीका द्वारा पाकिस्तान को नए किस्म के टैंकों की सप्लाई	Supply of New Type of Tanks to Pakistan by USA	2904
3790.	ब्रिटेन के मिनिस्टर आफ स्टेट फार कामनवेल्थ रिलेशन्स की यात्रा	Visit by U.K.'s Minister of State for Commonwealth Relations	2904
3791.	रेडियो काश्मीर से हिन्दी में समाचार बुलेटिन	Hindi Bulletin from Radio Kashmir	2904
3792.	पाकिस्तान सरकार द्वारा कब्जे में ली गई ननकाना साहिब गुरुद्वारा की भूमि	Land Belonging to Gurdwara Nankana Sahib occupied by Pak Government	2905 2905
8793.	हिमाचल प्रदेश के लिए योजना	Plan for Himachal Pradesh	2905
3794.	भारत जर्मन परमाणु परियोजना	Indo German Atomic Project	2905
3795.	परमाणु शक्ति आयोग के कर्मचारियों की माँगें	Demands of Employees of Atomic Energy	2906
3796.	युद्ध में मारे गए कमीशन प्राप्त अफसरों को परिवार पेंशन	Family pension to Commissioner Officers killed in action	2906
3797.	राष्ट्रीय सेना छात्रदल के छात्रों को वर्दी	Uniforms to N.C.C. Students	2906-2907
3798.	छावनी बोर्डों के स्कूल	Cantonment Boards' Schools	2907
3799.	दानापुर छावनी बोर्ड में पानी के कनेक्शन	Water Connections in Danapur Cantonment	2907
3800.	फिल्मों का निर्यात	Export of Films	2907
3801.	अग्रिम क्षेत्रों के जवानों के मनोरंजन के लिये कलाकारों के दलों का गठन	Parties to Entertain Troops in Forward Areas	2908

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3802.	सरकारी क्षेत्र एककों द्वारा प्रचार	Advertising by Public Sector Units	2908
3803.	प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी निगम	Public Corporations under Defence Ministry	2908-2909
3804.	युद्ध में मारे गए जवानों के परिवारों के लिए भूमि	Land for Families of Jawans killed in action	2909
3805.	कृषि सम्बन्धी वृत्त चित्र	Agriculture Documentaries	2909-2910
3806.	नासिराबाद छावनी बोर्ड	Nasirabad Cantonemnt Board	2910
3806-क.	कांग्रेस से भिन्न दलों से सम्बन्धित समाचारों का प्रसारण	Broadcast of News about Non-Congress Parties	2910
3806-ख.	वैमानिकों के लिए नई परिवार सहायता योजना	New Family Assistance Scheme for Airmen	2910-2911
	ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में प्रक्रिया	Re. Calling Attention Notices Procedure	2911-2914
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	2914-2915
	पश्चिमी बंगाल तथा काश्मीर में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में सी० पी० आई० (मार्किसस्ट) का हाथ होने के समाचार	Reported involvement of C.P.I. (Marxist) in anti-national activities in West Bengal and Kashmir	
	श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	
	श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	2215
	राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	
	कोयलावाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) संशोधन विधेयक	Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Amendment Bill	2916
	राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	As passed by Rajya Sabha	
	राज भाषा (संशोधन) विधेयक के विरुद्ध दिल्ली में आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Situation Arising out of Agitation in Delhi over Official languages (Amendment) Bill	2916
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	

अता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने की अवधि का बढ़ाया जाना	Essential Commodities (Amendment Bill Extension of time for presentation of Report of Select Committee	2916
पांडीचेरी (विधियों का विस्तारण) विधेयक—पुरस्थापित	Pondicherry (Extension of Laws) Bill-Introduced	2917
राजभाषा (संशोधन) विधेयक तथा राजभाषा के बारे में संकल्प	Official Languages (Amendment) Bill and Resolution Re. Official Languages	2917-2926
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	
श्री जे० बी० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	
श्री रूपनाथ ब्रह्म	Shri Rupnath Brahma	
श्री एस० ए० डांगे	Shri S. A. Dange	
श्री चपलकान्त भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharya	
श्री अंबझागन	Shri Ambazhagan	
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya	
श्री पीलू मोडी	Shri Piloo Mody	
चीनी सम्बन्धी नीति के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half An Hour Discussion Re. Sugar Policy	2927-2928
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

दिनांक 11 दिसम्बर, 1967 । 20 अग्रहायण, 1889 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 2844 के बाद निम्नलिखित पढ़िये :

परमाणु संयंत्र

* 574 श्री शिवचन्द्र झा

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय परमाणु संयंत्र कम लागत वाली शक्ति बिजली अथवा भाप तैयार करने तथा पानी से नमक निकालने में असमर्थ है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन संयंत्रों ने यदि शक्ति का उत्पादन किया है तो कितनी शक्ति का और इस शक्ति का कृषि में कहां तक उपयोग किया गया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) और (ख) निर्माणाधीन तीनों परमाणु बिजली घर केवल विद्युत शक्ति का ही उत्पादन करेंगे । इन बिजलीघरों में उत्पन्न होने वाली बिजली की लागत इस क्षेत्र में तापीय बिजली घरों में उत्पन्न होने वाली बिजली की लागत में प्रतियोगात्मक होगी । यदि परमाणु विद्युत संयंत्र के यूनिट के आधार में वृद्धि कर दी जाती है तो बिजली का उत्पादन कम लागत पर भी किया जा सकता है । इस संयंत्र से संलग्न अपलावीकरण, एक उचित लागत पर ताजे पानी का उत्पादन कर सकता है ।

(ग) तीनों परमाणु बिजलीघर अभी निर्माणाधीन हैं ।

Shri Shiv Chandra Jha : May I know the number of agricultural mutants on which experiment hasbeen carried on in Indian Nuclear Plant and in how many cases success has been achieved and in how many case they have been successfully utilized in agriculture and if they have been utilized the increase in production as a result thereof?

Shrimati Indira Gandhi : I cannot give the details. But much work has been done in that. Still it is in experimental stage.

Shri Ram Sewak Yadav : Has it been satisfactory.

Shrimati Indira Gandhi : So far it has been satisfactory But the test has been carried on, on that very place and not on the other places.

Shri Shiv Chandra Jha : May I know from the Prime Minister whether in the recent talks between the officials of the American Atomic Energy Commission and Shri Vikram Sarabhai it has been suggested by the Americans that in giant size Automic Reactors the cost of producing power will be less and whether this fact has not been accepted by Dr. Sarabhai and other officials? If that is so whether the Government has decided to construct giant size Atomic Reactors and whether keeping in view the heavy expenditure of foreign exchange on the Nuclear Plants which are working on imported Uranium such as 66 percent on Tarapur Plant and 61 percent on Madras Plant the Government has decided to construct these giant size Plants in Bihar where natural uranium is available and which have also the largest deposits of thorium in the world and where facilities for starting Thermal Plant are also available.

Whether the Nuclear Plant will not be cheaper if it is constructed in Bihar? If that is so whether Government contemplate to construct the Nuclear Plant in Bihar and if not the reasons therefor?

Shrimati Indira Gandhi : Three Atomic Plants are still under construction. There is no question of constructing any other plant at present.

Shri Shiv Chandra Jha : I would like to know whether the American Scientists have expressed their views that if giant size Atomic Reactors are constructed cheap electricity can be produced and whether the Scientists have not agreed with these views?

Shrimati Indira Gandhi : I have already stated in my reply that if giant size Atomic Reactors are constructed the cost of producing electricity will be less.

Shri Nitiraj Singh Chowdhry : The Tarapur Atomic Power Stati is capable of supplying power at the rate of 3 paise per k.w. As has been said by Dr. Vikram Sarabhai, Chairman Atomic Energy Commission thatif large sized medium Nuclear Power Stations are constructed the cost of generating power wil be less and with this cheap electricity we will be able to set up Fertilizer factories, desalination Plants and we will also be able to reduce the import of Ammonia and Sulphur. I would like to know whether keeping in view all these factors Government will reconsiderd the matter regarding constructior of giant Nuclear Power Stations.

Shrimati Indira Gandhi : This matter is receiving attention but it cannot be done immediately.

Shri O.P. Tyagi : May I know the factors government have kept in view in regard to the establishment of Nuclear Plants and what special facilities are available in those states where these Plants have been set up and the reasons for which these have not been established in U.P. and Bihar.

Shrimati Indira Gandhi : One each Plant is in Tarapur, Maharash and Madras and two are in Rajasthan. This has been done in accordance with the decision of the Committee which considered this matter.

Shri Baswant : May I know the time by which the Tarapur Plant will be completed and the cost of electricity to be generated therein.

Shrimati Indira Gandhi : Tarapur Plant will be completed in October, next year. It has the capacity of producing 380 MGW of electricity.

श्री समर गुह : हमारी अणु शक्ति नीति घोड़े के आगे ठेला लगाने जैसी है। हमारी सरकार इस पर अरबों रुपयों की विदेशी मुद्रा व्यय कर रही है। मैं इस प्रश्न को इस कारण उठा रहा हूं क्योंकि अणुशक्ति पर चर्चा करने का मुझे इस सभा में कोई अवसर नहीं मिला। विश्व में कहीं भी अणु शक्ति नीतियों को सभा को विश्वास में लिए बिना इसके बाहर निर्धारित नहीं किया जाता। प्रधान मंत्री का कहना है कि तीन परमाणु बिजली घर चल रहे हैं परन्तु प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उनकी संख्या चार है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : चार संयन्त्र स्थापित किये जा रहे हैं ।

श्री समर गुह : प्रश्न यह है कि इस देश में अणु शक्ति के उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है । क्या मुख्य उद्देश्य केवल सस्ती उत्पादन करने का है अथवा आवश्यकता पड़ने पर प्लूटोनियम का भी उत्पादन किया जायेगा । हमारा देश कोयले में समृद्ध है और इसलिए भारत में तापीय बिजली घरों का कम लागत पर निर्माण करना सम्भव है । जबतक हम स्पष्ट रूप से यह निर्णय नहीं करते कि क्या हम प्लूटोनियम का भण्डार जमा करना चाहते हैं तब तक अरबों रुपयों को विदेशी मुद्रा व्यय करने का कोई कारण नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी राय दे रहे हैं । हम इस समय नीति पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

श्री समर गुह : (क) भारत में परमाणु बिजली घर निर्माण का मूल उद्देश्य क्या है ? क्या यह केवल बिजली उत्पन्न करने के लिए है अथवा प्लूटोनियम का भण्डार बनाने के लिए (ख) प्रस्तावित परमाणु बिजली घरों तथा तापीय बिजलीघरों पर तुलनात्मक कितनी लागत आयेगी ? (ग) क्या ये परमाणु बिजली घर पूर्णतया विदेशी यूरेनियम की सप्लाई पर निर्भर होंगे ?(घ), अपने देश में थ्योरियम की सप्लाई पर निर्भर करने वाले ब्रीडर किस्म की अणु भट्टियां न लगाने के क्या कारण हैं ? (ङ) साधारण यूरेनियम पर निर्भर करने वाले फ्रेंच टाइप परमाणु बिजलीघरों को प्राथमिकता न दिये जाने के क्या कारण हैं ? अन्त में क्या अणु शक्ति आयोग प्रस्तावित परमाणु बिजलीघरों को सप्लाई करने हेतु देश में 335 का यूरेनियम का उत्पादन कर सकेंगे ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : निर्माणाधीन बिजलीघर केवल बिजली का ही उत्पादन करेंगे । इन बिजलीघरों में उत्पन्न होने वाली बिजली की लागत इसी क्षेत्र के

पर सम्भागत बिजलीघरों में उत्पन्न होने वाली बिजली से चुगनी होगी । तारापुर महाराष्ट्र में प्रति किलोवाट 4.50 पैसे और तापीय बिजली प्रति किलोवाट 5.36 पैसे, राजस्थान में अणु शक्ति 5.71 पैसे आयेगी । मुझे लगता है कि तापीय विद्युत के बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री समर गुह : मेरा प्रश्न यह है कि तापीय बिजलीघरों की तुलना में परमाणु बिजलीघरों के निर्माण पर कितनी लागत आयेगी ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरे पास आंकड़े नहीं है ।

श्री समर गुह : मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री के पास जितनी जानकारी थी उन्होंने दे दी है । आपका प्रश्न बहुत लम्बा था ।

श्री समर गुह : मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए । इस विषय पर कम से कम एक अथवा आधे घंटे की चर्चा की जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक पृथक प्रश्न है । माननीय सदस्य जानते हैं कि आधे घंटे की चर्चा के बारे में अध्यक्ष एक दम निर्णय नहीं दे सकता । इसके लिए भी नियम हैं ।

श्री समर गुह : मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं । मैं जानकारी लेना चाहता हूं । इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा ----------

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा ।

श्री समर गुह : --XX--

XX सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
XX Not recorded

Shri Kanwar Lal Gupta : To whom they are related.

अध्यक्ष महोदय : यदि सूची बड़ी लम्बी है तो मंत्री महोदय इसको सभा पटल पर रख सकते हैं ।

श्री ब.रा.भगत : मैं इस सूची को सभा पटल पर रख सकता हूं ।

Shri Ram Charan : May I know the basis on which this passport has been issued to one Shri Kanta Desai, a capitalist, when such passes are issued only to Government employees.

श्री ब.रा.भगत : वह उप प्रधान मंत्री के साथ अमरीका तथा यूरोप के दौरे पर गये थे और नियमों के अन्तर्गत इस बात की अनुमति है ।

Shri Mohlu Prasad : May I know the criterion for issuing such passports and whether the hon. Minister will place it on the Table of the House? Whether some rules have also been framed to allow the people to visit foreign countries without passport?

Shri B.R. Bhagat : People can visit Nepal without Visa. Generally people cannot visit foreign countries without Passports.

श्री मनोहर लाल सांधी : क्या मंत्री महोदय को राजनैतिक सम्बन्धों सम्बन्धी बोयाना कन्वेन्सन के बारे में पता है, जिस पर कि भारत ने भी हस्ताक्षर किये हैं । जिसके अनुसार सुविधायें तथा विशेषाधिकार लोगों को आम पहुंचाने के लिये नहीं हैं बल्कि राजनैतिक मिशनों के दफ्तरी काम करने के लिए हैं । अतः क्या मैं जानसकता हूं कि राजनयिक पारपत्रों को इस प्रकार जारी कर क्या इस कन्वेन्सन का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं ?

श्री ब.रा.भगत : नहीं महोदय उस कन्वेन्शन का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know the relatives to whom Diplomatic passports can be issued? Whether there are any persons other than the relatives to whom such passports have been issued? I would like to know those persons and to whom they accompanied?

Shri B.R. Bhagat : Husband wife, son and a daughter are allowed under the rules.

श्री मनोहर लाल सोंधी : यह वीयाना कन्वेन्शन की भावना के विरुद्ध है ।

श्री वाजपेई : मैं मानता हूं कि मंत्री महोदय को नये सौंपे गये काम से परिचित होने में कुछ समय लगेगा । उन्होंने अभी कहा है कि पड़ोसी देशों के साथ हमने वीजा प्रणाली समाप्त कर दी है । इस मामले में पड़ोसी होने का कोई प्रश्न नहीं है । जापान हमारा पड़ोसी देश नहीं है फिर भी उसके साथ वीजा प्रणाली नहीं है किसी विशिष्ट मिशन पर जाने वाले मंत्री को जो राजनयिक पारपत्र दिया जाता है उसमें केवल वही आता है परन्तु राजदूत को जो ऐसा राजनयिक पारपत्र दिया जाता है उसमें उसके परिवार के सदस्य भी आते हैं, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि सरकारी कार्य पर अर्थात् किसी सम्मेलन आदि में शामिल होने के लिए जाने वाले मंत्री को जो राजनयिक पारपत्र जोकि राजदूत को दिये जाने वाले पारपत्र से अलग होता है दिया जाता है क्या उसके अन्तर्गत वह मंत्री अपने परिवार के किसी सदस्य को भी अपने साथ ले जा सकता है ।

श्री ब.रा. भगत : जहां तक प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है मैंने कहा है कि सभी देशों के पारस्परिक आधार पर वीजा नहीं है । और मैं ने कहा था कि नेपाल जैसे पड़ोसी देश के साथ है । परन्तु अन्य देश भी हैं जिनके साथ वीजा प्रणाली नहीं है, यदि दोनों देशों में समझौता हो जाता है तो वहां ऐसा होता है, माननीय सदस्य मेरी बात अच्छी तरह से सुन नहीं सके ।

श्री नाथ पाई : बहुत शोर हो रहा था ।

श्री ब.रा.भगत : बनाये गये तथा राजपत्र में अधिसूचित किये गये नियमों के अनुसार पत्नि, पुत्र, पुत्री को राजनयिक पारपत्र जारी किये जा सकते हैं । मैं उनकी सभा पटल पर रख सकता हूं । सब मामले उनके अन्तर्गत आते हैं ।

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 11 दिसम्बर, 1967/20 अग्रहायण, 1889 (शक)
Monday, December 11, 1967/Agrahayana 20, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*]

दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा के देहान्त की सूचना देता हूँ जिनका स्वर्गवास 9 दिसम्बर 1967 को मेरठ में हुआ। उनकी आयु 64 वर्ष की थी।

श्री शर्मा 1948 से 1967 तक संविधान सभा के सदस्य, अन्तर्कालीन संसद तथा पहली, दूसरी और तीसरी लोक सभा के सदस्य थे।

हमें उनके निधन का दुःख है तथा मुझे विश्वास है कि दिवंगत के परिवार को संवेदना संदेश भेजने में सभा सहमत है।

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : I also express my tribute to Shri K. C. Sharma who was an old member of our party. He took part in freedom struggle and in agricultural works. We are very sad on his death.

Shri Atal Behari Vajpayee (Balrampur) : I was deeply shocked to read about Shri Sharma's death. He was the leader of his district namely, Meerut, during the freedom struggle. I worked with him for five years in Parliament. He was a good advocate. We all deeply mourn his death.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I had the good opportunity of working with Shri Sharma in the last two Lok Sabhas. He belonged to an ordinary agricultural family and became a good advocate later on. Shri Sharma used to express his views frankly and fearlessly. Gandhiji and Nehruji had influenced his life greatly. In his death not only Meerut and U. P. but the whole country has lost a good politician. I pay my respects to his memory.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : श्री शर्मा के निधन को सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ है। वह एक सक्रिय सदस्य थे तथा सदा एक अच्छे व्यक्ति थे। उनके मरने से देश का एक संघर्षकर्ता तथा विचारक चला गया है।

अपने दल की ओर से मैं श्री शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I had the good fortune of working with him in Lok Sabha since 1957. He expressed his views frankly although he was a member of the ruling party. I met him recently. He told me that there should be security in the country and we should work for socialism. I pay my respects to Mr. Sharma.

Shri Raghubir Singh Shastri (Baghpat) : Shri Sharma belonged to Meerut. He served the country well by his sacrifice. He was a man of high character. He asked me on my election to work for the peasants in the Lok Sabha. He performed inter-caste marriages of his sons and daughters. I pay my respects to his memory.

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : अपने दल की ओर से मैं श्री शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I pay my respects to Shri Sharma as he was a freedom fighter.

अध्यक्ष महोदय : : अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभा सदस्य कुछ समय के लिये खड़े हो जायें।

इसके पश्चात् सदस्या कुछ समय के लिये शान्त खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a short while.

अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्नों के बारे में

Re: Questions of Absent Members

अध्यक्ष महोदय: कुछ सदस्य मेरे पास कागज़ भेजते हैं कि उनके प्रश्न को किसी दूसरे सदस्य द्वारा पूछने की अनुमति दी जाये। इसके बारे में नियम यह है कि जब सारे प्रश्न पूछे जा सकें और समय बाकी हो तब ही दूसरा सदस्य प्रश्न पूछ सकता है। इसलिये मैं उन्हें तब ही अवसर दे सकूंगा जब समय बचेगा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आकाशवाणी से विज्ञापन प्रसारण सम्बन्धी चन्दा समिति के समक्ष साक्ष्य

*572. **श्री निहाल सिंह :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी से विज्ञापन प्रसारण सम्बन्धी चन्दा समिति के समक्ष राज्यों द्वारा दिया गया साक्ष्य नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों से ऐसे कितने कागजात प्राप्त हुए थे, जिनमें साक्ष्य था और उनमें से कितने नहीं मिल रहे हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क): क्योंकि गवाही नष्ट कर दी गई हैं; अतः सचिव की याददाश्त पर ही निर्भर करना पड़ेगा। सचिव के अनुसार व्यापारिक प्रसारण के सम्बन्ध में राज्यों द्वारा चंदा समिति के सामने कोई गवाही नहीं दी गई थी। हाँ कुछ विचार-विमर्श जरूर हुआ था।

(ख), (ग) और (घ): सवाल नहीं उठते।

Shri Nihal Singh : Is it a fact that some capitalists are pressurising the Government that no action may be taken in this regard as commercial advertising will cause loss to them because most of the newspapers are owned by them ?

श्री के० के० शाह: इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Nihal Singh : Will the Government's income rise if commercial broadcasting is permitted on A. I. R.?

श्री के० के० शाह: यदि उनका प्रश्न वाणिज्यिक प्रसारणों से सम्बन्धित है तब केवल पूछा जा सकता है अन्यथा नहीं।

Shri A. B. Vajpayee: When question about the evidence tendered before the Chanda Committee was asked the reply was that the evidence had been destroyed. Has the hon. minister investigated as to why the evidence was destroyed?

श्री के० के० शाह: श्री चन्दा से इसके बारे में पूछा गया है और उन्होंने कहा है कि गवाहों से पहले ही कह दिया था कि उनकी गवाही किसी को दिखाई नहीं जायेगी। इस कारण वह नष्ट कर दी। हमसे इस बारे में परामर्श नहीं किया गया था।

Shri Madhu Limaye : Sir, it is an ambiguous reply. Can the officers do like that ? Action should be taken against them.

Shri A. B. Vajpayee : Will members of Parliament be not given chance to see that. Will officers have the last word in it ?

श्री के० के० शाह: यह शिकायत उचित है। परन्तु हमसे तो परामर्श ही नहीं किया गया। मैंने उसे नष्ट नहीं किया है।

श्री श्रद्धाकर सुपाकर: क्या गवाही इस कारण नष्ट की गई कि वह गुप्त रूप की थी अथवा किसी और कारण से?

श्री के० के० शाह: श्री चन्दा के अनुसार गवाहों को आश्वासन दिया गया था और इसी कारण इसे नष्ट किया गया। परन्तु विभागीय समिति होने के कारण हमसे परामर्श करना चाहिये था जो कि नहीं किया गया।

Shri Ram Sewak Yadav: What action has been taken against the officers who destroyed it?

श्री के० के० शाह: हमने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।

Shri Sheo Narain: Who appointed the Committee? The statements were received from all parts of the country. Will Government examine as to what action can it take in it ?

श्री के० के० शाह: यह समिति सरकार ने नियुक्त की थी। यह भी सच है कि सरकार से परामर्श बिना किए वह गवाही नष्ट कर दी गई।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया: क्या सरकार आगे के लिये नियम बना रही है ताकि ऐसा आगे कभी न हो और कोई गवाही नष्ट न की जाये।

श्री के० के० शाह: नियम तो पहले ही मौजूद है और उनके अनुसार गवाही को नष्ट नहीं करना चाहिये था।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : नियमों में दण्ड की व्यवस्था नहीं है। इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है?

Shri Madhu Limaye : Sir, the hon. Prime Minister was holding the charge of that Ministry.

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी): हमें इसको संतुलित रूप से देखना होगा। शायद समिति ने इन्हें नष्ट करके अपने अधिकार से बाहर कार्य किया है। परन्तु यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि गवाही को खोला जाना है तो आगे कोई भी व्यक्ति ऐसे मामलों में गवाही देने नहीं आयेगा।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया: इसे आप छापें मत परन्तु इसे नष्ट क्यों किया जाये?

Shri Prem Chand Verma : How many States tendered evidence before the Committee ? Has Government accepted all the recommendations of the Chanda Committee and what action is being taken in that regard?

श्री के० के० शाह: कौन-कौन से राज्यों ने गवाही दी यह तो केवल सचिव को ही पता है और इसका उत्तर मैंने उनसे पूछ कर ही दिया है। उसकी सिफारिशें ऐसी हैं किसी पैरा में कुछ लिखा है और किसी में कुछ और अन्य बात लिखी हैं। मैं उन सिफारिशों में तालमेल नहीं बिठा सका। यह साक्ष्य मेरे लिये लाभप्रद सिद्ध हो सकता था। मैं इस विषय में अपने आपको असमर्थ पा रहा हूँ।

Shri Madhu Limaye : The hon'ble Prime Minister has just said that when a witness comes to give evidence, he wants an assurance that his evidence should be kept as secret. There is a rule that evidence cannot be destroyed. Either the Prime Minister should change the rules or work should he done in accordance with the existing rules. Whether the Government propose to give punishment to the officer who has done this work against the rules ? Besides I want to say that Government have a right of not disclosing a thing which is not in public interest. We cannot press for it. Many a time the hon'ble Speaker has given his ruling. When government says that it is not in public interest, we cannot compel them. I want to know whether the officer who has done this work against the rules will be awarded some punishment ?

अध्यक्ष महोदय: वह यह जानना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने नियमों का उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

श्री के० के० शाह: कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

Shri Madhu Limaye : I have asked whether action will be taken against him:

श्री के० के० शाह: हमारे सामने प्रश्न यह है कि यदि इस प्रकार की समिति कोई गलती करती है जिसके अध्यक्ष श्री चान्दा थे, तो क्या उसपर विशेष ध्यान दिया जाये। (व्यवधान)

Shri Madhu Limaye : Mr Speaker, He will not punish him. Have you realised it ?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ने जो कुछ बता दिया है, उससे अधिक सूचना आपको नहीं मिल सकती। अगला प्रश्न।

Shri Kameshwar Singh : On a point of order, Sir. This question, pertains to Nagaland and whether Foreign Minister would answer this question ? Is, Nagaland situated in a foreign country ? This question should be answered by Ministry of Home affairs

अध्यक्ष महोदय: सभा में यह बात प्रतिदिन कही जाती है, इससे क्या लाभ ?

विद्रोही नागाओं के नेताओं में फूट

श्री भोगेन्द्र झा: क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नागालैण्ड की तथाकथित विद्रोही सरकार के नेताओं में फूट हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस प्रसंग में नागा समस्याओं के हल के बारे में अपनी नीति में परिवर्तन करने का है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार का विचार अपनी नीति का पुनर्निर्धारण करने का है, जिससे नरमपंथी तत्वों के हाथ मजबूत हों और यदि हाँ, तो क्या ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क), (ख) और (ग) छिपे नागाओं के विभिन्न वर्गों में अंतर्दलीय विद्वेष और कुछ फूट होने की खबरें मिली हैं लेकिन उनकी आन्तरिक स्थिति से भारत सरकार की उस नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिसका अनुसरण वह भारत संघ के ढाँचे के अन्तर्गत उक्त समस्या का शान्तिपूर्ण समाधान खोजने की दिशा में कर रही है।

Shri Bhogender Jha : I would like to know whether Government is going to Change its policy keeping in view the basis of differences in the minds of underground Naga leaders ? Some businessmen or money lenders from other parts of the country have gone there and they charge exhorbitant illegal interest and indulge in blackmarketing which has helped Nagas to rise against us. Hostiles take advantage of this position. Whether Government is contemplating to change its policy in such circumstances so that black-marketing and charging of illegal interest could be checked ?

What action Government propose to take against the foreign Missionaries who are encouraging them ? Specially I am referring to Mr. Phizo who is in England and considers himself to be a regular President. He has visited U.S.A. recently and he has been assured sympathy and help of U.S.A. to disintegrate Nagaland from India.

अध्यक्ष महोदय: यह बिल्कुल प्रश्न नहीं है। सारी नागा समस्या की समीक्षा की जा रही है।

Shri Bhogendra Jha : Mr Phizo is staying in England and considers himself to be President of reblel governmenet. The question of his being given British nationality was raised. In view of this whether Government is informing the British Government that this is an unfriendly act and whether Government propose to change its attitude towards British Government:

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh). I have already said in my reply that no change is being made in the policy of the Government in view of the differences in various groups of Nagas. Our policy is that Nagaland is a part of India and it will remain in India as such.

In so far as the question of anti-India activities of foreign missionaries is concerned, it has been to said in Lok Sabha that foreign missionaries do not come there. In so far as the question of black marketing and charging of illegal interest is concerned, Government have been trying to curb them and it will continue to do so in the future. These things have been happening

in all the parts of the country and not only in Nagaland and Government have been trying to curb the same.

Shri Bhogendra Jha: I wanted to make it clear that illegal interest is charged because poor and needy people do not get credit, therefore' whether Government is going to provide necessary facilities to give sufficient loans to them at approved rate of interest so that poor people do not fall in the clutches of money lenders ?

Secondly, it has been said that Indian and American Governments have been encouraging rebels. Unless we streamline our attitude towards so-called rebel President, we would be encouraging Nagas to behave in improper manner. I want to know the change in attitude of the Government in this connection ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह: जहाँ तक नागालैण्ड क्षेत्रों के आर्थिक दृष्टि से या अन्य रूप में पिछड़े हुए होने का सम्बन्ध है, नागालैण्ड सरकार.....

An hon'ble Member. It is convention of the House that the question should be replied in the same language in which it has been asked.

Shri Surendra Pal Singh : It is true that these is some economic backwardness there and there is poverty in that small part and there are other problems also and Government is fully aware of this fact and they have been doing its utmost for the upliftment of that area. Whatever cooperation is sought from the Central Government they have been giving the same.

So far the question of activities of Mr. Phizo and their effect is concerned the House is fully aware of our policies. We do not agree to the attitude and activities of Phizo and his unreasonable efforts could not affect our policies. Our policy has always been that Nagaland is and will remain part of Indian Union.

श्री रा० बरुआ: एक ओर तो हमें यह सूचना मिली है कि सुगातो और कैतो जैसे नेता नागा विद्रोहियों को छोड़ रहे हैं और दूसरी यह सूचना मिल रही है कि विरोधी नागाओं में कुछ नवीन सशस्त्र लोग आ गये हैं जो सम्भवत: विदेशी हैं। इस नई घटना के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह: समाचार पत्रों में कुछ समाचार प्रकाशित हुए हैं कि नागालैण्ड और मनीपुर आदि कुछ क्षेत्रों में कुछ विदेशी लोग देखे गए हैं। हमने इस सम्बन्ध में जाँच पड़ताल की है और हमें पता चला है कि ये समाचार निराधार हैं।

श्री स्वैल: मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस सम्भावना पर विचार किया है कि छिपे नागा लोगों में मतभेद के समाचारों से छिपे नागाओं द्वारा कोई शीघ्र कार्यवाही की जा सकती है और इस संदर्भ में क्या उन्होंने फिजो के इस वक्तव्य पर विचार किया है कि नागालैण्ड भारत से युद्ध करने जा रहा है और क्या इन परिस्थितियों में उस वक्तव्य का कोई विशेष महत्व है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हमें श्री फिजो के वक्तव्यों को इतना महत्व नहीं देना चाहिये। वह इस प्रकार के वक्तव्य कई बार दे चुके हैं।

जो सूचना भारत सरकार के पास है उससे हम छिपे नागाओं के उनके अपने मतभेदों के कारण कोई शीघ्र कार्यवाही करने का विचार प्रतीत नहीं होता।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): परन्तु, जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है, वह किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिये तैयार है।

श्री हेम बरुआ: क्या मैं सरकार का ध्यान श्री फिजो द्वारा छिपे हुए एक नागा नेता को लिखे गए एक पत्र की ओर दिला सकता हूँ जिसमें कहा गया है:

"आत्म-समर्पण नहीं किया जायेगा हम भय अथवा विवशता के कारण अपने राष्ट्रीय अधिकार को नहीं छोड़ेंगे । हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे और सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न व्यक्तियों के रूप में पुनः आजाद होंगे ।"

श्री फिजो की लन्दन में स्थिति कुछ भी नहीं रही है परन्तु फिर भी जब कोई भारतीय मंत्री लन्दन जाता है तो वह श्री फिजो से गुप्त रूप से अवश्य मिलता है। मुझे इस बात का लन्दन में श्री फिजो के एक प्रतिनिधि से पता चला है।

अध्यक्ष महोदय: क्या माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि क्या कोई मंत्री श्री फिजो से मिला है अथवा नहीं ?

श्री हेम बरुआ: जी, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय: वह फिर सीधे प्रश्न पर आ जाँय ।

श्री हेम बरुआ: क्या सरकार यह बता सकती है कि नागालैण्ड में श्री फिजो का अब कितना प्रभाव है। हम इस बात पर अधिक भरोसा कर रहे हैं कि छिपे हुए नागाओं में फूट पड़ गई है। परन्तु यह एक तथ्य है कि नागाओं की हिंसात्मक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि श्री फिजो नागालैण्ड में कितने लोकप्रिय और शक्तिशाली हैं।

श्रीमती इंदिरा गाँधी: एक ग्रुप श्री फिजो का अनुकरण करता है परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य के भाषण से स्पष्ट है, एक ग्रुप ऐसा भी है जो उसका अनुसरण नहीं करता

श्री हेम बरुआ: क्या कोई भारतीय मंत्री उससे मिला है अथवा नहीं ?

श्रीमती इन्दिरा गाँधी: मुझे किसी मंत्री के मिलने की कोई जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य मुझे इस बारे में विशिष्ट रूप से जानकारी दें।

श्री हेम बरुआ: हमें लन्दन में श्री फिजो के प्रतिनिधि से पता चला है कि जो भी मंत्री वहाँ जाता है वह श्री फिजो से सम्पर्क कायम करता है ।

अध्यक्ष महोदय: यह तो एक आरोप है । आरोप भी है और उसको अस्वीकार भी कर दिया गया है ।

श्री मनुभाई पटेल: माननीय सदस्य तो उससे मिले हैं ?

श्री हेम बरुआ: मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ । माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि मैं उससे मिला था। तथ्य यह है कि मैंने उससे मिलने से इंकार कर दिया था।

श्री मनुभाई पटेल: माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि उस श्री फिजो के प्रतिनिधि से यह पता चला....

श्री हेम बरुआ: मैंने कहा कि मैं श्री फिजो से नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय: श्री हेम बरुआ ने इस बात से इंकार किया है और कहा है कि वह श्री फिजो से नहीं मिले। श्री बलराज मधोक।

Shri Bal Raj Madhok: The population in Nagaland is 3 lakhs. According to official statistics, 25 per cent population is Christian and 50 percent population consists of those people who are following the old religion. The Government there represents these 50 per cent population and the rebels there also function on their behalf. Therefore, the elected Government there and these rebels also represent population consisting of 1 ½ lakh people. Out of these rebels, there are many rebels who are underground. These underground rebels also constitute some special groups. May I know to whom these people represent with whom our Government holds talks on the basis of equality ? Do these people represent themselves or the people of Nagaland or Government of India:

Shrimati Indira Gandhi: It is obvious that they do not represent Government of India. The Government of Nagaland is an elected one. So far as underground Nagas are concerned; the hon. Member knows better than me. It is difficult to say whom these underground Nagas represent. But there is no doubt in it that some people are under their influence and due to the activities of these underground Nagas, the people there have been suffering. Therefore, talks are being held with them. In the begining, these people were engaged in hostile activities and since these rebel Nagas have now proposed cessation of these activites, we are having talks with them so that some solution may be found out.

Shri S. M. Banerji. Is the hon. Prime Minister aware that the loyal Nagas have become powerless and ineffective like the IWTUC here. Have Government made efforts to find out whether these underground Nagas come into contact with the people and freely move and whether these are really underground or not ?

Is it also a fact that Mr. Phizo has been corresponding with them and Mr. Michael Scott has been making propaganda in other countries? Would Govt. make efforts to seek the return of Mr. Phizo?

Shrimati Indira Gandhi: No effort is being made to seek his return and I think, it should not be done.

श्री स० मो० बनर्जी: क्या उनका नागाओं के साथ अब भी पत्र-व्यवहार चल रहा है ?

Shrimati Indira Gandhi: He has written a letter to his brother.

श्री वेदव्रत बरुआ: क्या प्रधान मंत्री जी का ध्यान दो बातों की ओर गया है। पहली बात तो यह है, जैसा कि समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है कि श्री टी० एन० अगामी ने यह कहा है कि अमरीका की रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने नागाओं की माँग का समर्थन करने का वायदा किया है और यह भी वायदा किया है कि यदि वे आगामी चुनावों में सत्तारूढ़ हो गये तो वे नागा समस्या पर विचार करेंगे। इसमें बात यह है कि मि० जान स्मिथ ने गत नवम्बर में मास्को में यह कहा था कि सी० आई० ए० ने स्थिति को बिगाड़ने के लिये नागा विद्रोहियों को उत्तेजित किया था।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने प्रश्न तो किया ही नहीं है।

श्री नम्बियार: उन्हें अपने प्रश्न का पता नहीं है।

श्री वेदव्रत बरुआ: मैं यह पूछ रहा हूँ कि क्या ये बातें सरकार के ध्यान में आई हैं और क्या इनसे स्थिति बनी है अथवा और बिगड़ी है.....

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न कोई नहीं है। वह यह पूछते हैं कि क्या सरकार को इन बातों का पता है और क्या ये सही हैं अथवा नहीं। अगला प्रश्न।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आकाशवाणी

*570-क **श्री मेघचन्द्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 28 अक्तूबर, 1967 के 'स्टेट्समैन' तथा अन्य समाचार पत्रों में छपे इस समाचार की जानकारी है कि आकाशवाणी मंत्रालय की 'जमींदारी' बन गई है;

(ख) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में कर्मचारियों की नियुक्तियों और प्रसारण पर मंत्री का पूर्ण नियंत्रण रहता है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) : यह समाचार 28 अक्तूबर, 1967 के स्टेट्समैन में छपा था, परन्तु और किसी अखबार में इस प्रकार का समाचार नहीं देखा गया।

(ख) : जी, नहीं। आकाशवाणी में जितनी भी नियुक्तियाँ की जाती हैं वे सभी निर्धारित भर्ती नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती हैं।

(ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

Broadcast of Vividh Bjharati and other Programmes by A. I. R. on the Day of Dr. Lohia's Death.

571. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting**: be plased to state whether the 'Vividh Bharati' and other programmes of All-India Radio were broadcast, as usual, on the day of Dr. Ram Manohar Lohia's death ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): In line with the practice followed by A.I.R. when prominent personalities in political and cultural fields pass away, special obituary items were broadcast on the day of Dr. Lohia's demise by interrupting and cancelling certain scheduled programmes on Delhi 'B' channel and in the television service. No change was made in the 'Vividh Bharati' programme.

Pakistan President's Anti-Indian Propaganda Abroad

576 **Shri Prakash Vir Shastri** : **Shri Shiv Kumar Shastri**:
Shri Mahant Digvijai Nath : **Shri Ram Avtar Sharma** :
Shri Y. S. Kushwah : **Shri Kameshwar Singh**:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the President of Pakistan went on a tour of certain countries recently ;

(b) whether it is also a fact that he carried on anti-Indian propaganda in those countries; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat): (a) Yes, Sir. President Ayub Khan recently visited U.S.S.R., France, Rumania and Turkey.

(b) As far as our information goes, he pursued the usual line of Pakistani propaganda relating mainly to Kashmir and the so-called "military imbalance" in the sub-continent.

(e) Our position and policies have been fully and repeatedly explained through diplomatic and other channels and we believe that our point of view is well undertstood.

नागालैण्ड में ईसाई पादरियों की गतिविधियाँ

*577. **श्री बाबूराव पटेल**: क्या **बैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान नागालैण्ड बैपटिस्ट चर्च कौंसिल के नवम्बर, 1967 में हुए सम्मेलन में आठ प्रमुख चर्च नेताओं के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि राजनीतिक वार्ता के असफल हो जाने के कारण यह बात परम आवश्यक हो गयी है कि नागाओं का एक ईसाई राज्य स्थापित करने के लिये सभी नागाओं को संगठित किया जाये;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पादरी लोग चीनियों और पाकिस्तानियों की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिये ईसाई प्रभाव वाला एक स्वतंत्र प्रदेश कायम करने की कोशिश कर रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

बैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) भारत सरकार के पास सुलभ सूचना के अनुसार, नागालैण्ड बैपटिस्ट चर्च कौंसिल के नेताओं ने खास-खास नागा नेताओं की एक बैठक जिस उद्देश्य से बुलाई थी उसका मैं उल्लेख करता हूँ जो इस प्रकार है—"स्थायी शाँति प्राप्त करना और तमाम नागा लोगों में एकता स्थापित करना—"। यह मीटिंग 5 और 6 दिसम्बर को हुई थी।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली में दैनिक समाचारपत्रों द्वारा निर्मित इमारतें

*578.. **श्री कंवर लाल गुप्त**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ दैनिक समाचारपत्रों ने सरकार से ऋण लेकर नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर बड़ी-बड़ी इमारतें बनाई हैं अथवा बना रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ समाचारपत्र अत्यधिक घाटे में चल रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उन्हें ऋण देने के क्या कारण हैं तथा किस प्रकार इसकी वसूली की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क): जैसा कि उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने 7 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 536 के उत्तर में बताया था, सरकार ने समाचार-पत्रों के लिए दिल्ली में भवन बनाने के हेतु कोई ऋण नहीं दिए हैं। बैंकों में प्रचलित प्रथा के अनुसार, बैंकों के साथ जो लेन देन करते हैं उनके मामलों के बारे में बैंक कोई जानकारी नहीं देते। तथापि, जिन अखबारों को बहादुर शाह जफर मार्ग पर जमीन अलाट की गई है उनके नाम ये हैं:—

इंडियन एक्सप्रेस	नेशनल हेरल्ड
टाइम्स आफ इंडिया	मिलाप, और
पैट्रीआट	तेज
प्रताप	

(ख) : सरकार के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। समाचार-पत्र स्वतन्त्र गैर-सरकारी संगठन है और वे सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं।

(ग): प्रश्न ही नहीं उठता।

Replenishment of Military Equipment by Pakistan

*579. **Shri N. S. Sharma :** **Shri A. B. Vajpayee:**
Shri Sharda Nand: **Shri Randhir Singh :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the loss of military weapons etc. sustained by Pakistan in September, 1965 has been replenished to a considerable extent ;

(b) if so, the names of countries from which Pakistan obtained military material, finances, etc. to make up the said loss ;

(c) the details of the military material obtained to replenish the loss ; and

(d) the names of the countries whom Goverment had requested not to supply military material etc. to Pakistan and the outcome thereof:

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat:

(a) Yes Sir.

(b) to (d) : Atenttion of the Honourable Member is invited to replies given to the eight questions answered during the current session which are listed in the statement given below :

Statement

1. Starred Question No. 141 on November 20, 1967.
2. Unstarred Question No. 49 on November 13, 1967.
3. Starred Question No. 144 on November, 20, 1967.
4. Unstarred Question No. 999 on November 20, 1967.
5. Unstarred Question No. 138 on November 13, 1967.
6. Unstarred Question No. 45 on November 13, 1967.
7. Unstarred Question No. 1072 on November 20, 1967.
8. Starred Question No. 27 on November 13, 1967.

भारतीय वायु सेना के विकलांग तथा मृत सैनिकों के परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि का आवंटन

*580. **श्रीमती सुशीला गोपालन:** **श्री विश्वनाथ मेनन:**
श्री प० गोपालन: **श्री चक्रपाणी:**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायु सेना के विकलांग तथा मृत सैनिकों के परिवारों के पुनर्वास के लिये भूमि निश्चित करने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस योजना के कब तक लागू होने की सम्भावना है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते।

अदन से स्वदेश लौटे भारत मूलक लोग

*581. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अदन से भारत मूलक लोगों का स्वदेश लौटना पूर्ण हो गया है;

(ख) स्वदेश लौटने वाले लोगों की संख्या कितनी है और वे किन-किन राज्यों के निवासी हैं; और

(ग) सहायता के पात्र उन लोगों के पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क): जी नहीं।

(ख) जुलाई, 1967 से लेकर अब तक 3,539 लोग भारत लौटे हैं। उनमें से अधिकांश गुजरात और महाराष्ट्र के हैं। कुछ लोग गोआ, केरल और मद्रास के हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका संबंध पश्चिम बंगाल और पंजाब से है।

(ग): सरकार ने परिस्थिति के अनुरूप अदन से आने वाले लोगों को चुंगी में ढील और आयात व्यापार नियंत्रण में छूट दी है।

नेताजी का निधन

*582. **श्री समर गुह**: क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि श्री सुरेश चन्द्र बोस के एक पत्र (दिनांक 13-5-62) के उत्तर में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने अन्य बातों के साथ-साथ यह लिखा था कि "मैं आपको नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के निधन का सीधा तथा ठीक-ठीक प्रमाण तो नहीं दे सकता परन्तु परिस्थितिक साक्ष्य से हमें यह विश्वास हो गया है कि नेताजी का निधन हो चुका है।"

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के देहावसान से कुछ सप्ताह पूर्व उन्होंने वर्तमान लोकसभा के एक सदस्य, श्री अमिय नाथ बोस के एक पत्र के उत्तर में आश्वासन दिया था कि नेताजी के निधन सम्बन्धी मतभेद के बारे में अन्तिम निर्णय पर पहुँचने के लिये कुछ अग्रेतर कार्यवाही की जानी चाहिये; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या नेताजी के निधन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने के लिये सरकार का फारमूसा में एक जांच समिति भेजने का विचार है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) श्री सुरेश बोस के नाम प्रधान मंत्री नेहरू ने 13 मई, 1962 के अपने पत्र में इस प्रकार लिखा था;

"आप मुझे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु का प्रणाम भेजने के लिए कहते हैं। मैं आपको कोई सीधा और ठीक प्रमाण नहीं भेज सकता। लेकिन जो परिस्थितिगत साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, और जिसका जाँच समिति की रिपोर्ट में हवाला दिया गया है, उस सब से हम इस तथ्य के प्रति आश्वस्त हुए हैं कि नेताजी की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा, इस बात से कि इतना समय बीत चुका है और उनके कहीं भी गुप्त प्रवास में जीवित रहने की कोई सम्भावना नहीं है

—अगर वे जीवित होते तो भारत में उनका अपार हर्ष और स्नेह से स्वागत किया जाता—परिस्थिति-गत साक्ष्य की वृद्धि होती है।"

श्री सुरेश बोस के बाद में प्राप्त पत्र के उत्तर में जवाहरलाल नेहरू ने 12 अगस्त, 1962 के पत्र में इस प्रकार लिखा था:

"मैंने आपको लिखा था कि परिस्थितिगत सम्पूर्ण साक्ष्य ने मुझे आश्वस्त किया है कि नेताजी सुभाष बोस मर चुके हैं। इस उद्देश्य के लिए नियुक्त जो समिति जापान गई थी, उसकी रिपोर्ट में बहुत-सा यह साक्ष्य उल्लिखित है। आपको उस समिति की रिपोर्ट में तारीख, स्थान और परिस्थितियों का उल्लेख मिलेगा।

उस रिपोर्ट के अलावा, जो इतना लम्बा समय बीत चुका है, वह स्वयं उनकी मृत्यु के तथ्य की पुष्टि करता है।"

(ख) उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। श्री अमिय नाथ बोस के पत्र के उत्तर में प्रधान मंत्री नेहरू ने 22 अप्रैल 1964 के पत्र में यह लिखा था। :

"मैं आपके साथ इसपर सहमत हूँ कि नेताजी की मृत्यु के प्रश्न को अंतिम रूप से तय करने के लिये कुछ न कुछ किया जाना चाहिये। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि मेरे लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से यह कहना कहाँ तक उचित होगा कि वे इस मामले पर गौर करें। इसके लिए शायद जापान जाना पड़े और मुझे यकीन है कि मैं मुख्य न्यायाधीश से ऐसा करने के लिए नहीं कह सकता।"

(ग): बाद के वर्षों में भारत सरकार ने इस सदन में कई प्रश्नों के उत्तर में कहा है कि आगे जाँच करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि शाहनवाज समिति की रिपोर्ट में अंतिम निष्कर्ष दे दिया गया है।

अखबारी कागज

***583. श्री प्रेमचन्द्र वर्मा:**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दैनिक समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के लिये अखबारी कागज, आर्ट पेपर और विशिष्ट उपकरणों का कितना-कितना कोटा नियत किया जाता है;

(ख) अंग्रेजी समचार पत्रों तथा भाषायी समाचार पत्रों के लिये उपरोक्त वस्तुओं का कितना-कितना कोटा नियत किया जाता है; और

(ग) छोटे और मध्यम तथा बड़े समाचार पत्रों को कितना-कितना कोटा दिया जाता है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क): 1966–67 में अखबारी कागज का 1,52,992.15 मीटरी टन और आर्टपेपर का 257.46 मीटरी टन कागज अलाट किया गया था।

दैनिक समाचारपत्रों को अखबारी कागज का 84.3 प्रतिशत और पत्रिकाओं को 15.7 प्रतिशत मिलता है। आर्टपेपर की पूरी मात्रा पत्रिकाओं को अलाट की जाती है।

(ख): अंग्रेजी समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को अखबारी कागज का 32.6 प्रतिशत और आर्ट-पेपर का 34.2 प्रतिशत तथा भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को अखबारी कागज का 67.4 प्रतिशत और आर्ट-पेपर का 65.8 प्रतिशत दिया गया।

(ग) : छोटे, मध्यम और बड़े समाचार-पत्रों को अखबारी कागज का क्रमशः 4.2 प्रतिशत, 6.3 प्रतिशत और 89.5 प्रतिशत तथा आर्ट-पेपर का 18.8 प्रतिशत, 24.3 प्रतिशत और 56.9 प्रतिशत दिया गया ।

विशेष सामान, वाणिज्य मंत्रालय के चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्टस एण्ड एक्सपोर्टस् के द्वारा दिया जाता है। उनके द्वारा दैनिक समाचार-पत्र और पत्रिकाओं को, अंग्रेजी समाचार-पत्रों और भारतीय भाषा समाचार-पत्रों तथा छोटे, मध्यम और बड़े समाचार-पत्रों को दिए जाने वाले सामान के अलग-अलग आँकड़े नहीं रखे जाते।

1968–69 के लिए वार्षिक योजना

*584. **श्री मयावन :** **श्री मरंडी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968–69 के लिये वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देने के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक बुलाने का निर्णय योजना आयोग ने किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या योजना आयोग ने 1968–69 की वार्षिक योजना का अनुमोदन कर दिया है ; और

(ग) उसमें किन-किन विषयों पर विचार किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक दिसम्बर की पहली और दूसरी तारीख को हुई ।

(ख) योजना तैयार की जा रही है और आशा है आगामी जनवरी तक यह अन्तिम रूप से तैयार हो जाएगी।

(ग) एक विवरण नीचे रखा जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक दिसम्बर की पहली और दूसरी तारीख को हुई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 1968–69 की वार्षिक योजना की पृष्ठभूमि और नीति पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस समय आयोग 1968–69 की वार्षिक योजना तैयार करने के काम में लगा हुआ है और आशा है योजना का मसौदा जनवरी, 1968 तक तैयार हो जाएगा।

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि चौथी योजना की अवधि 1969–70 से 1973–74 तक रहे। इस विषय में एक वक्तव्य 6–12–1967 को सभापटल पर रखा गया था। परिषद् ने लक्षित किया कि साधनों को जुटाने के लिए और अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। कृषि आयकर को सामान्य आयकर में समाविष्ट करने के योजना आयोग के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। यह तय किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र से अतिरिक्त साधन जुटाने की समस्या का अध्ययन करने के लिये आयोग एक समिति गठित करे। बिजली और पानी की दरों के प्रश्न की छानबीन के लिए भी परिषद् ने एक क्षेत्रीय समिति गठित करने का निर्णय किया। कृषि मूल्यों को स्थिर करने और प्रतिरोधी भण्डार (बफर स्टाक) तैयार करने की आवश्यकता को परिषद् ने स्वीकार किया। राज्यों को केन्द्रीय सहायता के बटवारे के नियामक सिद्धान्तों के बारे में परिषद् ने तय किया कि इन मामलों पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद

इन प्रश्नों पर पुनर्विचार किया जाएगा। योजना कार्य समिति का पुनर्गठन करने और उसे योजना आयोग के संश्लिष्ट मूल्यांकन विभाग में शामिल करने के प्रस्ताव का परिषद् ने समर्थन किया।

पीस एण्ड प्रोग्रेस रेडियो, मास्को से भारत विरोधी प्रसारण

*585. **श्री कामेश्वर सिंह:** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 13 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस और मास्को रेडियो के प्रसारणों के विरुद्ध रूस सरकार को भेजे गए विरोध पत्रों का इस बीच कोई उत्तर प्राप्त हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 21 अक्तूबर, 1967 को उन्होंने पुनः पश्चिमी बंगाल के यूनाइटेड फ्रन्ट मंत्रालय के गैर साम्यवादी सदस्यों की जोरदार आलोचना की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत):

(क) इस मामले को और समुचित सोवियत अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया था और उन्होंने हमारे विरोध-प्रदर्शन पर यथोचित रूप से विचार करने का वायदा किया है।

(ख) सरकार ने रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस के 21 अक्तूबर 1967 के प्रसारण की खबरें देखी हैं जिसमें कि पश्चिम बंगाल में पूर्व यूनाइटेड फ्रन्ट मंत्रिमंडल के गैर-साम्यवादी सदस्यों का आलोचनात्मक उल्लेख था।

श्री फिजो द्वारा प्रचार

*586. **श्री स० मो० बनर्जी:** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नागालैण्ड के संबंध में भारत सरकार के दृष्टिकोण के विरुद्ध विदेशों में नागा विद्रोही नेता श्री फिजो द्वारा किए गए प्रचार का खण्डन करने के लिये और आगे क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या नागालैण्ड में नागा विद्राही नेताओं के साथ वह अब भी पत्र-व्यवहार कर रहे है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह):

(क) विदेशों में हमारे प्रतिनिधियों ने स्थानीय सूचना एवं प्रसार के साधनों तथा अन्य तरीकों के जरिये फिजो के झूठे प्रचार का प्रतिकार करने के लिये समुचित कार्यवाही की है।

(ख) सरकार उनके साथ पत्र-व्यवहार नहीं करती।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Chinese Propaganda in Bhutan

*587. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state.

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news reports that China has intensified her anti-Indian propaganda in Bhutan ;

(b) whether it is a fact that China is sending anti-Indian literature to India through Bhutan ; and

(c) if so, the action taken by Government to check it?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh)

(a) to (c): No evidence has come into Government's possession to show that China is sending anti-Indian literature to India through Bhutan. However, it is generally known that China indulges in relentless anti-Indian propaganda everywhere. So far as Bhutan is concerned, Government are confident that no anti-Indian activity of any kind by any party will be permitted by the Royal Government of Bhutan in view of the extremely friendly relations between Bhutan and India.

सेना के लिए कपड़ों की सिलाई

*588. **श्री मरंडी:** **श्री स० च० बेसरा:**

श्री हिम्मतसिंहका:

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना के लिये कपड़ों की सिलाई के हेतु दिसम्बर, 1962 में एक फर्म को दिए गए ठेके के सम्बन्ध में हुई गम्भीर अनियमितताओं के बारे में सरकार ने कोई उपयुक्त कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) और (ख): दिसम्बर, 1962 में फर्म को वस्त्र सीने के लिये दिए गए ठेके पर पब्लिक अकाऊंटस कमेटी द्वारा विचार किया गया था और उनकी सिफारिशें/आलोचनाएं (तीसरी लोक सभा की) 48वीं रिपोर्ट दिनांक 7 अप्रैल 1967 में दी गई हैं। पैरा 5.81 और 5.82 से संबंधित सिफारिश संख्या 49 के बारे में इस मंत्रालय द्वारा दी गई कार्रवाई लोक सभा को 26 अगस्त 1967 को सूचित की गई थी और पैरा 5.83 से संबंधित सिफारिश संख्या 50 के बारे में 1 मई 1967 को। इसी प्रकार पैरा 5.84 से संबंधित सिफारिश संख्या 51 के उत्तर वित्त मंत्रालय ने भेजे थे। पी० ए० सी० ने इन उत्तरों का निरीक्षण किया है और इन उत्तरों पर उन्होंने अपनी फिारिशें/आलोचनाएँ अपनी (तीसरी लोक सभा की) दसवीं रिपोर्ट में 16-11-67 को संसद् को प्रस्तुत की हैं। उत्तरोत्तर रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और उसमें दी गई पी० एस० सी० की सिफारिशें/आलोचनाएँ सरकार के विचाराधीन हैं और उनके उत्तर निर्धारित अवधि में भेज दिए जायेंगे।

आकाशवाणी संहिता

*590. **श्री विभूति मिश्र:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी संहिता के संबंध में केन्द्र तथा पश्चिम बंगाल के मतभेदों को कम करने के लिये उन्होंने पश्चिम बंगाल के मंत्री श्री सोमनाथ लाहिरी के साथ 23 अगस्त, 1967 को दिल्ली में बातचीत की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उस बात चीत का क्या परिणाम निकला है और किन बातों पर मतभेद है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) और (ख): आकाशवाणी संहिता के बारे में पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व सूचना मंत्री श्री सोमनाथ लाहरी के साथ बातचीत 22 सितम्बर, 1967 को हुई थी, 23 अगस्त, 1967

को नहीं। बात-चीत के दौरान संहिता पर जो सहमति हुई, उसके अनुसार आकाशवाणी के प्रसारण में निम्नलिखित बातों का निषेध होगा :—

(1) मित्र देशों की आलोचना;
(2) धर्म या जातियों पर आक्षेप;
(3) अश्लील या अपमानजनक बातें;
(4) हिंसा को भड़काना या कानून एवम् व्यवस्था के विरुद्ध बातें;
(5) अदालत की मानहानि सम्बन्धित बाते;
(6) राष्ट्रपति, राज्यपालों और न्याय विभाग की इमान्दारी पर आक्षेप;
(7) किसी दल की नाम लेकर निंदा ;
(8) किसी भी राज्य या केन्द्र के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण आलोचना, और
(9) संविधान के सम्बन्ध में अपमानजनक बात या हिंसात्मक ढंग से संविधान में परिवर्तन करने की वकालत, परन्तु संविधान में संवैधानिक ढंग से परिवर्तन करने की वकालत की मनाई नहीं होगी।

राज्य सरकारों के मंत्रियों के प्रसारणो के बारे में इस संहिता को लागू करने के बारे में मतभेद था। श्री लाहरी की यह राय थी कि यदि केन्द्र निदेशक को वार्ता की स्क्रिप्ट पर आपत्ति हो, तो पहले वार्ता प्रसारित हो जानी चाहिए और मतभेद को बाद में आगे के मार्गदर्शन के लिए दूर कर लिया जाए। केन्द्रीय मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि मतभेद वाली बात उनकी सलाह से, और यदि आवश्यकता हो तो राज्य के मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री के बीच तय की जाए। केन्द्रीय मंत्री द्वारा यह सुझाव दिया गया कि इस प्रक्रिया का दो महीने के लिए परीक्षण किया जाए। श्री लाहरी ने कहा कि वह इस सुझाव को अपने मंत्रिमंडल द्वारा विचार किए जाने के लिए रख देंगे।

एशियाई परिषद्

*591. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 10 जुलाई 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1031 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिये एशियाई परिषद् की स्थापना में और कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस प्रस्ताव को कार्य रूप देने में कितना समय लगने की संभावना है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) एशिया परिषद की स्थापना के प्रस्ताव को रूप देने का अभी समय नहीं आया है। इस अवस्था में यह कहना भी संभव नहीं है कि प्रस्तावित संगठन को, यदि वह मुनासिब समझा गया, रूप देने में कितना अरसा लग जाएगा। यह बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि संबद्ध अन्य देशों का रवैया क्या होगा।

पश्चिम जर्मनी द्वारा प्रकाशित मानचित्रों में काश्मीर

*592. **डा० रानेन सेन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम जर्मनी में प्रकाशित किये गये भारत के मानचित्रों में काश्मीर को भारत से पृथक् तथा गोआ, दमन और दीव को पुर्तगाली राज्यक्षेत्र के रूप में दिखाया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार ने पश्चिम जर्मनी की सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में पश्चिम जर्मनी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत)। (क) से (ग) : सरकार का ध्यान भारत के कुछ ऐसे नक्शों की ओर दिलाया गया है जो जर्मन संघीय गणराज्य में छपे हैं और जिनमें कश्मीर और पुर्तगाल की पूर्व बस्तियों को गलत ढंग से दिखाया गया है। आवश्यक पूछताछ की गई है और सरकार को पता चला है कि ये नक्शे ज्यादातर प्राइवेट फर्मों द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। फिर भी, प्रकाशकों और जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार, दोनों ने ही हमें आश्वासन दिया है कि आगे से प्रकाशित होने वाले नकशों में आवश्यक परिष्कार करने का पूरा प्रयत्न करेंगे।

दलाई लामा

*593. **श्री मधु लिमये**: क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ /उसकी महासभा में मानव अधिकारों के हनन का प्रश्न न उठाने के लिये दलाई लामा पर दबाव डाला गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी नहीं।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत-अमरीकी सम्बन्ध

*594. **श्री हिम्मतसिंहका** :क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पश्चिमी एशिया के बारे में भारत के सहयोग से पेश किए गए संकल्प से पश्चिम एशिया के मामले पर भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच अविश्वास बढ़ गया है;

(ख) यदि हाँ, तो संयुक्त राज्य अमरीका में व्याप्त गलतफहमी दूर कर भारत और संयुक्त राज्य अमरीका में संबंधों को सुधारने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख) : यह सच है कि पश्चमी एशिया के शाँतिपूर्ण समाधान का आधार क्या हो, इसके बारे में भारत और अमरीका में कुछ मतभेद रहा है। इन मतभेदों की झलक तीन देशों के प्रस्ताव के उस मसौदे में मिली जिसे भारत ने अन्य देशों के साथ मिलकर प्रस्तुत किया था और उसमें भी, जिसे अमरीका ने पेश किया था। लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि इससे पश्चिम एशिया के प्रश्न पर भारत और अमरीका में अविश्वास बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच मतभेद पर खुलकर बातचीत हुई है। भारत और अमरीका, दोनों ने ही एक राय से उस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया जिसे सुरक्षा परिषद् ने 22 नवंबर 1967 को स्वीकार कर लिया।

सेना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की भर्ती

*595. **श्री प्र० रं० ठाकुर**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों का सेना में क्या अनुपात है;

(ख) क्या सरकार का विचार सेना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की संख्या बढ़ाने के लिये विशेष कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 1961 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के प्रतिशत इस प्रकार थे:—

अनुसूचित जाति	14.7 प्रतिशत
अनुसूचित कबीले	6.9 प्रतितशत

इसकी तुलना में सेना में प्रतिशत इस प्रकार है:—

अनुसूचित जाति	7.0 प्रतिशत
अनुसूचित कबीले	1.9 प्रतिशत

[ख) और (ग) आवश्यक सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1939/67]**

Purchase of Presents by Ministers Going Abroad

*596. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the expenditure on the purchase of the presents, etc. carried by the Ministers while visiting abroad is incurred by Government ;

(b) the Department or the Office who decides the number and price range of the presents carried by them ;

(c) whether the presents received by them abroad are deposited with Government ; and

(d) if not, the manner of their disposal?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat) :

(a) Yes, Sir.

(b) The Presents Approval Committee consisting of a Secretary in the Ministry of External Affairs, the Director or Joint Secretary of the Division concerned and the Chief of Protocol, decides the number of presents to be carried by the Ministers or presents to be given to the foreign V.I.P's when they come to India on State visits. The recommendations of our Ambassadors in the country concerned are also taken into consideration.

The three Secretaries of the Ministry of External Affairs, in consultation with the Director Finance, have fixed monetary limits for purchase of presents for different categories of VIP's.

(c) The presents which are of purely symbolic value are allowed to be retained but other presents are allowed to be retained if their estimated value is less than the prescribed limit of Rs. 450/-. Where the value exceeds this limit, the recepient has the option to purchase the presents by paying the difference between the actual value and the limit of Rs. 450/-, together with the duty involved.

(d) Presents worth more than Rs. 450/- which are not purchased by the recepients are deposited in the Toshakhana and sold by auction.

हिन्द महासागर में अलडब्रा में ब्रिटेन का "स्टेजिंग पोस्ट'

*598. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री शिवचन्द्र झा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन हिन्द महासागर में अलडब्रा का उपयोग एक सैनिक अड्डे के रूप में नहीं अपितु "स्टेजिंग पोस्ट" के रूप में करेगा :

(ख) क्या इस संबंध में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार का दृष्टिकोण मालूम किया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि अवमूल्यन के बाद उनकी अर्थव्यवस्था पर जो दबाव आ पड़ा है उसे कम करने के उद्देश्य से उन्होंने हिंद महासागर में अलडनरा द्वीप में सैनिक संस्थान की अपनी योजना क्रियान्वित न करने का निश्चय किया है।

(ख) जी नहीं। लेकिन ब्रिटेन की सरकार नें हमें आश्वसन दिया है कि ब्रिटिश हिन्द महासागर प्रदेश का इस्तेमाल सैनिक अड्डे के रूप में करने की उनकी कोई मंशा नहीं है बल्कि वे पूर्व के देशोंको संचार की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए बीच के एक केन्द्र के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं।

(ग) भारत सरकार ने इन आश्वासन को नोट कर लिया है। लेकिन, स्थिति पर निरंतर ध्यान रखा जाता है। विदेशी सैनिक अड्डों के प्रति भारत सरकार का विरोध सर्व विदित है।

योजना में सम्मिलित परियोजनाओं सम्बन्धी समिति

*599. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा स्थापित योजना में सम्मिलित परियोजनाओं संबंधी समिति का पुनर्गठन किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हाँ, तो किस रूप में ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) और (ख) : प्रशासनिक सुधार आयोग के आयोजन के ढाँचे से सम्बन्धित अध्ययन दल के सुझावानुसार, योजना आयोग में मूल्यांकन कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव है। उसकी संरचना और कार्यों में जिस परिवर्तन की आवश्यकता होगी उसे करने के बाद, योजना कार्य समिति उस कक्ष का एक भाग होगा। इसके लिए प्रशासनिक सुधार आयोग की अन्तिम सिफारिशों की इन्तजारी की जा रही है।

उड़ीसा में पिछड़े क्षेत्रों का विकास

*600. **श्री अ० दीपा :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा राज्य में फूलवनी, कालाहाँडी तथा बोलनगीर जिले पिछड़े हुए क्षेत्र हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले विशेष क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत इन जिलों के विकास के लिये सरकार का 40 करोड़ रुपए व्यय करने का विचार था;

(ग) यदि हाँ, तो इस क्षेत्र के विकास पर उस धन में से कितनी राशि व्यय की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

(क) जी, हाँ।

(ख) राज्य सरकार ने 1966 से 71 तक की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान इन क्षेत्रों के तेजी से विकास के लिए 16.2 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की थी।

(ग) राज्य सरकार से सूचना की इन्तजारी की जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी के कलाकार

3678. **श्री कृ० मा० कौशिक**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आकाशवाणी के कलाकारों की सेवा का स्वरूप क्या है;

(ख) क्या सेवा की शर्तें देश में आकाशवाणी के सभी केन्द्रों में समान हैं; और

(ख) क्या स्टेशन डायरेक्टरों द्वारा उनकी सेवायें समाप्त कर दिए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिये कलाकारों का कोई फोरम है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क): अभी तक, आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट सामान्यतः एक बार पाँच वर्ष के ठेके, जिसको फिर से दुहराया जा सकता है, पर रखे जाते थे। हाल में ही इसके स्थान पर अब उन्हें 55 वर्ष की आयु तक के नियुक्ति-पत्र दिए जाते हैं जिन्हें 58 वर्ष की आयु तक बढ़ायाजा सकता है और सरकार अपने विवेक अनुसार विशेष मामलों में इनको 60 वर्ष की आयु तक बढ़ा सकती है।

(ख): जी, हाँ।

(ग): आकाशवाणी के कर्मचारियों की तरह, स्टाफ आर्टिस्ट के लिए भी सदैव अपनी शिकायतों को प्रस्तुत करने का मार्ग खुला है। कोई भी स्टाफ आर्टिस्ट कभी भी अपना मामला आकाशवाणी के महानिदेशक के सम्मुख रख सकता है। यदि वह आकाशवाणी के महानिदेशक द्वारा दिए गए निर्णय से असंतुष्ट है तो वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अपील कर सकता है।

भारतीय साम्यवादी नेताओं का विदेश जाना

3679. **श्री बबूराव पटेल**: क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) अक्तूबर, 1967 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में कितने तथा कौन-कौन से भारतीय साम्यवादी दल के नेता रूस और पूर्वी यूरोप के देशों में गये थे;

(ख) इन नेताओं ने ये दौरे किन कारणों से किए थे; और

(ग) प्रत्येक नेता को प्रत्येक दौरे के लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) : आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सुलभ होने पर यथाशीघ्र सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी।

चतुर्थ योजना में शामिल करने के लिये महाराष्ट्र की योजनायें

3680. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए जाने के लिए अपनी योजनायें भेज दी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) उन योजनाओं पर अनुमानत: कितना धन खर्च किया जायेगा; और

(घ) चौथी योजना में सम्मिलित की जाने वाली योजनाओं के लिये धन जुटाने से सम्बन्धित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

(क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) : दिसम्बर, 1966 में हुए विचार-विमर्श के बाद तय की गई प्रमुख व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं :—

	(करोड़ रुपये)
सामुदायिक विकास और सहकारिता सहित कृषि कार्यक्रम	236.76
सिंचाई और बिजली	396·98
उद्योग और खान	32·18
परिवहन और संचार	71.70
समाज सेवाएं	212·88
विविध	0.50
योग	951.00

(घ) चौथी योजना के ऊपर दिखाए गए 951 करोड़ रुपए के परिव्यय की वित्त व्यवस्था इस प्रकार की जानी है :—

केन्द्रीय सहायता	261
राज्य साधन	690
योग	951

महाराष्ट्र के लिए ट्रांसमिटर

3681. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में एक ट्रान्समीटर लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके कब तक लगाये जाने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) और (ख): महाराष्ट्र में परभानी में एक प्रेषण केन्द्र स्थापित कर दिया गया है और इसके जल्दी ही चालू हो जाने की आशा है। चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में औरंगाबाद/जलगाँव क्षेत्र में एक रेडियो केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है। इस प्रायोजना को कार्यान्वित करने के लिये विदेशी मुद्रा और आवश्यक साधनों के उपलब्ध होने पर हाथ में लिया जायेगा।

चतुर्थ योजना के प्रथम वर्ष में महाराष्ट्र के लिए नियत की गई राशि

3682. **श्री देवराव पाटिल**: क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में उसकी क्रियान्विति के लिये महाराष्ट्र राज्य के लिये कितने धन की व्यवस्था की गई ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में धन के इस नियतन में से महाराष्ट्र राज्य को वस्तुतः कितनी धन-राशि दी गई?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी):

(क) 25.50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।

(ख) उपर्युक्त आँकड़ों के विपरीत अब तक राज्य सरकार के दावों की स्वीकार्य राशि 25.36 करोड़ रुपए तक है।

अहमदाबाद से "टाइम्स आफ इण्डिया का तीसरा संस्करण"

3683. **श्री चं० चु० देसाई:** **श्री रा० की० अमीन :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 'टाइम्स आफ इण्डिया ने अहमदाबाद से अपना तीसरा संस्करण प्रकाशित करने के लिये घोषणापत्र पेश किया है;

(ख) क्या टाइम्स आफ इण्डिया ने इस कार्य के लिये समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार से अनुमति माँगी है;

(ग) क्या समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार ने आवश्यक अनुमति दे दी है;

(घ) क्या टाइम्स आफ इण्डिया की इस योजना के विरोध में गुजरात के छोटे और मध्यम समाचारपत्रों ने कोई अभ्यावेदन अथवा पत्र सरकार को भेजा है; और

(ङ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क): जी, हाँ।

(ख): वर्तमान रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स एक्ट, 1867 की धारा 6 के अन्तर्गत, समाचार-पत्र के नाम के लिए समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रस्तावित समाचार-पत्र उसी मालिक द्वारा प्रकाशित किया जाना है, जो उसी नाम से उसी भाषा में, विभिन्न स्थानों से समाचार-पत्रों को प्रकाशित कर रहे हैं। अखबारी कागज के लिये भी समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1967–68 के लिए अखबारी कागज के आवंटन सम्बन्धी नीति के अनुसार किसी भी यूनिट के स्वीकृत कोटे में से नए समाचार-पत्र प्रकाशित किए जा सकते हैं।

(ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) : जी, हाँ।

(ङ) : वर्तमान कानून के अन्तर्गत सरकार के लिए मामले में कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है, परन्तु सरकार द्वारा नामजद डायरेक्टरों से परामर्श किया जायेगा।

'टाइम्स आफ इण्डिया' का विस्तार

3684. **श्री चं० चु० देशाई** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'टाइम्स आफ इण्डिया' के मामलों तथा उसकी विस्तार-योजनाओं के बारे में सरकार द्वारा नामनिर्देशित अध्यक्ष तथा निदेशकों से कोई सरकार को प्रतिवेदन मिला है; और

(ख) क्या सरकार द्वारा नामनिर्देशित निदेशकों ने जनतंत्रवादी समाचारपत्रों का स्वस्थ विकास करने के बोर्ड के सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्यवाही की है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) : मेसर्स बैनट कौलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष को, जो 'टाइम्स ऑफ इन्डिया' के मालिक हैं और उसपर नियंत्रण रखते हैं, कम्पनीज़ एक्ट, 1956 की धारा 403 के अन्तर्गत कम्पनीज़ ट्रिब्यूनल के द्वारा नियुक्त किया गया था। वह सरकार द्वारा नामजद नहीं किए गए थे। कम्पनीज़ एक्ट, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत सरकार ने निदेशकों के बोर्ड में दो निदेशक नियुक्त किए हैं।

सरकार को मैं० बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी, लिमिटेड से टाइम्स आफ इण्डिया की विस्तार योजनाओं के बारे में कोई पत्र नहीं मिला है। सरकार को टाइम्स आफ इण्डिया के अहमदाबाद से नए संस्करण छपने की सूचना मिली है। नामज़द निदेशकों से यथासमय परामर्श किया जायगा।

आकाशवाणी के कार्य-भारित कर्मचारी

3685. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कार्य-भारत कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करने के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) : जी, हाँ।

(ख) : 80 प्रतिशत औद्योगिक कार्य-भारित पद नियमित पदों में बदले जा रहे हैं और उनपर कार्य-भारित कर्मचारियों को लगाया जाएगा जो रोजगार कार्यालयों की मार्फत भर्ती किए गए थे और जो आकाशवाणी में कार्य भारित कर्मचारी के रूप में नियुक्ति के समय उस ऊपरी आयु सीमा के अन्दर थे जो उन नियमित पदों के लिये निधारित हैं जिन पर वे नियमित रूप से लगाए जाने हैं।

(ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी में कार्यभारित कर्मचारी

3686. **श्री अब्दुल गनी दार**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 29 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 711 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्य-भारित कर्मचारियों को नियमित पदों पर लगाने के लिये नियत पद बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) और (ख): आकाशवाणी के ईस्टर्न प्रोजेक्ट सरकल और वेस्टर्न प्रोजेक्ट सरकल में चौकीदार के पाँच-पाँच नियमित पद बना दिए गए हैं। कार्य-भारित कर्मचरियों को नियमित रूप से लगाने के लिये अन्य श्रेणियों में भी नियमित पद बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

ब्रोडकास्टर्स एण्ड टेलीकास्टर्स गिल्ड

3687. **श्री मधु लिमये**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आल इण्डिया रेडियो ब्राडकास्टर्स एण्ड टेलीकास्टर्स गिल्ड के एक मंत्री, मुद्रा राक्षस तथा अन्य सदस्यों और पदाधिकारियों को कार्मिक संघ में भाग लेने के कारण परेशान किया गया है;

(ख) क्या कोई आरोपों की सूची दी गई थी; और

(ग) क्या कोई जाँच की गई थी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) से (ग): इस दोषारोपण में कोई तथ्य नहीं है कि श्री मुद्रा राक्षस तथा आल इंडिया रेडियो ब्रोडकास्टर्स एण्ड टेली कास्टर्स गिल्ड के अन्य सदस्यों और पदाधिकारियों को कार्मिक संघ में भाग लेने के कारण परेशान किया गया है। श्री मुद्राराक्षस की हाल ही में चण्डीगढ़ बदली की गई परन्तु यह प्रशासनिक दृष्टिकोण से जनहित में की गई।

जम्मू तथा श्रीनगर के आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा राज्य में सत्तारूढ़ दल सम्बन्धी समाचारों का प्रचार

3688. **श्री गुलाम मुहम्मद बक्शी**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीनगर तथा जम्मू स्थित आकाशवाणी केन्द्रों से राज्य के सत्तारूढ़ दल के निदेशों तथा इच्छाओं के अनुसार उस दल से सम्बन्धित समाचार प्रसारित किए जाते हैं;

(ख) क्या आकाशवाणी का यह रवैया उन विरोधी दलों के लिये अहितकर साबित हुआ है जिनके बारे में स्थानीय समाचारपत्रों में शिकायतें प्रकाति हुई हैं तथा जिनके बारे में लिखित रूप में सम्बन्धित मंत्री महोदय को बताया गया है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क): जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Conversion of Hindus in West Pakistan

3689. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Muslims and Christians are converting Hindus belonging to Bhil Koli and Meghwal communities in Sagaddhar Parkar and Bahawalpur in West Pakistan on the Rajasthan border ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

The Prime Minister. Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimarti Indira Gandhi):

(a) Government have no information regarding the alleged conversion of Hindus belonging to Bhil Koli and Meghwal communities in Sagaddhar Parkar and Bahawalpur in West Pakistan on the Rajasthan border to Islam or Christianity.

(b) Does not arise.

ब्रिटिश सेना से सेवामुक्त गोरखा सैनिक

3690. **श्री शारदा नन्द : श्री ना० स्व० शर्मा :**
श्री श्रीचन्द गोयल : श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय के फलस्वरूप कि मलयेशिया और सिंगापुर से ब्रिटिश तथा गोरखा सैनिक हटाये गए; ब्रिटिश सेना से 14,000 से अधिक गोरखा सैनिक सेवा मुक्त हो जायेंगे;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन गोरखा सैनिकों के परिवार भारत में है उनको उचित नौकरी ढूंढने में बड़ी कठिनाई हो रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो उनको उचित नौकरी दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :
(क) जी नहीं। जो भी हो, भारत सरकार का इस मामले से सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका सीधा संबंध तो नेपाल और यूनाइटेड किंगडम की सरकारों से है।

(ख) और (ग) : 1947 के त्रिपक्षीय समझौते के अन्तर्गत, यूनाइटेड किंगडम में महामहिम की सरकार को केवल उन्हीं गोरखों को भरती करने की इजाजत दी गई थी जो कि नेपाली राष्ट्रिक थे। इन परिस्थितियों में भारत सरकार का इससे कोई सीधा संबंध नहीं है।

आल इंडिया रेडियो ब्राडकास्टर्स एण्ड टेलीकास्टर्स गिल्ड

3691. **श्री मधु लिमये** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आकाशवाणी के अधिकारियों द्वारा आल इंडिया रेडियो ब्राडकास्टर्स एण्ड टेलीकास्टर्स गिल्ड की एक प्रतिस्पर्धी कार्मिक संघ, जिसने पंजीयन के लिये आवेदन-पत्र दिया है, बनाने के प्रयासों के बारे में 25 अक्तूबर, 1967 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) जी, हाँ। परन्तु रिपोर्ट निराधार है। आकाशवाणी के अधिकारियों ने आल इंडिया रेडियो ब्राडकास्टर्स एण्ड टेलीकास्टर्स गिल्ड की एक प्रतिस्पर्धी यूनियन स्थापित करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। ब्राडकास्टर्स एण्ड टेलीकास्टर्स गिल्ड की स्थापना आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की एसोसिएशन के सदस्यों में फाटन होने से हुई। उक्त गिल्ड के ट्रेड यूनियन के रूप में रजिस्टर्ड हो जाने के बाद पहले वाली यूनियन के सदस्यों ने भी अपनी यूनियन ट्रेड यूनियन के रूप में रजिस्टर्ड करा ली।

International Friendship Organisations

3692. **Shri Molahu Prasad.** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of institutions like Indo-Nepal Friendship Organisation which are directly connected with foreign embassies/countries working in India ;

(b) the nature of financial assistance given to these organisations ;

(c) whether any audit of the grants given to such organsation is made ; and

(d) the benefits that accrue to India as a result of the functioning of these organisations?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi)

(a) There are about 46 International Friendship Organisations in India some of which are in touch with foreign Embassies/Countries.

(b) and (c) No financial assistance is given by Government to these organisations. The question of audit therefore does not arise.

(d) These organisations create goodwill, promote and develop friendly relations in educational, cultural, economic and social fields.

छावनी क्षेत्रों में भूमि का स्वामित्व

3693. **श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व के बारे में गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा 1836 में जारी समामन्य आदेश संख्या 179 में अन्य शर्तों के साथ एक शर्त यह भी है कि एक अंग्रेज अपनी भूमि दूसरे अंग्रेज को बिना संकोच हस्तान्तरित कर सकता है परन्तु किसी भारतीय को नहीं कर सकता ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से इस आदेश में संशोधन करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) गवर्नर जनरल इन कौन्सिल द्वारा 12 सितम्बर 1836 को जारी किया गया जनरल आदेश संख्या 179 "गोरा" परिभाषा का प्रयोग सैनिक छावनियों में सरकारी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के प्रत्याशित क्रेता या विक्रेता के तौर पर नहीं करता।

तदपि, अन्य बातों समेत आदेश का अभिप्राय है कि जब 5000 रुपए से अधिक की सम्पत्ति का स्वामित्व किसी "देशीय" को अन्तरित करना प्रस्तावित हो सरकार की पूर्वानुमति लेना चाहिए।

(ख) चूंकि उक्त आदेश बहुत पुराना था, वह विभिन्न कारण बताना संभव नहीं है, जिनके कारण गवर्नर जनरल इन कौन्सिल विनियमों में उक्त धारा शामिल करने के लिए प्रभावित हुए थे।

(ग) भारतीय नागरिकता के आधार पर इस समय किसी प्रकार का भिन्न भेद नहीं बरता जाता, क्योंकि इन विनियमों के अन्तर्गत कोई ग्रांट सम्पन्न नहीं की जाती।

भारत और बल्गेरिया के बीच औद्योगिक सहयोग

3694. **श्री य० अ० प्रसाद:** **श्री वेदव्रत बरुआ:**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत और बेल्गेरिया के बीच औद्योगिक सहयोग में वृद्धि करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये एक संयुक्त आयोग अथवा समिति को स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या ब्यौरा है?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) और (ख): भारत और बल्गारिया की सरकारें दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को और बढ़ाने के उद्देश्य से एक सम्मिलित समिति बनाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये राजी हो गई हैं। सम्मिलित समिति स्थापित करने का निर्णय करने से पूर्व, इस बात की विस्तृत जाँच और आँकलन किया जाएगा कि सहयोग वृद्धि की कितनी सम्भावना है।

Trained Officers in Army

3695. **Shri O. P. Tyagi.** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are experiencing shortage of trained officers in the army and are recalling the retired officers ; and

(b) if so, the reasons for retrenching Emergency Commissioned Officers?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh):

(a) There is some shortage of officers in the Army but Government have adjusted their recruitment programme of Permanent Commissioned and Short Service Commissioned Officers suitably to ensure that the efficiency and strength of the officers' cadre is not adversely affected. Retired officers are not recalled but only re-employed.

(b) There is no relation between re-employment of retired officers and the release of Emergency Commissioned Officers. Re-employment of officers is made only in such staff appointments and other jobs which require considerable professional experience and ability. Emergency Commissioned officers are, however, considered for grant of Permanent Commission and such of them who are found suitable are absorbed on permanent basis.

Assistance to Congo

3696. **Shri Bhogendra Jha:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the white army contingents under the Portugese control invaded the Congolese territory ;

(b) if so, whether Government propose to give any material assistance to Congo, apart from political and diplomatic support ; and

(c) if so, the nature of assistance to be given and whether the Government of Congo has been apprised of the same?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) It appears to have been established that an armed troop of white mercenaries entered and attacked Congolese territory from the Portuguese controlled territory of Angola. The Government of the Democratic Republic of the Congo accused Portugal of collusion with the mercenaries aimed at overthrowing the established order in the Congo. It is not known whether the mercenaries were actually under Portuguese control or whether their activity was merely facilitated by permitting them to operate from a base in Angola.

(b) and (c): The Government of India have given full political and diplomatic support and have voted in favour of the resolution sponsored by the Afro-Asian group in the Security Council on November 15, 1967. That resolution took cognizance of the fact that Portugal had allowed these mercenaries to use the territory of Angola as a base for armed attacks against the Democratic Republic of the Congo and called upon Portugal to immediately cease giving any assistance whatsoever to the mercenaries. The resolution also condemned Portugal's failure to prevent the mercenaries from using Angola to mount these attacks in violation of earlier Security Council resolutions.

No material or military assistance was requested either by the Congo or by the United Nations Organisation. The question of rendering any such assistance did not, therefore, arise.

The disturbances launched by mercenaries in the North-East Congo as well as in Katanga from Agola have long since been quelled.

शेख अब्दुल्ला की रिहाई

3697. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री ने 17 अक्तूबर, 1967 को बम्बई में एक प्रेस सम्मेलन में शेख अब्दुल्ला को रिहा किए जाने की वकालत की और कहा है कि "मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूँ कि शेख अब्दुल्ला को रिहा करने का यह उचित समय है और मैं आशा करता हूँ कि उनको शीघ्र ही रिहा कर दिया जायेगा" ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में यदि सरकार की कोई प्रतिक्रिया है तो क्या ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) :

(क) और (ख) : श्री कुरेशी से जब संवाददाताओं ने श्री शेख अब्दुला की रिहाई के बारे प्रश्न किया तो उन्होंने कहा:

"हम शेख अब्दुल्ला को अनिश्चित काल के लिये कारावास में नहीं रखना चाहते हैं और हमें उन्हें कभी न कभी रिहा करना ही पड़ेगा। कब, यह मैं नहीं कह सकता।"

उप-मंत्री की मंशा सरकार की नीति के खिलाफ कोई विचार व्यक्त करने की नहीं थी। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि शेख अब्दुल्ला को नजरबन्द करना अरुचिकर आवश्यकता है।

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

3698. **श्री गणेश:** **श्री प्रेमचन्द वर्मा:**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में अत्यधिक पिछड़े हुए क्षेत्र कितने हैं और उनके नाम क्या हैं; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में इन क्षेत्रों के तेजी से विकास के लिये क्या अस्थायी कार्यक्रम बनाया गया है?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

(क) जिन जिलों या तालुकों को राज्य सरकारों ने बहुत पिछड़ा हुआ निर्धारित किया है, उन्हें दर्शाते हुए एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। (**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1940/67**)।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा विशिष्ट कार्यक्रम अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

Irregularities in Funds Collected for N.D.F.

3699. **Shri Ram Singh Ayarwal:** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an official of the sub-Area Headquarters and a staff officer of Madhya Pradesh embezzled a sum of Rs. 85,000 belonging to the National Defence Fund ;

(b) whether any investigations have been conducted by Government into this case ; and

(c) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh):

(a) Two Army officers (a former Sub-Area Commander, Madhya Pradesh, and a Staff Officer) and a civilian employee (Personal Assistant of the Sub-Area Commander) are alleged to have been involved in embezzlement of a sum of about Rs. 76,000 - out of the amounts collected by them for the National Defence Fund and the Troops' Welfare Fund.

(b) The case was investigated first by Army authorities and thereafter by the Special Police Establishment.

(c) Both the Army officers and the civilian employee are being prosecuted in a Court of Law.

आल इंडिया रेडियो ब्राडकास्टर्स एण्ड टेलीकास्टर्स गिल्ड

3700. **श्री मधु लिमये:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के कलाकारों ने दिल्ली में एक कार्मिक संघ बनाया है और भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के लिये आवेदन पत्र दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस आल इंडिया रेडियो ब्राडकास्टर्स एण्ड टेलीकास्टर्स गिल्ड का पंजीयन कर दिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) और (ख): तथ्य यह है कि स्टाफ आर्टिस्टों की एसोसियेशन में पटित होने से दो यूनियन बनीं। एक ब्राडकास्टर्स एण्ड टेलीकास्टर्स गिल्ड के नाम से जो 14 नवम्बर, 1967 में ट्रेड यूनियन के रूप में पंजीकृत हुई और दूसरी आल इंडिया रेडियो स्टाफ आर्टिस्ट यूनियन के नाम से जो 16 नवम्बर, 1967 को ट्रेड यूनियन के रूप में पंजीकृत हुई।

उड़ीसा के लिए ग्रामीण औद्योगिक परियोजना

3701. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967–68 और 1968–69 में उड़ीसा में ग्रामीण औद्योगिक परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जाने की आशा है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या इस प्रश्न पर सरकार द्वारा निकट भविष्य में विचार किए जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) :

(क) नई ग्रामोद्योग परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रामोद्योग परियोजना कार्यक्रम की मूल्यांकन-रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर इस कार्यक्रम के विस्तार के प्रश्न पर विचार किया जाएगा, यह रिपोर्ट शीघ्र ही आने वाली है।

श्री फिजो को पाकिस्तान आने का निमंत्रण

3702. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने गुप्तवार्ता के लिये श्री फिजो को आमंत्रित किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) :

(क): इस विषय पर भारत सरकार के पास सूचना नहीं है। लेकिन सरकार को मालूम है कि फिजो और उसके कुछ साथी पाकिस्तान से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

(ख) : नागालैण्ड भारत संघ का अभिन्न अंग है और भारत सरकार अपने आन्तरिक मामलों में कोई विदेशी हस्तक्षेप न होने देने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है।

साम्यवादी नेताओं को पारपत्र दिया जाना

3703. **श्री इन्द्रजीत** गुप्त : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्यवादी दल (मार्किस्ट) के बहुत से नेताओं ने विदेशों का दौरा करने के लिए पारपत्र के लिये आवेदन-पत्र दिया है;

(ख) प्रार्थियों के नाम क्या हैं और उन्होंने किन-किन देशों में जाने की अनुमति माँगी है; और

(ग) क्या ऐसे कोई आवेदन पत्र अस्वीकार किए गए हैं और यदि हाँ, तो किस आधार पर ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कुछ सदस्यों ने हाल ही में विदेशों की यात्रा के लिए पासपोर्ट की सुविधाओं के लिए प्रार्थना-पत्र दिए थे।

(ख) इन सदस्यों के नाम और उन देशों के नाम जहाँ जाने के लिये उन्हें पासपोर्ट की सुविधाएं प्रदान की गई ;

नाम	देश
1. श्री प्रमोद दास गुप्ता	रूमानिया, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम
2. श्री एम० बसावापुनैया	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, रूमानिया जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस और यूनाटेड किंगडम
3. श्री हरकिशन सुरजीत	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, यूनाइटेड किंगडम, स्विटजरलैण्ड और फ्रांस ।

(ग) कोई भी प्रार्थना-पत्र अस्वीकार नहीं किया गया लेकिन श्री प्रमोद दास गुप्ता को अल्बानिया के लिए पृष्ठांकन नहीं किया गया।

Plan for Madya Pradesh

3704. **Shri G. C. Dixit:** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the amount allocated for the development of backward areas in Madhya Pradesh during 1966-67 ; and

(b) the manner in which the amount has been utilised by the State Government during the above period ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) and (b): The Central Government did not allocate any specific amount to any State for the development of backward areas during the year 1966-67 as such areas were identified only towards the close of the last year. The Government of Madhya Pradesh has not yet identified markedly backward areas in the State on the basis of selected indicators of regional development as suggested by the Planning Commission.

मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक

3705. **श्री गं० च० दीक्षित:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में इस समय भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है;

(ख) उनको रोजगार दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उनमें से कितने भूतपूर्व सैनिक अभी तक बेकार हैं?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह):

(क) (सेवा कर रहे सैनिकों के कुटुम्बों और निधन प्राप्त सैनिकों के कुटुम्बों की संख्या के अतिरिक्त) मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 53383 है।

(ख) जैसे कि अन्य राज्यों की हालत में, भूतपूर्व सैनिको के आवास के लिए निम्न रियायतें और सुविधायें प्राप्त की जाती हैं:—

(1) सशस्त्र सेनाओं से उनकी नियुक्ति के 6 मास पहले उन्हें उनके चुनाव के काम-दिलाऊ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन की अनुमति।

(2) काम दिलाऊ कार्यालयों द्वारा असैनिक रोजगार के लिए तृतीय वर्ग की प्राथमिकता प्रदान किया जाना।

(3) जहाँ आवश्यक हो, सस्शस्त्र सेवाओं, उनकी सेवावधि तथा 3 वर्ष की अनुग्रह अवधि के बराबर आयु में छूट।

(4) चतुर्थ श्रेणी स्थानो में नियुक्ति के लिए कम से कम शिक्षा योग्यताओं में छूट।

(5) रक्षा संस्थानों और सुरक्षा स्थानों के लिए, कि जिनके लिए उन्हें विशेष पृष्ठभूमि प्राप्त होती है, उन्हें तरजीह देना।

(6) 1–7–66 से सर्वप्रथम दो वर्षों के लिए तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी स्थायी स्थानों में क्रमशः 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत रिक्त स्थानों का सुरक्षण।

(7) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में व्यवसायिक प्रशिक्षण, जिनके लिये 5 प्रतिशत स्थान भूतपूर्व सैनिकों के लिए छात्रवृत्ति समेत सुरक्षित रखे जाते हैं।

(8) अध्यापकों के तौर पर प्रशिक्षण के लिए तरजीह।

(9) ट्रेक्टर तथा कृषि फार्म मशीनें चलाने में प्रशिक्षण।

(10) उनके रेजिमेंटल केन्द्रों के निकटस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कई चुने-चुने व्यवसायों में प्रतिवर्ष 3000 सेना सेविवर्ग के लिए सेवा से विमुक्ति से पहले प्रशिक्षण।

(ग) काम दिलाऊ कार्यालयों के आँकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 30–6–67 को उनके चालू रजिस्टरों में 1090 भूतपूर्व सैनिक थे।

रूसी दूतावास द्वारा कागज का आयात

3706. **श्री कंवर लाल गुप्त:** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में रूसी दूतावास तथा उससे सम्बद्ध कार्यालयों ने कितने कागज का, जिसमें अखबारी कागज भी शामिल है, आयात किया;

(ख) पिछले तीन वर्षों में रूसी दूतावास तथा उससे सम्बद्ध कार्यालयों ने रूस से कितने मूल्य की पुस्तकों का आयात किया;

(ग) पिछले तीन वर्षों में रूसी दूतावास की कागज की वार्षिक खपत कितनी रही है;

(घ) क्या रूसी दूतावास रूस से कागज और पुस्तकों का आयात सीधे करता है अथवा किन्हीं एजेन्टों अथवा एजेंसियों के माध्यम से; और

(ङ) यदि हाँ, तो उन एजेंसियों के नाम क्या हैं?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी): (क) से (ङ): आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सुलभ होने पर यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

इलेक्ट्रानिक का सामान बनाने का तीसरा कारखाना

3707. **श्री रामकृष्ण गुप्त:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

इलेक्ट्रानिक का सामान बनाने का तीसरा कारखाना स्थापित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० न० मिश्र): नई फैक्टरी का प्रायोजन हाल ही में शुरू किया गया है। भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० जो इस काम को हस्तगत कर रहे हैं, आशा है प्रायोजना रिपोर्ट मध्य 1968 तक सम्पूर्ण कर लेंगे।

Peacock Throne

3708. **Shri O. P. Tyagi : Shri Raghuvir Singh Shastri :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Peacock Throne of the Moghul period, which was carried away from Delhi by Nadir Shah is in the royal court at Teheran ; and

(b) if so, the efforts made by Government to get back the said Throne?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

(a) There is a wide divergence of opinion amongst historians about the fate of the original Peacock Throne. George N. Curzon in his memoir "Persia and the Persian Question" (1892) concludes that the present Tehran Throne is **not** the original one of the Great Moghuls. Dr. R. C. Majumdar also agrees with this view.

(b) Does not arise.

तूफान सम्बन्धी फिल्म

3709. **श्री रवि राय:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में अक्तूबर के महीने में उड़ीसा के पुरी, कटक तथा बालासोर जिलों में आये तूफान से हुई तबाही के बारे में एक वृत्तचित्र बनाने का सरकार विचार कर रही है, ताकि भारत के लोगों के साथ हुई इस दुःखद घटना की जानकारी दी जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो यह वृत्त चित्र कब तक तैयार हो जायेगा और इसका प्रदर्शन कब किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) और (ख) : जनता का ध्यान तुरन्त आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को साप्ताहिक न्यूज रीलों में स्थान दिया जाता है। तूफान से हुई तबाही को भारतीय न्यूज रिव्यू 993, जसको 20 अक्तूबर, 1967 के सारे भारत में प्रदर्शित करने के लिये रीलीज किया गया, में दिखाया गया था। वृत्त चित्रों को पूर्व नियोजित कार्यक्रम के आधार पर बनाया जाता है और इनको पूरा करने में काफी समय लगता है।

फिल्म सेंसर बोर्ड

3710. **श्री रवि राय:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्यों का चयन करने का आधार क्या है; और

(ख) वर्तमान फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) : नीति यह है कि उन ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को, जो पत्रकारिता, शिक्षा, कला और संस्कृति, सामाजिक कार्य और फिल्म उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निपुण हों तथा जनता पर फिल्मों का प्रभाव आँकने में कुशल समझे जाते हों; नियुक्त किया जाए।

(ख) : बोर्ड में इस समय निम्नलिखित व्यक्ति हैं:—

संक्षिप्त विवरण

1. श्री बी० पी० भट्ट		अध्यक्ष
2. राजमाता विजया राजे सिन्धिया, महारानी, ग्वालियर,	सदस्य, विधान सभा	सदस्य
3. कुमारी ए० एम० नादकर्णी,	एम० ए० (साऊथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय-अमेरिका में सिनेमा-टोग्राफी का प्रशिक्षण लिया और फिल्म जाँच समित से सम्बन्धितरही)	सदस्य
4. श्री एस० एस० वसन, संसद सदस्य,	फिल्म निर्माता, निर्देशक	सदस्य
5. श्री बी० आर० मोहन, सदस्य विधान परिषद्,	उद्योगपति	सदस्य
6. श्री शामलाल,	सम्पादक, टाईम्स आफ इंडिया	सदस्य
7. श्री वी० आर० अग्रवाल,	एम० ए०, एल० एल० बी०, बार एट ला, एडवोकेट, सुप्रीमकोर्ट	सदस्य
8. श्री कर्ल जे० खांडलवाला,	बैरिस्टर एट ला- लेखक	सदस्य

प्रतिरक्षा व्यय

3712. **श्री उमानाथ:** **श्री ज्योतिर्मय वसु:**

श्री प० गोपालन: **श्री अ० क० गोपालन:**

श्री भोगेन्द्र झा:

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय प्रतिरक्षा योजना में प्रतिरक्षा व्यय बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) दूसरी पंचवर्षीय प्रतिरक्षा योजना में कुल कितना खर्च करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह):

(क) से (ग): 1967–69 की रक्षा योजना लगभग 5000 करोड़ रुपए तक के खर्च की समझी जाती है। 1966 से 1971 तक की अवधि संबंधी योजना के संशोधन और पुनः प्रावस्थित किए जाने के फलस्वरूप औटले 6000 करोड़ रुपए तक अनुमानित है। उपरोक्त दोनों आँकड़ों का अधिकतम कारण है अवमूल्यन, मूल्यों में वृद्धि, मंहगाई भत्ते में वृद्धियें इत्यादि।

Hindi News Bulletin

3713. **Dr. Surya Prakash Puri :** **Shri Raghuvir Singh Shastri :**

Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindi News Bulletin broadcast from the All-India Radio are the translated version of the English news bulletin ;

(b) whether it is also a fact that the news which are orginally prepared in Hindi, are in the first instance translated into English and broadcast after re.translating them from English to Hindi ; and

(c) if so, the reasons for not discontinuing this arrangement ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah):

(a) No, Sir. 13 out of 16 bulletins are directly prepared in Hindi. The Hindi Unit of the News Services Division prepares its own news bulletins out of the basic news material received by it. News material received in the Unit is suitably edited, summarised and recast.

(b) News received in Hindi from our correspondents posted in Delhi and at various State Capitals is edited direct from the Hindi copy.

(c) Does not arise.

Supply of News in Indian Languages to All India Radio

3714. **Dr. Surya Prakash Puri :** **Shri Shiv Kumar Shastri:**
Shri Raghuvir Singh Shastri : **Shri Ramji Ram:**
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether some News Committee of Indian languages has proposed to the All India Radio that it is prepared to supply news in the Indian languages for the news bulletins broadcast from the All India Radio ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah):

(a) Two Indian Languages News Agencies have requested for All India Radio subscribing to their services for the supply of news in Indian Languages.

(b) The matter is under consideration.

Supply of News by News Agencies

3715. **Dr. Surya Prakash Puri :** **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of English news agencies which supply their news to News Division of All India Radio ;

(b) the amount paid annually to these news agencies by the All India Radio separately for the supply of their news ;

(c) whether All India Radio also purchases news from any news agency of Indian Languages ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah):

(a) The two news agencies which supply news to All India Radio are Press Trust of India and the United News of India.

(b) The amount paid during 1966-67 to P.T.I. is Rs. 11.82 lakhs, and the U.N.I. Rs. 3 lakhs. The question of revising the rates of payment is under consideration.

(c) and (d) A proposal is at present under consideration to take news from an Indian language news agency also.

Kutch Tribunal

3716. **Dr. Surya Prakash Puri:** **Shri Shiv Kumar Shastri:**
Shri Prakash Vir Shastri:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state when the Kutch Tribunal is likely to deliver judgment on the Kutch Dispute?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : The Kutch Tribunal is expected to render its award early in February, 1968.

Children' Hospital in Kabul

3717. **Dr. Surya Pradash Puri:** **Shri Shiv Kumar Shastri:**
Shri Ram Avtar Sharma:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3556 on the 29th August, 1966 and state :

(a) the progress since made in the construction of the Children's Hospital in Kabul ; and

(b) when it will be constructed completely?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

(a) Architectural plans and other details have been finalised. It is expected that the construction activities will commence around May next year.

(b) Approximately two years after the commencement of construction activities.

संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता

3718. **श्री इसहाक सम्भली:** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव मि० उ० थांट ने संयुक्त राष्ट्र संघ में छोटे राष्ट्रों—माइक्रो स्टेट्स की सदस्यता की सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) : इस साल वार्षिक रिपोर्ट के प्राक्कथन में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, ऊ थांत, ने कहा है:

"सक्षम संगठनों के लिए यह समयोचित है कि वे संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता की शर्तों का सर्वांगीण और व्याख्यात्मक अध्ययन करें ताकि पूर्ण सदस्यता की आवश्यक सीमाएँ निर्धारित की जा सकें और संगठन संबधी अन्य स्वरूपों की परिभाषा भी दी जा सके जिसे "लघु राज्यों" और संयुक्त राष्ट्र संघ, दोनों को लाभ पहुँचे ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र के किसी सक्षम संगठन ने अभी तक इस मामले की छानबीन नहीं की है और ऐसी अवस्था में भारत सरकार के लिए इसपर अपने विचार प्रकट करना उचित नहीं है।

नेताजी के देहावसान के बारे में जाँच

3719. **श्री समर गुह:** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष कलकत्ता में नेताजी राष्ट्रीय संग्रहालय को नेताजी की तलवार भेंट करते समय एक प्रतिष्ठित जापानी सेनापति, जनरल फुजियारा ने घोषणा की थी कि

नेताजी सम्बन्धी रहस्यों के बारे में अन्तिम निर्णय पर पहुँचने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए किसी प्रयत्न में जापान सहर्ष सहयोग देगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि लोकसभा के एक भूतपूर्व सदस्य, श्री हरि विष्णु कामत, ने पिछले वर्ष फारमूसा के दौरे के बाद समाचारपत्रों को दिए गए एक वक्तव्य में कहा था कि फारमूसा सरकार 1945 में ताइपेह में नेताजी के विमान की कथित विमान दुर्घटना की जाँच कर रही है और वह उक्त मामले में भारत सरकार के साथ मिलकर जाँच करने के लिये तैयार है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार नेताजी सम्बन्धी रहस्य का अन्तिम निर्णय करने के लिए जापान तथा फारमूसा सरकार के साथ मिलकर एक नई जाँच समिति स्थापित करेगी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) सरकार ने उस बयान की खबरें अखबारों में देखी हैं जिसके बारे में यह बताया जाता है कि वह जनरल फुजीवारा ने दिया था जो कि अपनी निजी हैसियत से भारत की यात्रा पर आए थे।

(ख) सरकार ने उस बयान के बारे में भी अखबारों में खबरें देखी हैं जो कि श्री कामत का बताया जाता है।

(ग) सरकार ने पहले भी बताया है कि नए सिरे से जाँच-पड़ताल की जरूरत नहीं है क्योंकि शाहनवाज़ समिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट निर्णायक है।

नेताजी जाँच समिति

3720. **श्री समर गुह**: क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने उसके द्वारा स्थापित नेताजी जाँच समिति द्वारा लिए गए साक्ष्य, साक्षियों की जिरह के वृतान्त तथा इकट्ठी की गई अन्य सामग्री का केवल संक्षिप्त सार ही प्रकाशित किया था;

(ख) क्या यह सच है कि नेताजी अनुसंधान ब्यूरो (कलकत्ता) ने भारत सरकार को रिकार्ड, अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य के प्रयोजन के लिए नेताजी जाँच समिति को पूरे रिकार्ड की प्रतियाँ उपलब्ध कराने की प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने ब्यूरो की प्रार्थना मान ली है?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री, (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) जी हाँ। सरकार ने एक दस्तावेज़ प्रकाशित किया था जिसका नाम 'नेताजी इन्क्वाइरी कमेटी रिपोर्ट' था और जिसमें इस समिति के निष्कर्ष दिए गए थे।

(ख) जी हाँ।

(ग) नियमतः भारत सरकार नेताजी जाँच समिति से संबद्ध दस्तावेजों जैसे अपेक्षाकृत ताज़ा दस्तावेज़ों को जन सामान्य को नहीं देखने देती। सरकार ने निश्चय किया कि एक विशेष मामले के रूप में नेताजी रिसर्च ब्यूरो के एक सदस्य को इन दस्तावेज़ों के पढ़ने की इजाजत दी जा सकती है और अगर वह चाहे तो इस सामग्री में से नोट्स भी ले सकते हैं।

समाचार पत्र परिषद् द्वारा समाचारपत्रों के विरुद्ध कार्यवाही

3721. **श्री प्रेमचन्द्र वर्मा**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय समाचारपत्र परिषद् ने अपनी स्थापना के बाद अब तक किसी समाचार-पत्र के विरुद्ध राष्ट्र विरोधी लेख लिखने के सम्बन्ध में कार्यवाही की है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन समाचारपत्रो के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या कार्यवाही की गई है और उन्हें क्या दण्ड दिया गया है,

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठते। तथापि, एक कार्टून के विरुद्ध एक ऐसी शिकायत जिसमें कार्टून पर देश के सम्मान के लिए अभद्र और अपमानजनक होने का आरोप लगाया गया है, प्रेस परिषद् के विचाराधीन है।

समाचार ऐजेंसी को आर्थिक सहायता

3722. **श्री प्रेम चन्द वर्मा**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार समाचार एजेंसियों को बहुत बड़ी आर्थिक सहायता देती है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले वर्ष कितनी आर्थिक सहायता दी गई थी और प्रत्येक समाचार एजेंसी को कितनी-कितनी आर्थिक राशि की सहायता दी गई थी, और

(ग) क्या एक सरकारी समाचार एजेंसी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) और (ख) : नीति के तौर पर, किसी भी समाचार एजेंसी को सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाती। तथापि, टेलीप्रिंटर मशीनें तथा अन्य सामान खरीदने के लिये समाचार भारती को 75,000 रुपये ऋण पर दिए गए हैं, और यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया के लिए अपनी समाचार सेवाएँ मजबूत करने के हेतु, ऋण के रूप में 4 लाख रुपये दिए गए हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में अपना भवन बनाने के लिए प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया को 55 लाख रुपए का ऋण देने का भी निर्णय किया गया है।

(ग) सरकारी समाचार एजेंसी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली में टेलीविजन केन्द्र

3723. **श्री मयावन:** **श्री मरंडी:**

श्री हरदयाल देवगुण:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के टलीविजन केन्द्र में फिल्में तैयार करने के लिये एक फिल्म यूनिट खोला जायगा :

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसके लिये विदेशी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी;

(ग) क्या प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये किन्हीं व्यक्तियों को विदेश भेजा गया है; और

(घ) इस पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) जी, हाँ ।

(ख) जर्मनी के फेडरल गणराज्य की सरकार फिल्म यूनिट के लिए उपहार के रूप में साजसामान देने के लिए सहमत हो गई है।

(ग) सरकार ने टेलीविजन के लिए फिल्मों के बनाने में प्रशिक्षण के लिए विदेशों को कोई प्रस्ताव नहीं भेजे हैं। तथापि, भारतीय लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए जर्मनी के फेडरल गणराज्य की सरकार एक साऊंड इंजीनियर और एक प्रोसेसिंग इंजीनियर को एक-एक साल के लिए और कार्यक्रम तैयार करने के एक विशेषज्ञ को 9 महीने के लिए भेजने के लिए सहमत हो गई है।

(घ) फिल्म यूनिट के साज-सामान के मूल्य का अभी पता नहीं है। सरकार को फुटकर खर्चे करने होंगे जिनमें सीमा शुल्क, स्थापना खर्च, स्थानीय वस्तुओं के खरीदने, आदि खर्च और तीन जर्मन विशेषज्ञों के आवास और उनके स्थानीय ट्रांसपोर्ट का खर्च शामिल है। इन सब पर 3 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है।

Damage Caused by Israeli Forces to Indian Ship

3725. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have demanded compensation for the damage caused to Indian Cargo Ship "Jayanti" by the Israeli forces from the Government of Israel ; and

(b) if so, the reaction of the Government of Israel thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की शिकायतों की जाँच के बारे में मसानी समिति का प्रतिवेदन

3726. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया:** **श्री वेदव्रत बरुआ:**

श्री य० अ० प्रसाद: **श्री रा० रा० सिंह देव:**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टाफ आर्टिस्टों की शिकायतों पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई मसानी समिति में स्टाफ आर्टिस्टों का कोई प्रतिनिधि नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके कल्याण के बारे में निर्णय करने में किस प्रकार से उनका सहयोग प्राप्त करने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारणमंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) और (ख) : स्टाफ आर्टिस्टों की शिकायतों पर विचार करने के लिये इस प्रकार की कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है। परन्तु आकाशवाणी के वर्तमान स्टाफ के ढांचे की जाँच करने और उसमें परिवर्तन और सुधार के सुझाव देने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया गया है जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय और आकाशवाणी महानिदेशालय के कुछ अधिकारी हैं। कुमारी

एम० मसानी उप-महाननिदेशक (इंसपेक्शन) इस दल की मुखिया हैं। इनके कार्यों में स्टाफ आर्टिस्टों, नियमित प्रोग्राम कर्मचारियों, आदि की स्थिति पर विचार करना भी शामिल है। अतः जबकि अध्ययन दल में स्टाफ आर्टिस्टों को अलग से प्रतिनिधित्व देने की जरूरत नहीं है, अध्ययन दल को यह सलाह दी गई है कि वह स्टाफ आर्टिस्टों तथा नियमित प्रोग्राम कर्मचारियों की एसोसियशनों से उनके हितों के मामलों पर विचार विमर्श करे।

आकाशवाणी कलकत्ता के कार्यक्रम

3727. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री य० अ० प्रसाद : **श्री रा० रा० सिंह देव.**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के आकाशवाणी केन्द्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम भारत के उत्तरी भागों में सुनाई नहीं देते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या कलकत्ता में अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) किसी अन्य प्रादेशिक केन्द्र की तरह आकाशवाणी का कलकत्ता केन्द्र भी राज्य के श्रोताओं के लिए ही और सीमित हद तक इर्द गिर्द के राज्यों के पड़ोसी क्षेत्रों में कार्यक्रम देता है। इस विकास की अवस्था में अपने भाषाई प्रदेशों से बाहर रहने वाले श्रोताओं की जरूरतें पूरा करना संभव नहीं हो पाया है।

(ख) दो शक्तिशाली मीडियम वेव ट्रांसमीटर कलकत्ता में लगाए जा रहे हैं। इनमें से एक ट्रांसमीटर से पूर्व में पश्चिम बंगाल के और उससे पूर के सीमवर्ती क्षेत्रों के लिए प्रसारण कार्यक्रमों में सुधार होगा। दूसरा अति शक्तिशाली ट्रांसमिटर मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और भारत की उत्तरी सीमाओं पर के देशों को रात्रि में कार्यक्रम देने के लिए है, अगर्चे इसके कार्यक्रम देश के अधिकांश भाग में भी रात्रि के समय सुने जा सकेंगे।

संयंत्रों का आयात

3728. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री य० अ० प्रसाद : **श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ईंधन के तत्वों और परमाणु शक्ति केन्द्रों के लिये विभिन्न औद्योगिक संयंत्रों में परमाणु सामग्री तैयार करने के लिये संयंत्र और अन्य सामान का आयात करने पर प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : परमाणु सामग्री तैयार करने के लिये विभिन्न औद्योगिक कारखाने स्थापित करने के हेतु संयंत्र और सामग्री आयात करने पर तथा परमाणु शक्ति केन्द्रों पर 1966-67 में 2012.25 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय की गई थी।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में टैरीटोरियल डिवीजन

3729. **श्री कामेश्वर सिंह :** **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थिति का उचित मूल्यांकन करने तथा सुचारु रूप से काम करने के लिये वैदेशिक कार्य मंत्रालय में टैरीटोरियल डिवीजनों को मजबूत बनाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन परिवर्तनों की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) :

(क) और (ख) सुलभ वित्तीय साधनों के अन्तर्गत विदेश मंत्रालय के प्रादेशिक प्रभागों को अधिकारी स्तर पर सुदृढ़ करने की और उनमें परस्पर तथा अन्य संबद्ध मंत्रालय में बेहतर समन्वय स्थापित करने की कोशिशें की जा रही हैं।

प्रभाग प्रमुखों के दो पदों को निदेशक के स्तर से बढ़ाकर सह-सचिव के स्तर का बना दिया गया है। जिन प्रभागों में काम बढ़ गया है और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है वहाँ, कुछ फेर बदल करके, विशेष कार्य करने वाले अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जा रही।

चीन के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय राजनयिकों को आमंत्रित न करना

3730. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेकिंग में भारतीय राजनयिकों को 1 अक्तूबर 1967 को चीन के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री, (श्रीमती इंदिरा गाँधी):

(क) : जी हाँ।

(ख) : पेकिंग में चीन के राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष में आयोजित समारोहों से भारतीयों के निकाले जाने को भारत सरकार यह समझती है कि वह भेदभावपूर्ण तथा असामान्य राजनयिक व्यवहार है जिससे यह पता चलता है कि हमारे प्रति चीन का रवैया अमैत्रीपूर्ण है।

भारत में समाचार पत्र

3731. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 में देश में विभिन्न भाषाओं में कितने दैनिक समाचार-पत्र प्रकाशित किये जा रहे थे ;

(ख) इस समय प्रत्येक राज्य में कितने-कितने दैनिक समाचार पत्र-प्रकाशित हो रहे हैं;

(ग) ये किन-किन भाषाओं में प्रकाशित होते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) : 576

(ख) और (ग) : एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1941/67**]

सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर चलचित्र

3732. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में दिल्ली के लाल किले में हुए सरदार पटेल जयन्ती समारोह के अवसर पर और नई दिल्ली में मनाई गई लाल बहादुर शास्त्री जयन्ती के अवसर पर फिल्म डिवीजन ने चलचित्र बनाये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन चलचित्रों के प्रदर्शन की अनुमति सरकार ने नहीं दी ;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का पता लगा कर उन्हें दंड देने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) से (ग) : 1965 और 1966 में हुए सरदार पटेल जयन्ती समारोहों की फिल्में ली गई थीं जो क्रमशः 12 नवम्बर, 1965 के इंडियन न्यूज रिव्यू न० 942 और 11 नवम्बर, 1966 के इंडियन न्यूज रिव्यू न० 944 में रीलीज की गई थीं। 1967 में हुए समारोह की ली गई फिल्म को इस कारण रीलीज नहीं किया गया क्योंकि शाट तकनीकी रूप से दोषपूर्ण पाये गये।

1966 में हुई लाल बहादुर शास्त्री जयन्ती की फिल्म ली गई थी, परन्तु उसको उस सप्ताह के इंडियन न्यूज रिव्यू में रीलीज नहीं किया जा सका क्योंकि बचत करने के लिए इंडियन न्यूज रिव्यू की बम्बई में भारी कटौती करनी पड़ी थी।

इससे पूर्व 'होमेज टू लाल बहादुर शास्त्री' नामक फिल्म 6 जनवरी, 1967 को रिलीज की गई थी। शास्त्री की बरसी सम्बन्धी आयोजन की ली गई फिल्म 20 जनवरी, 1967 के इंडियन न्यूज रिव्यू नं० 954 में रिलीज की गई थी। शास्त्री जी के मरने पर "ए मैन आफ पीस" नामक एक अन्य फिल्म रिकार्ड रखने के उद्देश्य से बनाई गई थी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी विज्ञापन एजेंसियों से सहयोग

3733. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विज्ञापन एजेंसियों ने कुछ विदेशी एजेंसियों के साथ सहयोग करार कर रखा है ;

(ख) इस सहयोग के कारण पिछले तीन वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ उद्योगपति अपने विज्ञापन इन एजेंसियों के माध्यम से प्रकाशित करवाना पसन्द करते हैं, क्योंकि जब वे विदेशों में जाते हैं तो उन्हें विदेशी मुद्रा की अतिरिक्त सुविधाएँ मिलती हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी , हाँ। दो भारतीय विज्ञापन एजेंसियों का विदेशी एजेंसियों के साथ तकनीकी और वित्तीय सहयोग है।

(ख) कंपनियों द्वारा लाभ या लाभांश भेजने सम्बन्धी सूचना देना जनहित में नहीं है।

(ग) इस प्रकार की कोई बात नजर में नहीं आई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाकिस्तान के अवैध कब्जे में भारतीय क्षेत्र

3734. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 31 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1484 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्वालपाड़ा-रंगपुर क्षेत्र में बेरियाबाड़ी गाँव, सिल्हट क्षेत्र में लुबाचेरा चाय बागान का कुछ भाग, सुरमा नदी तथा नदी तल (सिल्हट-क्षेत्र) का कुछ भाग और अगरतला हवाई अड्डे के निकट भागलपुर गाँव देश के विभाजन के बाद भारत के कब्जे में थे परन्तु वे पाकिस्तान द्वारा ले लिये गये;

(ख) यदि हाँ, तो भारत सरकार ने किन परिस्थितियों में इन क्षेत्रों का कब्जा पाकिस्तान को दिया ;

(ग) सरकार ने इन क्षेत्रों को पाकिस्तान को सौंपने से पहले संसद की मंजूरी क्यों नहीं ली ; और

(घ) इन क्षेत्रों को पाकिस्तान से वापस लेने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) और (ख) : भागलपुर गाँव को छोड़कर ये सारे इलाके उन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मिलित रूप से सीमांकन करने से पहले पाकिस्तान के कब्जे में रहे है। लेकिन सम्मिलित सीमांकन के परिणाम-स्वरूप वे कानूनी तौर पर भारत के इलाके बन गए। आजकल वे पाकिस्तान सरकार के प्रशासन में है। इनका विनिमय उन इलाकों से किया जाना है जिनपर इसी तरह सीमांकन के बाद भारत का कब्जा है। 31-7-67 को सदन की मेज पर एक ब्यौरा रखा गया था, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में सीमांकन का वर्ष बताया गया है और वह उस क्षेत्र के विपरीत अधिकार की तारीख है क्योंकि उन तारीखों पर ही सीमांकन के बाद इस तरह का विपरीत अधिकार स्थिर किया गया।

भागलपुर गाँव के निकट का क्षेत्र ऊपर लिखे क्षेत्रों की कोटि में नहीं आता। 1958 के नेहरू-नून करार के अंतर्गत पाकिस्तान को त्रिपुरा राज्य की उस भूमि पर पक्का अधिकार मिल गया जो रेलवे लाइन के पश्चिम में पड़ती है और उस भूमि पर भी, जो भागलपुर में रेलवे लाइन के साथ लगती है। करार की अर्थ-व्याख्या पर एक असहमति हो गई है। इस इलाके का अभी सीमांकन नहीं किया गया है। एक काम-चलाऊ सैन्य सीमा करार के अंतर्गत पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में लगभग .006 वर्गमील भारतीय इलाके पर कब्जा किया हुआ है। यह बिलकुल अस्थायी प्रबंध है और इसके कारण इस इलाके पर भारत के दावे पर कोई आँच नहीं आती।

(ग) केवल सम्मिलित सीमांकन के कारण ये जो इलाके कानूनी तौर पर भारतीय इलाके बन गए ; अंतत भारत को हस्तांतरित किए जाने हैं। इन इलाकों पर पाकिस्तान का आजकल तथ्येन नियंत्रण केवल अस्थायी है और अस्थायी काम चलाऊ प्रबंध के अंतर्गत यह इसलिए स्वीकार कर लिया गया है कि सीमा पर तनाव पैदा न हो। भारत का कोई इलाका पाकिस्तान को नहीं दिया गया है और इस तरह ऐसा करने के लिए संसद की स्वीकृति लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सीमा का रेखांकन करने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि भारत और पाकिस्तान, दोनों के विपरीत अधिकार में पड़ने वाले क्षेत्रों का आदान-प्रदान जल्दी किया जा सके।

आयुध कारखानों में उत्पादन

3735. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो यह बोर्ड कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है; और

(ग) इस बोर्ड के सदस्य कौन-कौन होंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) से (ग) एक रक्षा उत्पादन बोर्ड 20-5-1964 को स्थापित किया गया था। बोर्ड के कार्य हैं निम्न विषयों संबंधी प्रस्तावों का निरीक्षण, उन पर सरकार को सलाह और सिफारिशें करना :—

(1) रक्षा उत्पादन में भावी योजनाएँ।

(2) सेवाओं और एक्जीक्यूटिव संगठनों उदाहरणतः डी० जी० ओ० एफ० इत्यादि के संबंध में प्रक्रिया की उपलब्धि, जहाँ तक इसका संबंध उत्पादन से है।

(3) खास पदार्थों, विशेष कर स्ट्रेटिजिक पदार्थों के संग्रह की नीति।

(4) रक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक नई मदों के उत्पादन की स्थापना।

(5) देशीय उत्पादन की स्थापना को समक्ष रखते इस समय आयात किये जा रहे रक्षा सामान, और

(6) अन्य समस्याएँ जो रक्षा उत्पादन क्षेत्र, मरम्मत, देखभाल, और संबंधित एक्सीक्यूटिव अधिकरणों जैसे कि डी० जी० ओ० एफ०, डी० ओ० इत्यादि की मरम्मत सम्पन्न क्रियाओं से संबंधित, इसे सौंपी जाएँ।

(2) आर्डिनेन्स फैक्टरियों में उत्पादन के सम्बन्ध में कोई अन्य उत्पादन बोर्ड स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

कानपुर में मिश्रित इस्पात कारखाना

3736. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में विशेष मिश्रित इस्पात का एक कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया।

(ख) संयन्त्र का आकार प्रकार, कि जो स्थापित किया जाएगा, निरीक्षण अधीन है।

परमाणु शक्ति के प्रयोग से उर्वरक का उत्पादन

3737. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु शक्ति विभाग ने परमाणु शक्ति की सहायता से उर्वरक बनाने की एक नई विधि का आविष्कार किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस विधि का प्रयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सूचना और प्रसारण के माध्यमों के बारे में चन्दा समिति के प्रतिवेदन

3738. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना तथा प्रसारण के माध्यमों सम्बन्धी चन्दा समिति के प्रतिवेदनों में की गई कितनी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं तथा कार्यान्वित की हैं और उनका ब्यौरा क्या है तथा जो सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं वे कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन सिफारिशों को स्वीकार किये जाने के अब तक क्या परिणाम निकले हैं और उसके परिणामस्वरूप दैनिक प्रसारण सेवा में किस प्रकार का अन्तर पड़ा है और उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शेष सिफारिशें स्वीकार करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) से (घ) "रेडियो और टेलीविजन" पर चंदा समिति की रिपोर्ट में कुल मिला कर 219 सिफारिशें थीं। इनमें से 197 सिफारिशों पर विचार किया जा चुका है और ऐसे चार विवरण, जिनमें इन सिफारिशों को स्वीकार करने या न करने के बारे में सरकार के निर्णय दिए गए हैं, पहले ही 24 अगस्त, 1966, 29 नवम्बर, 1966, 21 मार्च, 1967 और 21 नवम्बर, 1967 को लोक सभा की मेज पर रखे जा चुके हैं। शेष 22 सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं।

चंदा समिति की अन्य चार रिपोर्टों में निहित अधिकांश सिफारिशों पर विचार शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है और ऐसे विवरण, जिनमें इन सिफारिशों को स्वीकार करने या न करने के बारे में सरकार के निर्णय दिए हुए होंगें, लोक सभा की मेज पर रख दिए जाएँगे।

(ख) चंदा समिति की सिफारिशों को लागू करने के परिणामस्वरूप प्रसारण सेवा में जो बड़े परिवर्तन हुए हैं, वे इस प्रकार हैं:--

1. आकाशवाणी में उत्तरोत्तर विकेन्द्रीकरण हो रहा है विशेष कर कार्यक्रम सम्बन्धी मामलों में, और आकाशवाणी के केन्द्रों को कुछ अखिल भारतीय कार्यक्रमों और केन्द्रीय रूप से तैयार किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेने या न लेने की छूट दे दी गई है।
2. विभिन्न दृष्टिकोणों को निष्पक्ष रूप से पेश करने में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। वार्ता सूचियों की अब मुख्यालय में जाँच नहीं की जा रही है और केन्द्र अपने वार्ता कार्यक्रमों को योजना बनाने में स्वतंत्र है।
3. आडिशन पद्धति का शास्त्रीय संगीत को छोड़ कर, विकेन्द्रीयकरण कर दिया गया है।
4. एक अच्छी और आम स्वीकार्य समाचार नीति बनाई गई है। महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकट किए गए विभिन्न विचारों को समाचार बुलेटिनों में उचित स्थान दिया जाता है।

5. आकाशवाणी के समाचार विभाग को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दे दिए गए हैं।

6. टेलीविजन पर खेती सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

7. बम्बई, पूना और नागपुर केन्द्रों से विविध भारती पर व्यापारिक प्रसारण शुरू किए गए हैं।

दलाई लामा की विदेश यात्रा

3739. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दलाई लामा को किस प्रकार के पारपत्र पर विदेशों की यात्रा करने की अनुमति दी गई है और अब तक उन्होंने किन-किन देशों की यात्रा की है और प्रत्येक देश में कितनी-कितनी देर ठहरे हैं;

(ख) इस बात के लिये उन्हें कितनी विदेशी मुद्रा दी गई है और उनके साथ कितने व्यक्ति गये हैं;

(ग) विदेशों में दलाई लामा के साथ गये सरकारी अधिकारियों अथवा सलाहकारों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं और उन पर कितना खर्च किया गया है; और

(घ) किस उद्देश्य के लिये दलाई लामा को विदेशों की इस यात्रा पर जाने की अनुमति दी गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मती इंदिरा गांधी): (क) : परम पावन दलाई लामा अपनी निजी हैसियत से जापान और थाईलैंड की यात्रा पर गए थे। उन्हें एक तिब्बती के रूप में पहचान का प्रमाण-पत्र दिया गया था। वे जापान में 17 दिन रहे और थाईलैंड में 7 दिन।

(ख) और (ग) परम पावन की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा दे दी गई थी। सरकार परम पावन से संबद्ध आँकड़ों को ठीक-ठीक बताना रुचिकर नहीं समझती क्योंकि उन्हें, एक महान और पवित्र धार्मिक नेता के रूप में, इस देश की सरकार ने और जनता ने अतिथि करके माना है।

उनके साथ जापान 6 व्यक्ति गए थे और थाईलैंड 81 परम पावन और उनके दल का सारा खर्च, जिसमें यात्रा का खर्च भी शामिल है, आतिथियों ने उठाया था और इन यात्राओं पर भारत सरकार को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा था।

(घ) : इस देश के एक सम्मानित अतिथि के नाते, परम पावन जहाँ चाहें आने-जाने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्हें इजाजत देने का अथवा इजाजत न देने' का सवाल ही नहीं है।

(1) जापान की यात्रा पर उन्हें जापानी बुद्धिस्ट मिशनरी एसोसियेशन ने सांस्कृतिक यात्रा पर और तिब्बती कला दस्तकारी की प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए बुलाया था।

(2) थाईलैंड की यात्रा पर उन्हें वहां की बुद्धिस्ट एसोसियेशन ने धार्मिक यात्रा पर बुलाया था।

Aid from Germany

3740. **Shri Shashi Bhushan Bajpai : Shri B. K. Das Chowdhary :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the details of equipment being supplied by West Germany to India for establishing television units of All India Radio and the terms and conditions on which it would be available;

(b) the names of places where these Television Centres would be established and the time by which they are likely to be established?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :

(a) A statement is laid on the Table of the House. **(Placed in Library See. No. LT-1942/67).**

(b) Aid from the Federal Republic of Germany has been offered only for the Television Centre at New Delhi. The television studio, equipped with German gift equipment earlier, is functioning since August 15, 1965. The Film Unit is in the process of getting established and will be ready in a few months time. All will be based in Delhi.

Military Personnel Killed in Border Skirmishes

3741. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Indian Military personnel who were killed on the borders in the Rajasthan, Kashmir and East Pakistan in border Skirmishes with Pakistan and China during the period from August, 1966 to-date ;

(b) the number of Commissioned and non-Commissioned Officers amongst them ; and

(c) the amount of financial assistance given to their families?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) :

(a) The information is as under :

No. killed during Border Skirmishes with Pakistan since August 1966

Rajasthan	Kashmir	East Pakistan	Total
Nil	2	Nil	2

There were no clashes with China so far as the above Borders are concerned.

(b) Both the individuals killed were Other Ranks.

(c) Immediately on the death of an Other Rank in action, a compensation of Rs. 200/- is paid to the family out of the Army Relif Fund. In addition, special family pension and children allowance equal to 2/3rd of the basic pay last drawn by the deceased for a period of 7 years are admissible. Thereafter the payment is made at double the normal rates subject to a maximum of the basic paylast drawn. In cases where it is more favourable than the above, special family pension and children allowance is paid at $1\frac{1}{2}$ times the normal rates subject to a maximum of the basic pay last drawn. Death gratuity of Rs. 250/- is also paid to the family of a deceased Other Rank.

Officers and Jawans Declared Medically Unfit

3742. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Commissioned and Non-Commissioned Officers and jawans, separately who have been declared unfit for service by the Medical Board as a result of the Chinese and Pakistani conflicts in 1962 and 1965 respectively ;

(b) the number of military personnel who were wounded in the last two conflicts and are still in military service ; and

(c) whether some of the released military personnel are prepared for active military or civil service and if so, the action taken thereon?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra):

(a) The information is as under :

During Chinese Conflict 1962	Already invalided out	Likely to be invalided
Officers	Nil	Nil
JCOs, ORs and NCsE	179	Nil
During Pakistani conflict 1965		
Officers	3	4
JCOs, ORs and NCsE	346	350 (Approx)

(b) 363 in the Chinese conflict in 1962 and 7951 in the Pakistan conflict 1965.

(c) Military personnel are invalided when they are unfit for active military service. As such, the question of their re-joining the military service does not arise. Regarding their absorption in Civil Service, Government have made and are making efforts to find suitable civil jobs for them commensurate with their educational qualifications, experience and residual capacity or by arranging some vocational training for them so that, on the completion of the training they can earn their livelihood.

Military Officers sent Abroad for Medical Treatment

3743. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Commissioned Officers in Military service who have been sent to foreign countries for medical treatment since 1962 up-to-date ;

(b) whether the expenditure incurred on them was borne by Government or by the officers concerned ;

(c) the estimated expenditure incurred by Government thereon ; and

(d) the number of officers out of them who have come back to India and the number of those who are still in foreign countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) :

(a) Six.

(b) The expenditure for treatment abroad was borne either by Government or by grants from non-public funds such as National Defence Fund, Disabled Army Personnel, Widows' and Orphans' Fund except in one case when the officer went on his own ; he too was provided with free air travel in I. A. F. Courier.

(c) The approximate expenditure incurred by Government amounted to Rs. 9,000/-in terms of foreign exchange and Rs. 25,300/- in Indian currency.

(d) Four officers have returned to India. One is still in U. K. on the staff of Air Adviser's Department and one died in U. K.

News from Foreign Radios

3744. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of Indian languages in which news are broadcast by B.B.C. Radio, Germany, Saudi Arabia, U. A. R., Israel, Japan and Burma and the duration of these broadcasts ;

(b) the names of foreign languages in which news are broadcast by All India Radio ; and

(c) the action being taken by Government to augment the frequency and effectiveness for broadcasting of news in foreign languages?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :

(a) A statement is laid on the table of the House. **(Placed in Library. See No. LT-1943/67).**

(b) Besides English, the foreign languages in which news is broadcast by A .I.R. are Arabic, Afghan-Persian, Burmase, Cantonese, French, Indonesian, Thai, Nepali, Persian, Pushtu, Sinhala, Swahili and Tibetan.

(c) 20 out of a total of 38 news bulletins daily in the External Services of A.I.R. are in foreign languages, besides English. The frequency and duration of the news broadcats in the External Services to East, West, and South-East Asia are expected to be increased with the projected installation of Magawatt Transmitters at Calcutta and Rajkot, besides the introduction of some new services.

Atomic Power Projects

3745. **Shri Nihal Singh** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of Atomic Power Projects in the country and the number of employees working therein ;

(b) the number of new agriculture oriented inventions made by the scientists working in these factories ; and

(c) the names of implements invented alongwith their functions ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) Excluding those employed by contractors, the number of employees working in the different projects is shown against each :

Name of the Project	Number of Employes
Tarapur Atomic Power Project (entrusted to IGE (India) as the prime contractor)	362
Rajasthan Atomic Power Project (a significant portion of construction work is being undertaken by departmental staff) ..	1,712
Madras Atomic Power Project	208

(b) The scientists in the atomic power projects are not engaged in developing agriculture oriented inventions.

(c) Does not arise.

Hindi Publications Brought out by Indian Missions Abroad

3746. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the detils of monthlies, weeklies and dailies published in Hindi by each Mission abroad ;

(b) whether Goverament propose to issue directions to all Missions abroad to publish their journals and dailies in Hindi ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi)

(a) None.

(b) No, Sir.

(c) Publicity material issued by the Indian Missions abroad is intended for the local people, the majority of whom do now know Hindi..

Work done by Indian Embassies in Hindi

3747. **Sri Nihal Lingh:** Will the Minister of **External affairs** be pleased to state:

(a) Whether all the Indian Embassies abroad have started doing their work in Hindi; and

(b) the number of employees posted in each Embassy in different countries, to do work in Hindi ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy' Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

(a) No, Sir.

(b) There are Hindi knowing personnel in most of the Indian Missions abroad. We have two Hindi stenographers and one trained Hindi typist to work in Hindi at Kathmandu and Moscow respectively.

ब्रिटेन में भारतीयों को प्रविष्ट होने की मनाही

3748. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) वर्ष 1964–65 तथा 1966–67 में ऐसे कितने भारतीयों को, जिनके पास वैध कागजात तथा पासपोर्ट थे, ब्रिटेन में जाने नहीं दिया गया ; और

(ख) उसके क्या कारण थे ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) और (ख) : सदन की मेज पर एक वक्तव्य रखा जाता है। **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1944/67**

मिग विमानों में सुधार

3749. **श्री यज्ञदत शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में स्थापित किये जा रहे मिग उद्योग समूह में तैयार किये जाने वाले विमानों में सुधार लाने के लिये सरकार ने रूस की सरकार से अनुरोध किया है, ताकि यह विमान आधुनिकतम ढंग का बनाया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसके निर्माण के आयोजित कार्यक्रम में कोई परिवर्तन लाने का विचार किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) 1962 में यू० एस० एस० आर० से तय पाया करार भारतीय वायु सेना की आवश्यकताएँ जुटाने के लिए संशोधित मिग विमानों के निर्माण के लिए था।

(ख) शुरू से ही निर्माण संशोधित विमानों से संबंधित था। प्रायोजित उत्पादन शड्यू में किसी प्रकार का संशोधन प्रस्तावित नहीं है।

सुपरसैनिक विमान

3750. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड एच० एफ०-24 लड़ाकू विमानों का डिजाइन तैयार करके और उन्हें बना कर भारतीय वायु सेना की तात्कालिक आवश्यकता पूरी कर लेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो लड़ाकू विमानों के बारे में भारत के कब तक आत्मनिर्भर हो जाने की आशा है;

(ग) क्या एच० एफ० 24 विमान के लगभग एक-चौथाई पुर्जों का आयात किया जाता है; और

(घ) यदि हाँ, तो कितने समय बाद उनका आयात करने की आवश्यकता नहीं रहेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) अपनी श्रेणी में, एच० एफ० 24 पेक 1 भारतीय वायु सेना की फौरी आवश्यकताएँ जुटाने के लिए अभिप्रेत है।

(ख) से (घ) एच० एफ० 24 विमानों के संबंध में उसी छाप के साज़ सामानों की कुछ संख्या आयात की जाती है, और मूल्य में वह विमान की लागत के 30–35 प्रतिशत के बराबर है। देश में ही विमानों के सहायक कल पुरजों के निर्माण तथा खास पदार्थों जैसे कि अलुमीनियम निम्रवर्णों, फौलाद की ढाली गई वस्तुओं के निर्माण के लिए योजनाएँ विचाराधीन हैं। जब यह कार्यान्वित की गई, और औद्योगिक बेस का विस्तार किया गया आगामी वर्ष में अधिकतर मात्रा में आत्म-निर्भरता की आशा की जा सकती है; तदपि कुछ कलपुर्जों का आयात किया जाना जारी है और ऐसी दशा कुछ हद तक यू० के०, फ्रांस इत्यादि कुछ अधिक प्रगति देशों की भी है।

"इण्डिया विद् एण्ड विदाउट बंडर्स" नामक पुस्तक

3751. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी में लिखी गई, प्रकाशित हुई तथा खुले तौर पर परिचालित की गई पुस्तक "इन्डिया विद एण्ड विदआउट वंडर्स" में यह लिखा है कि 40 करोड़ भारतीयों के लिये धमन भट्टियाँ बनाने की अपेक्षा गैस चैम्बर बनाना बुद्धिमता का काम होगा; और

(ख) क्या सरकार ने इस पुस्तक के बारे में पश्चिम जर्मनी की सरकार को विरोधपत्र भेजा है और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) और (ख) सरकार ने इस पुस्तक के बारे में भारत के अखबारों में कुछ खबरें देखी हैं। पूछ-

ताछ करने पर सरकार को पता चला है कि यह प्रकाशन जर्मन भाषा में है और भारत में नहीं बिक रहा है। इस पुस्तक के बारे में बोन-स्थित भारतीय राजदूतावास से और सूचना मंगाई गई है।

राजदूतावासों की कारें

3752. **डा० रानेन सेन:**
श्री नायनार:
श्री ज्योतिर्मय बसु:
श्री उमानाथ:
श्री प० गोपालन:

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में विदेशी राजनयिक मिशनों को अपनी सी० डी० कारों की संख्या कम करने को कहा था;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने मिशनों ने इस अनुरोध को मान लिया है और उन्होंने कितनी कारें कम कर दी हैं; और

(घ) इस समय प्रत्येक राजदूतावास के पास कुल कितनी सी० डी० तथा अन्य मोटर गाड़ियाँ हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) सी० डी० कारों, मोटर-साइकिलों और स्कूटरों की कुल संख्या 1839 है। सदन की मेज पर एक ब्यौरा रखा जाता है जिसमें यह दिखाया गया है कि किस मिशन की कितनी सी० डी० कारें, मोटर-साइकिलें अथवा स्कूटर हैं [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1945/67**] विदेशी मिशनों की साधारण नम्बर वाली गाड़ियों के बारे में यानी जिन पर सी० डी० नम्बर प्लेट नहीं है, सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

Defence Research and Development Council

3753. **Shri Maharaj Singh Bharati :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have reconstituted the Defence Research and Development Council ; and

(b) if so, the changes made therein?

(The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra):

(a) Yes, Sir.

(b) To provide for greater scientific expertise in the Defence Research and Development Council, Dr. D. S. Kothari, Chairman, University Grants Commission, New Delhi and Dr. S. Dhawan, Director, Indian Institute of Science, Bangalore, have been nominated as members of the Council with effect from 1st May, 1967.

The new Council has the following membership : —

Chariman	:	Defence Minister
Vice-Chairman	:	Minister of Defence Production.
Members	:	Defence Secretary

Secy. (Defence Production)

Scientific Adviser to Defence Minister.

Financial Advisor.

Chief of the Army Staff.

Chief of the Naval Staff.

Chief of the Air Staff.

Dir. Genl. of Armed Forces Medical Services.

Director General CSIR. (Dr. Atma Ram)

Dr. D. S. Kothari, Chairman, University Grants Commission.

Dr. S. Dhawan, Director, Indian Institute of Science, Bangalore.

Food Research for Defence Department

3754. **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state.

(a) whether it is a fact that the Defence Food Research Laboratory was set up as the C. S. I. R. Laboratory declined to take up food research for the Defence Department ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra):

(a) and (b) The Defence Food Research Laboratory was set up on the specific understanding that this Laboratory would deal with problems which are considered exclusive to Defence and on which the closest cooperation between Defence Scientists Defence Services and Army Medical Corps would be unavaoidable pre-equisite. Problems on food research particularly the basic problems, as could be dealt with adequately by Central Food Technological Research Institute are passed on to the latter. A Joint Defence Coordination Committee consisting of three members from Defence Food Research Laboratory and three members from Central Food Technological Research Institute reviews the Defence Food Projects for effecting coordination and also for isolating problems as to which agncy, i.e. DFRL or CFTRI or both should undertake a particular problem.

In this connection a reference is also invited to Starred Question No. 335 answered on 29.11.1967 by the Education Minister.

Fundamenetal Research

3755. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that whereas International law prohibits the manufacture of foreign arms in the country, negligible fundamental research in this field is being made in the country ;

(b) if so, the steps being taken to develop fundamental research ; and

(c) the items in respect of which research is being conducted at present ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) :

(a) and (b): Government are unaware of any general prohibition in International Law in regard to the manufacture of foreign arms in India. Steps are taken to ensure that the arms and equipment needed by the Services as far as possible, are produced within the

country, where necessary under a collaboration or license. Research in all fields concerning defence is being constantly augmented and built up so as to make the country increasingly self-reliant.

(c) Research in Defence Establishments is being conducted in the fields of armaments, electronics, explosives, instrumentation and other related specialities.

अस्पृश्यता पर फिल्म

3756. **श्री अदिचन**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता की सामाजिक बुराई के विरुद्ध अभियान को प्रोत्साहन देने तथा उसकी सहायता के लिये अस्पृश्यता पर एक फिल्म बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस फिल्म के कब तैयार हो जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) से (ग) : फिल्म विभाग ने अस्पृश्यता पर पहले ही 6 छोटी फिल्में बनाई हैं। उनके नाम ये हैं:—

(1) अंधेरे मे उजाले में।

(2) रायदास।

(3) ब्राह्मण।

(4) बरगद की आप बीती।

(5) चिल्ड्रेन आफ गाड।

(6) शंकर स्क्रू और सुधाने

फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

हिन्द महासागर में सैनिक अड्डे

3757. **श्री मधु लिमये**: क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में स्थित द्वीपों में ब्रिटिश अमरीका अड्डे बनाये जाने के सम्बन्ध में और आगे कोई बात हुई है; और

(ख) इन द्वीपों में ये अड्डे न बनने देने के लिये सरकार नें क्या प्रयत्न किये हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी): (क) ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने हाल में यह घोषणा की है कि उनकी सरकार ने हिन्द महासागर में अलदाबरा महाद्वीपों में ब्रिटिश / अमरीकी सैनिक अड्डे बनाने की अपनी योजनाओं को समाप्त करने का निश्चय किया है।

(ख) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के रवैये तथा ब्रिटिश सरकार के साथ की गई कार्यवाही 6 अप्रैल 1967 को संसद में वैदेशिक मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में बता दी गई थी। सरकार ने इस बारे में अपनी विचारधारा राष्ट्रमंडल सम्बन्धों के लिये ब्रिटेन के राज्य मंत्री को, जब

उन्होंने हाल में भारत का दौरा किया था पुनः बता दी थी। इस मामले के बारे में अमरीका के स्टेट विभाग के साथ भी हाल में बातचीत की गई थी और उन्होंने इस बात से इंकार कर दिया है कि महाद्वीपों में अड्डे बनाने पर विचार किया जा सकता है क्योंकि वहां पर किन्हीं सैनिकों को ठहराने की कोई मंशा नहीं है। तथापि स्थिति पर निरन्तर विचार किया जा रहा है।

विसैन्यीकृत क्षेत्र

3758. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैक माहोन लाइन की रक्षा कर रहे हमारे सशस्त्र सैनिक भारत और तिब्बत के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा में हैं;

(ख) क्या मैक माहोन लाइन के दोनों ओर कोई विसैन्यीकृत क्षेत्र है;

(ग) यदि हाँ, तो यह क्षेत्र मैक माहोन लाइन के दोनो ओर कितना-कितना लम्बा तथा चौड़ा है; और

(घ) इन विसैन्यीकृत क्षेत्रो में क्या सैनिक कार्यवाही होती है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) से (घ) हमारी सशस्त्र सेनायें भारत-तिब्बत सीमा पर उचित रूप से तैनात हैं। तत्सम्बन्धी ब्यौरा बताना जनहित में नहीं है। कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्तावों में जिन्हें भारत ने स्वीकार किया है, थागला रिज और लौमजू क्षेत्रों की विसैनीकृत करने की व्यवस्था थी वशर्ते स्वीकृत व्यवस्था हो। सरकार कोलम्बो शक्तियों के इस विचार से सहमत है। तथापि चीन ने कोलम्बो शक्तियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का न केवल खण्डन किया है परन्तु 21 नवम्बर, 1962 के अपनी तथाकथित एक तरफा घोषणा का भी खण्डन किया है तथा वास्तव में चौकियाँ स्थापित कर दी हैं और मैक माहोन लाइन के उत्तर में 20 किलो मीटर क्षेत्र में सैनिक कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

शिमला के लिये ट्रांसमिटर

3759. **श्री हेमराज** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 10 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5129 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला में एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने के लिये इस बीच स्थान चुन लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो वह कब तक लगाया जायगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हाँ।

(ख) आशा है यह लगभग तीन साल के अन्दर लग जाएगा।

विदेशों में भेजे गए आयुध के कारखानों के कर्मचारी

3760. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963-64, 1964-65 और 1966-67 में आयुध कारखानों में विभिन्न कामों में लगे कितने कर्मचारियों को उच्च प्रशिक्षण के लिये किन-किन विदेशों में भेजा गया ; और

(ख) प्रत्येक प्रशिक्षार्थी पर कितना धन व्यय हुआ है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० न० मिश्र) :

(क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

मास्को फिल्म समारोह और एशियाई फिल्म समारोह

3762. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयोजित किये गये मास्को फिल्म समारोह और एशियाई फिल्म समारोह में भाग लेने के लिये भारतीय फिल्में भेजी गई थीं; और

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें क्या सफलता प्राप्त हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) : जी, हाँ। 'याद' नामक फीचर फिल्म को "फ्रेन्कफर्ट" समारोह में एक 'ग्रेन्ड प्रिक्स' पुरस्कार दिया गया और राजकपूर को मास्को के समारोह में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिये एक डिप्लोमा मिला।

विदेशी फिल्मों का प्रदर्शन

3763. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बतानें की कृपा करेगें कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म सेंसर बोर्ड ने भारत में प्रदर्शन के लिये निम्नलिखित फिल्मों को स्वीकृति दी है:—

(1) गोल्डफिंगर, (2) ००७ विद लव, (3) फेंटामस, (4) डाक्टर नो, (5) डायल एम० फार मर्डर, (6) साइलेंसर, (7) हारर आफ ड्राकुला, (8) हू इज अफ्रेड आफ वर्जीनिया वुल्फ ;

(ख) यदि हाँ, तो इन चलचित्रो में अश्लील तथा अभद्र दृश्य हैं;

(ग) अब तक ये फिल्में किन-किन राज्यों में दिखाई गई हैं; और

(घ) क्या ऐसी फिल्मों के दिखाये जाने पर रोक लगाने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ग) : जी, हाँ। एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें माँगी गई सूचना दी है। (**पुस्तकालय में रखा गया देखिए। संख्या एल० टी०** 1946/67)

(ख) : प्रमाणित करने से पूर्व वे दृश्य जो अश्लील और अभद्र समझे गये, हटा दिये गये थे।

(घ) : जी, नहीं।

पूंजी का विनियोजन

3764. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र ने, अपने लक्ष्य से अधिक पूंजी का विनियोजन किया है जब कि सरकारी क्षेत्र प्रत्येक योजना में अपने लक्ष्य से काफी पीछे रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में तथा तीसरी योजना की समाप्ति से लेकर अबतक वार्षिक योजनाओं में गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों के पूंजी का विनियोजन के क्या लक्ष्य थे और उनके द्वारा वस्तुतः कितनी पूंजी लगाई गई; और

(ग) इस समय कुल राष्ट्रीय उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग सरकारी क्षेत्र में होता है और कितना गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं, गैर-सरकारी क्षेत्र ने केवल दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही लक्ष्य से अधिक पूंजी का विनियोजन किया था परन्तु वह अन्य योजनाओं में अपने लक्ष्य से पीछे था।

(ख) एक विवरण सभा-पटल परखा जाता है।

(पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1947/67)

(ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का, जैसा कि इस समय वर्ष 1965–66 के लिये उपलब्ध है, क्रमशः 13.6 और 86.4 प्रतिशत है ?

कृषि के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग

3765. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय परमाणु संयंत्र कोई कृषिजन्य उत्परिवर्ती बनाने में सफल हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो वह उत्परिवर्ती क्या हैं और वे कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में कहाँ तक सहायक सिद्ध होंगे; और

(ग) कृषि और जीव-विज्ञान के क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा का क्या विशिष्ट उपयोग करने की योजना बनाई गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)

(क) जी, हाँ।

(ख) ये उत्परीवर्ती कृषि उत्पादन की वृद्धि में कहाँ तक सहायक होंगे इसका पता तभी लग सकेगा जब इस समय किए जा रहे सभी क्रांतिक प्रयोग पूर्ण हो जाते हैं।

(ग) किरणीयन की सहायता से सुधरी हुई किस्में तैयार करने के अलावा परमाणु ऊर्जा का उपयोग जिन अन्य कार्यों में किया जा रहा है वे हैं कीटों का वंधीकरण, नाशिकीटों की रोक-थाम तथा खाद्य पदार्थों का निस्संक्रमण एवम् खाद्यान्नों, फलों, मछलियों तथा अन्य भोज्य पदार्थों का परिक्षण।

Agricultural Land Near Ambarnath Ordnance Factory

3766. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether there is any agricultural land near Ordnance Factory at Ambarnath (Maharashtra) ; and

(b) whether it is proposed to give this land to the families of the employees of the factory through cooperative societies under the 'Grow More Food ' campaign or to the cooperative Societies of those farmers whose land was acquired ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri J N. Mishra) :

(a) Yes, Sir, within the estates of the two Ordnance Factories at Ambernath.

(b) The land has been given to a Cooperative Farming Society of the employees of the factory. This Society has applied for registration.

जमाखोरी के विरुद्ध कार्यवाही के बारे में आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से समाचार का प्रसारण

3767. **श्री बे० कृ० दास चौधरी**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 सितम्बर, 1967 को आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से स्थानीय समाचारों में बताया गया था कि कूच बिहार में चावल तथा गेहूँ की जमाखोरी के विरुद्ध की गई कार्यवाही में आठ हजार क्विन्टल चावल का पता लगा था;

(ख) आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र को यह सूचना किस एजेंसी के माध्यम से प्राप्त हुई थी; और

(ग) क्या यह सच है कि उक्त सूचना गलत थी और वास्तविक तथ्यों का पता लगाये बिना प्रसारित की गई थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) : जी, हाँ।

(ख) : यह समाचार पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना निदेशक द्वारा भेजा गया था।

(ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

सशस्त्र सेनाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की भर्ती

3768. **श्री प्र० रं० ठाकुर**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई वार्षिक परीक्षाओं द्वारा की जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले पन्द्रह वर्षों में प्रतिरक्षा सेवाओं में कैडट के रूप में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा जिन न्यूनतम आठ हजार लड़कों की सिफारिश की गई थी, उनमें से केवल 14/15 लड़के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के थे; और

(ग) यदि हाँ, तो सशस्त्र सेनाओं में सीधी भर्ती तथा नियुक्ति के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की प्रतिशतता कम होने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) सशस्त्र सेनाओं के लिये कमीशन प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षाओं तथा कुछ प्रविष्ठियों के मामले में सर्विसेस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा किये गये साक्षातकार के माध्य से तथा अन्य व्यक्तियों के मामलों में केवल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा लिये गये साक्षातकार के माध्यम से की जाती है।

(ख) जी नहीं। परन्तु यह सच है कि सशस्त्र सेनाओं के अधिकारी--संवर्ग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का अनुपात बहुत अधिक नहीं है।

(ग) इसका कारण यह है कि रिक्त स्थानों का चयन केवल योग्य सूची के आधार पर चयन, अभिकरणों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार किया जाता है बशर्ते कि वे डाक्टरी पर योग्य हों और उनके चरित्र और पूर्व इतिहास की जाँच ठीक हो।

जवानों से मिलने के लिये संसद सदस्यों के दल

3769. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोर्चों पर (अग्रिम क्षेत्रों में) तैनात जवानों से मिलने के लिये संसद सदस्यों के दल नियमित रूप से भेजने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):

(क) और (ख) जभी लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय से इस संबंध में माँग प्राप्त होती है, अग्रिम क्षेत्रों के, संसद सदस्यों द्वारा भ्रमणों का सरकार ने प्रबंध किया है। इस प्रकार अगस्त, 1967 से संसद सदस्यों ने अग्रिम क्षेत्रों का 3 दलों में भ्रमण किया है। संक्रियात्मक विचारों का ध्यान करते हुए ऐसी प्रक्रिया का पालन जारी रहेगा।

छावनी बोर्ड, जालन्धर के लिये चुनाव

3771. **श्री यज्ञदत्त शर्मा:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी बोर्ड, जालन्धर के लिये चुनाव, जो जून, 1967 में होने थे, रद्द कर दिये गये थे ;

(ख) क्या इन चुनावों के लिये नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होने के निर्धारित समय से ठीक 24 घंटे पहले नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की तारीख भी रद्द कर दी गई थी ;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) चुनाव कब किये जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):

(क) 12 मई 1967 को जारी की गई अधिसूचना द्वारा, 30 जून, 1967 को समाप्त होने वाली, निर्वाचित सदस्यों की कार्यविधि 31 मार्च 1968 तक या उस तिथि तक बढ़ा दी गई थी कि जब उनके अनुवर्ती सदस्यों के निर्वाचित होने की अधिसूचना सरकारी तौर पर प्रकाशित की जाए, दोनों में जो पहले घटे।

(ख) जी नहीं। 16 जून 1967 को निर्वाचित करने के कार्यक्रम के अनुसार रिटर्निंग अफसर को नामांकन पत्र भेजने की तिथि थी 16 मई 1967। उक्त निर्वाचन कार्यक्रम को निरसित करने संबंधी अधिसूचना 11 मई, 1967 को जारी की गई थी और राजपत्र में 12 मई, 1967 को प्रकाशित।

(ग) केवल एक सदसीय क्षेत्रों का उपबंध करने के लिये क्षेत्रों की हदबन्दी करने के उद्देश्य से।

(घ) 31 मार्च, 1968 से पहले कि जब उक्त निर्वाचित सदस्यों की बढ़ाई गई कार्याविधि समाप्त होने को होगी।

इटारसी के निकट भूमि का अर्जन

3772. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का प्रस्ताव इटारसी के निकट कुछ सौ एकड़ भूमि अर्जित कर इस पर रिहायशी मकान बनाने का है;

(ख) क्या वह भूमि खेती योग्य है;

(ग) क्या टाकू गाँव की आबादी तथा आस-पास के क्षेत्र को, जो चाँदमारी के लिये ली गई भूमि के साथ लगता है, रिहायशी मकान बनाने के लिये अर्जित किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो साथ लगते आबादी वाले क्षेत्र की तुलना में 16 मील दूर कृषि योग्य भूमि को इसके लिये पसन्द करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) निजी मिलकीयत की 400 एकड़ भूमि जो देवरी और इटारसी के राजस्व क्षेत्र में है, वास्य भवनों समेत प्रशासनिक भवनों और अन्य उद्देश्यों के लिए अर्जित की जा रही है।

(ख) जी हाँ।

(ग) जी नहीं।

(घ) रेंज के लिए चुना गया क्षेत्र इटारसी शहर से लगभग 16 मील दूर है। यह क्षेत्र अविकसित है और स्कूलों तथा अन्य आवश्यक सुविधाएँ रेंज क्षेत्र के निकट विद्यमान नहीं हैं। इसलिए वास्य भवन इटारसी रेल स्टेशन से लगभग ढाई मील दूर बनाए जा रहे हैं, जहाँ ऐसी सुविधाएँ पहले से विद्यमान हैं। अगर वास्य भवन रेंज क्षेत्र के निकट बनाए गए, तो आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए काफी खर्च करना पड़ेगा।

Pension to Widows of Jawans

3773. **Shri Nihal Singh.** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government have discontinued the grant of pension in case a widow of a Jawan killed in action gets some employment ;

(b) if not, the number of widows of jwans who have been receiving pensions for the last five years, in Dera Tehsil of Kangra district in Himachal Pradesh and the number of such widows whose pensions have been stopped ; and

(c) the reasons therefor ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra)

(a) No, Sir.

(b) and (c) : Tehsil-wise statistics are not maintained. However, the number of widows of jawans killed in action granted family pension since January, 1962, and drawing pension under Kangra Post Office (inciuding Sub. Post Offices) is 104. Pension has been stopped in one such case and the reason for the stopping was remarriage.

अल्जीरिया को तकनीशियन भेजे जाना

3774. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल्जीरिया के उद्योगों की व्यवस्था करने के लिये अल्जीरिया की सरकार ने हमारी सरकार से तकनीशयन माँगे है।

(ख) यदि हाँ, तो उसने किस किस्म के तकनीशयन माँगे हैं; और

(ग) क्या अब तक कोई तकनीशयन भेजे जा चुके हैं और यदि हाँ, तो कितने ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) और (ख) : सितम्बर-अक्तूबर 1967 में भारत की यात्रा के दौरान अल्जीरिया के एक प्रतिनिधि मंडल ने तेल उद्योग सिविल इंजीनियरिंग और सिविल एवियेशन के क्षेत्रों में भारतीय टेक्नीशियनों की सेवाएँ प्राप्त करने में रुचि दिखाई थी।

(ग) : अल्जीरिया से इस बारे में ब्यौरा मिलने की प्रतीक्षा है कि उसे विभिन्न क्षेत्रों में कितने-कितने टेक्नीशियन चाहिए ।

City Compensatory and House Rent Allowance for Central Government Employees

3775. **Shri Shri Chand Goel :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether House Rent Allowance and City Compensatory Allowance is paid to those Central Government employees who perform their duties within the municipal limits of Delhi but reside outside the municipal limit and if so, the rates of allowance admissible to them ;

(b) whether the House Rent Allowance and City Compensatory Allowance is paid to those Central Government employees who reside within the municipal limits of Delhi and perform their duties at the places falling outside the municipal limits such as Faridabad, Hindon Airport, Ghaziabad, and Gurgaon and if so the rates of these allowances ;

(c) Whether it is a fact that the civil employees working at Hindon airport and living in the Municipal limits of Delhi are paid the City Compensatory allowance admissible in Delhi but they are not paid house rent allowance ; and

(d) whether it is also a fact that those employees who go from Ghaziabad and other places to perform their duties at Hindon airport are not paid these allowances and, if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) :

(a) Yes, Sir. The rates are as follows :—

Pay per month	**City Compensatory allowance**
Rs.	Rs.
Below 150-	10% of pay subject to a minimum of 7.50 and a maximum of 12.50.
150 and above	8% of pay subject to a minimum of 12.50 and a maximum of 75/-
	House Rent Allowance
	Rs.
Below 100/-	15
100-3,000	15% of pay subject to a minimum of 20 and maximum of 300.
Above 3,000	10% of pay.

(b) (i) Faridabad and Ghaziabad are 'C' class cities where no City Compensatory Allowance is admissible and only house rent allowance is admissible at the following rates :—

Below 500	7½% of pay subject to a minimum of 7.50.
500 and above	Amount by which pay falls short of 536.

(ii) The Defence civilians serving within the premises of Ammunition Depot, Gurgaon, have been sanctioned City Compensatory and House Rent Allowance as admissible in Delhi, as a very special case.

(iii) As regards Hindon Airport, (c) as stated below refers.

(c) Yes, Sir The question of grant of House Rent Allowance to them is under consideration.

(d) The civilian employees serving at Hindon Air-port who are living in Hindon and villages around Hindon have been sanctioned Special compensatory allowance at the following rates as a special case :—

(i) Personnel drawing pay below Rs. 250/- p,m.	7½% of pay subject to a minimum of Rs. 6 and a maximum of Rs. 15 /-:
(ii) Personnel drawing Rs. 250/- and above p. m.	6% of pay subject to a minimum of Rs. 15 and a maximum of Rs. 50/-

It is a fact that the civil employees serving at Hindon Airport who are living at Ghaziabad are not being paid this special compensatory allowance but the matter is under reconsideration.

Field Firing Range Near Jaisalmer

3776. **Shri P. L. Barupal:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some place in District Jaisalmer, Rajasthan has been declared as field firing range and if so, the area thereof and the total number of families putting up there and the total population of the area ;

(b) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribe families among them ;

(c) whether these families have been or would be paid compesantion for houses and land and if so, the extent of compensation per family and the mode of payment thereof;

(d) whether Government propose to allot them cultivable land in Anupgarh and Suratgarh tehsils of district Sriganganagar which is irrigated by Rajasthan Canal ; and

(e) if so, the time by which the proposal is likely to be implemented and the compensation paid to them ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra):

(a) and (b) Action is under way to establish a field firing range in Jaisalmer district. Part of the area is to be acquired. It is not in public interest to disclose the area of the range. Figures of the number of families involved or of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe families among them are not available.

(c) Compensation would depend on the value of the assets acquired from each owner and is paid in cash in accordance with the awards passed by the Land Acquisition officer appointed by the State Government.

(d) and (e) : These are matters which concern the Rajasthan State Government.

To be Answered on December 11, 1967

3777. **Shri Baswant :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether during the recent visit to Tarapore Atomic Power Station, the farmers whose land had been acquired for setting up the station, forwarded their demand for payment of more compensation to them ; and

(b) if so, the action taken thereon?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

(a) Yes, Sir.

(b) The representation has been forwarded to the Government of Maharashtra.

विदेशी भाषाओं में प्रसारण

3779. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री इसहाक साम्भली :**
श्री हिम्मतसिंहका

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 24 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6504 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी की विदेश सेवाओं में विदेशी भाषाओं के प्रसारणों की अवधि बढ़ाने का इस बीच निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) : जी, हाँ।

(ख) फिलहाल कर्मचारी और साधन उपलब्ध होने पर दो नई सेवाएँ—एक रूसी भाषा में और दूसरी मलय में—चालू करने का विचार है। इसके अतिरिक्त, दो अति उच्च शक्ति के ट्रांसमिटर चालू हो जाने के बाद विदेशी भाषाओं के प्रसारण की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है।

India as Permanent Member of Security Council Question

3780. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any steps in the direction of India becoming the permanent member of the Security Council ; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affirs (Shrimati Indira Gandhi).

(a) No, Sir.

(b) Article 23 of the Charater of the U. N. lays down that "the Republic of China, France, the U.S.S.R., U. K. and the U.S.A. shall be permanent members of the Security Council". Any change in the composition of the permanent members of the Security Council would require an amendment of the U. N. Charter with the approval of two-thirds of the Member States of the U. N., including all the permanent members of the Security Council.

कानपुर छावनी में सफाई व्यवस्था में सुधार

3781. **श्री चित्ति बाबू :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर छावनी बोर्ड ने पक्के बने रिहायशी मकानों में सफाई व्यवस्था में सुधार करने और अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत इन स्थानों तक जल-निस्सारण नालियों को ले जाने के लिये अनुदान तथा सहायता की माँग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) और (ख) : छावनी बोर्ड ने स्युएज योजना के लिए 1968-69 के दौरान 8 लाख रुपये के विशेष सहायी अनुदान की इच्छा की है। तदापि विस्तृत योजनाओं और अनुमानों समेत विस्तृत प्रस्ताव छावनी बोर्ड से प्रतीक्षित है, और जब प्राप्य हुआ उसका निरीक्षण किया जाएगा।

उड़ीसा में फिल्म स्टूडियो

3782. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में एक फिल्म स्टूडियो स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से 1965–66 में प्रार्थना की थी ;

(ख) क्या सरकार को फिल्म स्टूडियो में रुचि रखने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की ओर से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : जी, नहीं । तथापि, उड़ीसा राज्य की सरकार ने राज्य में एक फिल्म स्टूडियो स्थापित करने की अपनी योजना चौथी पंच वर्षीय योजना के लिए प्रचार सम्बन्धी अपने प्रस्तावों के मसौदों में शामिल की थी । ये प्रस्ताव अभी तक कार्यान्वित नहीं हुए है । क्योंकि यह विषय राज्य सरकार से सम्बन्ध रखता है, अतः फिल्म स्टूडियो स्थापित होना चाहिए या नहीं, इसका निर्णय राज्य सरकार को करना है ।

(ख) और (ग) जी नहीं । हाँ, उड़ीसा के मुख्य मंत्री को भेजे गए अभ्यावेदन की प्रति इस मंत्रालय को सूचनार्थ भेजी गई थी ।

मनीपुर में सीमावर्ती सड़कें

3783. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर को कछार से मिलाने वाली इस समय निर्माणाधीन सीमावर्ती सड़कों को लोक-निर्माण विभाग बना रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन सड़कों का निर्माण धीमी गति से हो रहा है ;

(ग) यदि हाँ, तो इन सड़कों का निर्माण आयातकालीन आधार पर करने के लिए सरकार का विचार इस कार्य को लोक-निर्माण विभाग से लेकर प्रतिरक्षा इंजीनियरी कर्मचारियों को सौंपने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो ये सड़कें इस समय किस स्थिति में हैं, अब तक इन पर कितना धन व्यय किया गया है तथा इन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) से (घ) : जिरिबम को इम्फल से मिलाने वाली नई कछार सड़क का निर्माण अब तक मणिपुर पी०डब्ल्यू० डी० द्वारा हस्तगत किया जा चुका है । मशीनों और साजसामान की मणिपुर पी० डब्ल्यू० डी० के पास कमी और क्षेत्र में निर्माणों के लिए ठेकेदारों द्वारा उल्लिखित उच्च दरों के कारण, इस सड़क के निर्माण की प्रगति धीरी है । मणिपुर पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा अनुभूत कठिनाइयों को सामने रखते हुए इस सड़क का आगे का निर्माण 1-4-1968 से सीमा सड़क विकास बोर्ड को सौंप देने का निश्चय किया गया है । निर्माणों की प्रगति इस प्रकार है ;

तल निर्माण	125 मील
सोलिंग और मेटलिंग	25 मील
कोलतार बिछाना	10 मील

कई रक्षात्मक कार्य सम्पूर्ण किए गए हैं। अब तक कुल हुआ खर्च लगभग 2.45 करोड़ रुपये है।

मनीपुर का औद्योगीकरण

3784. **श्री मेघ चन्द्र**: क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी योजना अवधियों में मनीपुर राज्य क्षेत्र के औद्योगिकरण के लिए वहाँ कार्यक्रम के रूप में कितने उद्योग अथवा परियोजनाएँ आरम्भ की गई हैं;

(ख) किन-किन उद्योगों अथवा परियोजनाओं में उत्पादन होने लगा है;

(ग) उपर्युक्त चालू औद्योगिक संस्थानों अथवा परियोजनाओं में कितने लोगों को रोजगार मिला है; और

(घ) इन उद्योगों अथवा परियोजनाओं के लिये कितने धन का नियतन किया गया ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी): (क) से (ग) : यह कार्यक्रम मुख्यतया ग्रामोद्योगो और लघु उद्योगों के विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए था। इसके अलावा, ग्रामोद्योग परियोजना की भी स्थापना की गई। उद्योगों के विकास के लिए 1967–68 तक लगभग 110 लाख रुपये का कुल आवंटन किया गया था। इन विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कितनी अतिरिक्त रोजगार क्षमता निर्मित हुई, इसका अनुमान लगाना कठिन है।

आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र से साप्ताहिक मूल्य बुलेटिन का प्रसारण

3785. **श्री मेघचन्द्र**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी का इम्फाल केन्द्र अपने प्रसारणों में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य तथा स्थानीय सरकार द्वारा निर्धारित दरों का साप्ताहिक बुलेटिन प्रसारित करता है ;

(ख) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र द्वारा प्रसारित किये गये वस्तुओं के मूल्य बाजार के वर्तमान मूल्यों से भिन्न होते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो जन साधारण को सही जानकारी देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) से (ग) : आकाशवाणी का इम्फाल केन्द्र उपभोज्य वस्तुओं के मूल्य का साप्ताहिक बुलेटिन मनिपुर सरकार द्वारा दिये गये डेटा, जिसकी बाजार, वितरकों और एजन्टों से जाँच की जाती है, पर आधारित होता है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना को अधिकृत सूचना समझा जाता है।

योजना-परियोजना समिति में नियुक्तियाँ

3786. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना में सम्मिलित परियोजनाओं संबंधी समिति के कार्य के लिये प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए सभी नियुक्तियाँ संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से खुली परीक्षा लिये बिना की गई हैं।

(ख) क्या यह भी सच है कि योजना में सम्मिलित परियोजनाओं संबंधी समिति के कार्य के लिम किसी भी पद को अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी): (क) से (ग) : योजना कार्य समिति में श्रेणी–1 और 2 पदों पर नियुक्तियाँ निर्धारित नियमों के अनुसार और जब कमी आवश्यकता होती है तो लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर की जाती हैं। समिति द्वारा नियुक्त अध्ययन दलों का कार्य अस्थायी तौर पर विभिन्न प्रकार का होने का कारण, समिति के अस्थायी पदों को स्थायी करना सम्भव नहीं पाया गया। फिर भी, इस विषय में आदेशों का उदारीकरण होने के कारण, इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

3787: **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों की विभिन्न संस्थाओं के कथनानुसार भूतपूर्व सैनिकों की उपेक्षा की जा रही है;

(ख) उन्हें कितनी भूमि दी गई है; उनकी कितनी सहकारी समितियां बनाई गई है और उन्हें रोजगार दिलाने के लिए कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं; और

(ग) एक भूतपूर्व सैनिक को कम से कम कितनी राशि की पेंशन मिलती है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) (1) राज्य सरकारों के सहयोग के साथ भूमि अब तक भूतपूर्व सैनिकों की 13 भूमि उपनिवेश योजनाओं को लगभग 38000 एकड़ भूमि अलाट की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य सरकारों द्वारा उच्छिष्ट भूमिएँ भूतपूर्व सैनिकों को व्यक्तिगत रूपेण अलाट करने के लिए सुरक्षित कर दी गई हैं।

(2) अब तक भूतपूर्व सैनिकों द्वारा विभिन्न प्रकार की जैसे कि परिवहन, औद्योगिक, कृषि, उपभोक्ता, हाऊसिंग तथा बहु-उद्देशीय 95 कोपरेटिव समितिएँ बनाई गई हैं।

(3) भूतपूर्व सैनिकों को खपाने के लिए अब तक दो उद्योग स्थापित किए गए हैं; एक महाराष्ट्र में और दूसरा राजस्थान में।

(ग) तदर्थ वृद्धि समेत, 1 अप्रैल, 1964 में कम से कम पेन्शन 25 रुपये है।

पेनांग में भारतीय लोगों पर हमला

3788. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया:** **श्री न० कु० सांघी:**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पेनांग में भारतीय निवासियों पर हाल में हमला किया गया था और वहाँ भारतीय व्यापारियों की सम्पत्ति को काफी नुकसान पहुँचाया गया था; और

(ख) यदि हां; तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है।

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी): (क) और (ख) : पेनांग में और मलयेशिया के दूसरे भागों में हाल ही में कुछ दंगे हुए थे। अब तक रिपोर्टों से यह पता चलता है कि पेनांग के दंगों में भारतीय मूल का एक व्यक्ति मारा गया था; हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं मालूम हुआ है कि वह भारतीय राष्ट्रिक था या नहीं। भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुँचने के बारे में हमारे पास कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है। मलयेशिया के अधि-

कारियों को स्थिति पर पूरा नियंत्रण है और मलयेशिया में भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय बरतना आवश्यक नहीं समझा जाता। हमारा हाई कमीशन स्थिति पर ध्यान रख रहा है और जब भी जरूरत होगी तभी भारतीय राष्ट्रिकों के वैध अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करेगा।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को नए किस्म के टैंकों की सप्लाई

3789. **श्री य० अ० प्रसाद:** **श्री न० कु० सोंधी:**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका ने एक ऐसा टैंक बनाया है जो लड़ाई के मैदान में किसी भी प्रकार के हथियार से की गई गोलाबारी से अच्छी गोलाबारी करता है ;

(ख) क्या अमरीका द्वारा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन करार के अन्तर्गत पाकिस्तान को ऐसे टैंक सप्लाई किए गये हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) से (ग) : हमने इस आशय की रिपोर्ट देखी हैं कि अमरीका और पश्चिम जर्मनी ने मिलकर एक नया टैंक बनाया है। उसे अभी मूल रूप में बनाया जा रहा है, इसलिए जब तक क्षेत्रीय प्रयोग संतोषजनक रीति से पूरा नहीं हो जाता, तब तक कुछ वर्षों के लिए उसकी सप्लाई नहीं की जाएगी।

ब्रिटेन के मिनिस्टर आफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ रिलेशन्स की यात्रा

3790. **श्री न० कु० सांधो** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के मिनिस्टर आफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ रिलेशन्स हाल में भारत आये थे; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका भारत आने का क्या उद्देश्य था और उनके साथ हुए विचार विमर्श का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) : जी हाँ।

(ख) : वह मैत्री यात्रा पर आए थे और उस अवसर पर उन्होंने पारस्परिक हित के मामलों पर बातचीत करने के लिए प्रधान मंत्री तथा सरकार के कुछ अन्य सदस्यों से मुलाकात की।

Hindi Bulletin from Radio Kashmir

3791. **Shri Y. S. Kushwah:** **Shri Ram Singh Ayarwal:**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether a demand has been made for a Hindi bulletin to be broadcast from Radio Srinagar ;

(b) if so, the action taken by Government in this regard ; and

(c) when this programme will be introduced ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah):

(a) No, Sir. The Srinagar Station, however, relays four Hindi news bulletins daily.

(b) and (c) Do not arise.

Land Belonging to Gurdwara Nankana Sahib Occupied by Pak Government

3792. **Shri Y. S. Kushwah**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 1000 acres of land belonging to Nankana Sahib Gurdwara in West Pakistan has been forcibly occupied by Pakistan Government ; and

(b) if so, the action taken by the Government of India in this regard?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimti Indira Gandhi) :

(a) and (b): The Government are not aware of the alleged forcible occupation by the Pakistan Government of about 1000 acres of land belonging to Gurdwara Nankana Sahib in West Pakistan. However, religious institutions like Gurdwara Nankana Sahib have been placed under the control of a Board set up by the Government of Pakistan under the "Scheme for Management and Disposal of properties attached to Charitable, Religious or Educational Trusts or Institutions" promulgated in 1960. The Government of India have repeatedly asked the Government of Pakistan to suitably amend the Scheme, or suspend the operation of the Scheme, at least until such time as the Indo-Pakistan Joint Committee on Shrines envisaged under the 1955 Pant-Mirza Agreement has held its second meeting.

हिमाचल प्रदेश के लिए योजना

3793. **श्री चंगलराया नायडू** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने हिमाचल प्रदेश की वार्षिक योजना में 10 प्रतिशत कटौती करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि हिमालय प्रदेश सरकार ने योजना आयोग से मूल प्रस्तावों को स्वीकार करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) और (ख) जी, नहीं। वार्षिक योजना 1968-69 के बारे में प्रशासन के जिन प्रस्तावों का माननीय सदस्य ने हवाला दिया है, वे योजना आयोग के विचाराधीन हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत-जर्मन परमाणु परियोजना

3794. **श्री न० कु० सांघी:** **श्री वेदव्रत बरुआ:**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के चांसलर के साथ हुई बातचीत के परिणामस्वरूप एक परमाणु शक्ति परियोजना में भारत-जर्मन सहयोग की कोई संभावनाएँ हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो किस रूप में ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) और (ख) : पश्चिम जर्मनी के चांसलर के साथ किसी विशिष्ट पर्माणु शक्ति परियोजना के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी।

परमाणु शक्ति आयोग के कर्मचारियों की माँगें

3795. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु शक्ति आयोग को अपने कर्मचारियों के संघ से पिछले एक महीने से कोई माँगपत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) मांगपत्र में क्या-क्या मांगें की गई हैं;

(ग) क्या संघ के साथ मांग पत्र पर बातचीत आरम्भ हो गई है; और

(घ) बातचीत के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) एक ज्ञापन-पत्र, जिसे माँग-पत्र बताया गया था, प्राप्त हुआ है। ज्ञापन-पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1948/67)**

(ग) जी, नहीं !

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

युद्ध में मारे गए कमीशन-प्राप्त अफसरों को परिवार पेंशन

3796. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युद्ध में मारे गये अथवा सेवा मुक्त कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए मंजूर परिवार पेंशन 25 रुपए से 40 रुपये प्रति मास है;

(ख) इस पेंशन की गणना किस आधार पर की गई है; और

(ग) क्या पेंशन की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) मृत्यु की तिथि के पश्चात् की तिथि से 7 वर्षों की अवधि के लिए निधन प्राप्त अफसर द्वारा अन्तिम प्राप्त मूलवेतन के दो-तिहाई के बराबर, एक विशेष कुटुम्ब पेंशनी अवार्ड (जो विशेष कुटम्ब पेंशन, बच्चा भत्ता और शिक्षा भत्ते के बराबर होता है) विधवा को देय है। ऐसी कम से कम पेंशन (अर्थात् सेंकड लेफ्टिनेंट की हालत में) 267 रुपये मासिक है। उसके पश्चात् विधवा को देय विशेष कुटुम्ब पेंशन विशेष कुटम्ब पेंशन के साधारण दरों के डयोढ़े के बराबर है, जो कम से कम (अर्थात् सेकण्ड लेफ्टिनेंट की हाल में) 225 रुपये मासिक है। सेवा से विमुक्त अफसर की हालत में कुटुम्ब पेंशन का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

Uniforms to N.C.C. Students

3797. **Shri Ramavatar Shsatri**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government supply uniforms to students who opt for N.C. C. in the school run by Cantonment Boards in the country ;

(b) whether it is also a fact that they are paid washing allowance by Government ;

(c) if so, whether the N. C. C. cadets of schools run by Danapore Cantonment Board in District Patna are not paid any washing allowance ; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra)

(a) to (d): The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Cantonment Boards' Schools

3798. **Shri Ramavatar Shastri.** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the students in schools run by the Cantonment Boards in the country are given free food and refreshment ;

(b) whether the material and the utensils required for the preparation of food and refreshment are also supplied by the school authorities and the food is prepared by the students; and

(c) if so, whether this practice is being followed in all the Cantonment Board schools and the amount granted by Government for the purpose?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra)

(a) to (c) : Information is being collected and a statement will be laid on the Table of the House.

Water Connections in Danapur Cantonment

3799. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of new houses constructed during the last ten years within the Danapur Cantonment limits ;

(b) the number of newly constructed houses which have been given tap water connections, and

(c) the reasons for not giving water connections to rest of the houses so far and when they will be given ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministery of Defence (Shri L. N. Mishra)

(a) to (c) : The information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as possible.

फिल्मों का निर्यात

3800. **श्री ब० कु० दास चौधरी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 27 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2052 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आयातकरताओं के नाम क्या हैं जिनके **माध्यम** से भारत में इन चलचित्रों का वितरण किया गया था; और

(ख) इन आयातकर्ताओं को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

अग्रिम क्षेत्रों के जवानों के मनोरंजन के लिए कलाकारों के दलों का गठन

3801. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार मोर्चों (अग्रिम क्षेत्रों) में तैनात सेना के जवानों के मनोरंजन के लिए कलाकारों के दलों का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये दल उनके मंत्रालय के संगीत और नाटक डिवीजन में से गठित किये जायेंगे अथवा क्या सरकार ने इस कार्य के लिये किन्हीं व्यावसायिक पक्षों को आमंत्रित किया है;

(ग) ऐसे कितने दल बनाये जाने की सम्भावना है; और

(घ) इन दलों पर अनुमानतः कितना धन व्यय होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री ० के० शाह) : (क) : जी, हाँ ।

(ख) और (ग) : गीत और नाटक विभाग द्वारा चलती फिरती ऐसी 9 विभागीय यूनिटें बनाई जा रही हैं जिनमें वाद्यकार, गायक, नर्तक, अभिनेता और अभिनेत्रियां होंगी । ये उक्त यूनिटों में खुली भर्ती द्वारा लिए जाएंगे । इसके अतिरिक्त जब भी जरूरी होगा, सरकार जवानों के मनोरंजन के लिये कुछ व्यावसायिक दलों का भी उपयोग करेगी ।

(घ) गीत और नाटक विभाग के बजट में से लगभग 12 लाख रुपये प्रति वर्ष ।

सरकारी क्षेत्र एककों द्वारा प्रचार

3802. **श्री काशी नाथ पांडे :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र में अथवा स्वायत निगमों के रूप में कितने निकाय स्थापित किये गये हैं;

(ख) उनका प्रचार किस विज्ञापन अभिकरण द्वारा किया जा रहा है और क्या यह अभिकरण पूर्णतया भारतीयों का है; और

(ग) उन्हें 1966 तक कितना कमीशन दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) श्रीमन्, एक, जिसका नाम फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई है ।

(ख) कारपोरेशन ने अपने प्रचार कार्य के लिए किसी भी विज्ञापन एजेंसी को काम नहीं दिया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी निगम

3803. **श्री काशी नाथ पाँडे :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र से अथवा स्वायत्तशासी कितने निगम स्थापित किये गये हैं;

(ख) ऐसे निगमों की ओर से प्रचार कार्य करने वाली विज्ञापन एजेंसी का नाम क्या है; और

(ग) क्या वह पूर्णतया भारतीय एजेंसी है और उसे 1966 तक कितना कमीशन दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) इस मंत्रालय के अन्तर्गत 7 पब्लिक सेक्टर उपक्रम हैं अर्थात् हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, भारत एलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्ज़ लिमिटेड, मज़ागां डाक लिमिटेड, गार्डन रीच वर्क शाप्स लिमिटेड, प्रागा, टूल्स लिमिटेड और गोआ शिपयार्ड लिमिटेड ।

(ख) और (ग) भारत एइलेक्ट्रानिक्स, भारत अर्थ मूसर्ज लिमिटेड और मज़ागां डाक लिमिटेड ने क्रमशः एफीशेन्ट पब्लिसिटीज मद्रास, मद्रास एडवरटाईज़िंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर और प्रेस सिंडीकेट लिमिटेड, बम्बई को अपना विज्ञापन एजेंट नियुक्त कर रखा है। यह विज्ञापन फर्में सर्वशः भारतीयर्यों की मिलकीयत हैं। उन्हें निजी उपक्रमों द्वारा किसी प्रकार की कमीशन नहीं दीं जाती, और वह अपनी कमीशन सीधे प्रकाशकों से प्राप्त करते हैं।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, गार्डन रीच वर्कशाप्स लिमिटेड, प्रागा टूल्स लिमिटेड और गोआ शिपयार्ड लिमिटेड ने इस प्रकार के कोई विज्ञापन एजेंट नियुक्त नहीं कर रखे हैं।

युद्ध में मारे गए जवानों के परिवारों के लिए भूमि

3804. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार की प्रार्थना पर भारत-पाकिस्तान संघर्ष में मारे गये जवानों के परिवारों के लिए 10 लाख एकड़ भूमि एलाट की थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो अन्य राज्यों ने इन परिवारों को कितनी भूमि एलाट की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) जी नहीं। राजस्थान सरकार से मार्च, 1966 में प्राप्त हुई सूचना के अनुसार राजस्थान नहर प्रायोजना क्षेत्र में 25,000 एकड़, और भाकड़ा प्रायोजना में 1,000 एकड़ भूमि नेफा, लद्दाख, कच्छ के रन, राजस्थान, जम्मू तथा काश्मीर और पंजाब में युद्ध में मारे गए, और नियोंग्य, सेवाओं के उन भूतपूर्व सेविवर्ग के लिए सुरक्षित रखी गयी है, जो राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों से इकट्ठी की गई आवश्यक सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1949/67**]

कृषि सम्बन्धी वृत्त चित्र

3805. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा एक वर्ष में कृषि सम्बन्धी कितने वृत्त-चित्र तैयार किये जाते हैं;

(ख) ऐसे कितने वृत्त चित्र प्रदर्शित किये जाते हैं;

(ग) इन वृत्त चित्रो के निर्माण पर कितना धन व्यय हुआ है; और

(घ) यदि एक वर्ष में निर्मित सभी वृत्त-चित्र प्रदर्शित नहीं किये जाते हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) फिल्म विभाग ने 1965–66 और 1966–67 में पाँच-पाँच डाकुमेंट्री फिल्में तथा 1967-68 (आज तक) में तीन फिल्में बनाई हैं। ये सभी फिल्में प्रदर्शन के लिए रिलीज कर दी गई थी।

(ग) (1) 1965–66 1,94,394/–रुपए
(2) 1966–67 2,22,568/–रुपए
(3) 1967–68 (आज तक) 91,728/–रुपए

(घ) सवाल नहीं उठता।

Nasirabad Cantonment Board

3806. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that elections of the Nasirabad Cantonment Board have not been held for the last twenty years ;

(b) whether charges of corruption have been levelled against the Chairman of the Cantonment Board ; and

(c) if so, the action Government propose to take in this regard ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra):

(a) No, Sir. Elections have been regularly held according to law. The last elections were held in March 1967.

(b) Government is not aware of any such charges.

(c) Does not arise.

कांग्रेस से भिन्न दलों से सम्बन्धित समाचारों का प्रसारण

3806 क. **श्री मेघचन्द्र:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र को ऐसे निदेश दिये है कि कांग्रेस से भिन्न दलों की सभाओं/बैठकों से संबंधित समाचारों का प्रसारण न किया जाये :

(ख) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र से प्रसारित किये गये स्थानीय समाचारों में इम्फाल में 21 अक्तूबर, 1967 आदि को हुई विशाल सार्वजिनक सभाओं के सम्बन्ध में कोई समाचार प्रसारित नहीं किया गया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) : 21, अक्तूबर, 1967 को इम्फाल में दो बैठकें हुई, एक भारतीय साम्यवादी दल द्वारा आयोजित की गई थी तथा दूसरी संयुक्त दल द्वारा/बैठकों की रिपोर्ट को समाचारों में अन्य समाचारों के महत्व को देखते हुए स्थान नहीं दिया गया।

वैमानिकों के लिए नई परिवार सहायता योजना

3806 ख. **श्री राममूर्ति:** **श्री अनिरुद्धन:**
श्री नम्बियार: **श्री मरंडी:**
श्री गणेश घोष: **श्री स० च० बेसरा:**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर फोर्स बनेवोलेंट एसोसिएशन ने भारतीय वायुसेना में काम करने वाले वैज्ञानिकों के लिए नई परिवार सहायता योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) कब तक इस योजना को क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) से (ग) : भारतीय वायु सेना वेनेवोलेंट समिति ने 1 सितम्बर, 1967 से स्वैच्छिक सहकारी आत्म-सहायता आधार पर, वैज्ञानिकों के लिये एक कुटुम्ब सहायता योजना स्थापित की है। प्रतिमास प्रति सदस्य 2 रुपये चन्दा इकट्ठा किया जाता है। योजना के उद्देश्य हैं वित्तीय सहायता देना (1) सेवा करते निधन प्राप्त वैमानिकों के अर्ह कुटुम्बों को उनके स्थायी पुनरावास के लिए, (2) रिटायर हो चुके/सेवा से विमुक्त अर्ह वैमानिकों के पुनरावास के लिए। योजना नीचे दी गई है :—

(1) **विधवाओं और आश्रितों को पुनरावास अनुदान**
दस वर्षों के लिए 60 रुपये मासिक या कुटुम्ब के संतोषप्रद पुनरावास तक दोनों में से जो पहले घटे।

(2) **रिटायर हो चुके/सेवा से विमुक्त हो चुके सेविवर्ग के लिए पुनरावास अनुदान**
इस अनुदान की राशि प्राप्य निधि और वैज्ञानिक की योजना के सदस्य के तौर पर अवधि पर निर्भर होगी।

इसके लिए एक गवर्निंग संस्था है जो प्रार्थनापत्रों का निरीक्षण करती है और प्रत्येक मामले के गुण दोषों के अनुसार दी जाने वाली सहायता के दर का निर्णय करती है।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में प्रक्रिया

RE: CALLING ATTENTION NOTICE (PROCEDURE)

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि): इससे पहले कि आप व्यवस्था का प्रश्न लें, मैं उस सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। ध्यान दिलाने वाली सूचना पश्चिम बंगाल तथा काश्मीर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सी० पी० आई० (मार्क्सिस्ट) का हाथ होने के समाचार के बारे में है। कुछ समाचारपत्रों ने एक ऐसे दल की निन्दा की है जो कि कानून द्वारा स्थापित दल है और कई राज्यों में सत्तारूढ़ है। यदि समाचारपत्रों में जो कुछ छपा है, उसे सभा में उठाये जाने वाला विषय बनाया जाये तो कई विरोधी दलों तथा काँग्रेस दल पर भी समाचारपत्रों द्वारा इसी प्रकार दोष लगाये जा सकते हैं। इसलिये, मेरा निवेदन है कि यह निर्णय दिया जाये कि ऐसी ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं की अनुमति नहीं दी जायेगी।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like you to give a clear ruling on this issue. If you allow this Call Attention notice, you should also keep in your mind the hand of the congress in riots in Jamshedpur during Sahai ministry in Bihar or the recent riots in Ranchi. If the Calling Attention Notice can be moved regarding one party it should be permissible against all the parties.

अध्यक्ष महोदय : यह कोई नई बात नहीं है। काँग्रेस दल के विरुद्ध कई बार आरोप लगाये गये हैं। यदि नेता यह कहें कि एक दूसरे के विरुद्ध आरोप नहीं लगाये जायेंगे, तो मुझे इससे बहुत प्रसन्नता होगी। परन्तु जब तक ऐसा किया जाता है, अध्यक्ष को चिन्ताजनक

स्थिति में नहीं डाला जाना चाहिए। हमें यह निर्णय करना चाहिये कि कल से कोई भी दल सभा में किसी दूसरे दल के विरुद्ध कुछ नहीं कहेगा जब तक वह बात सिद्ध न हो जाये।

श्री श्री० आ० डांगे (बम्बई मध्य-दक्षिण): क्या हम सभा में यह परम्परा स्थापित कर रहे हैं कि कोई भी सदस्य किसी अन्य सदस्य अथवा उनके दल के विरुद्ध जो चाहे कह सकेगा और आप उसकी सभा में चर्चा करने की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री बलराज मधोक (दिल्ली दक्षिण): यह किसी एक दल द्वारा दूसरे दल पर आरोप लगाने का प्रश्न नहीं है परन्तु यदि कोई दल लोकतंत्रात्मक विरोधी कार्यवाहियां करता है तो इस संसद को उसके ऊपर चर्चा करने का पूरा अधिकार है, यदि हम चर्चा नहीं करते हैं तो हम अप ना कर्त्तव्य नहीं निभायेंगे। हमारा इस प्रश्न पर सभा में विचार करने का पूरा अधिकार है।

श्री राममूर्ति (मदुरै): श्री मधोक, यह मानकर कि इस देश में कोई राष्ट्र विरोधी दल है, अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। परन्तु क्या यह बात इस सभा में सिद्ध की गई है। यदि नहीं, तो क्या किसी सदस्य के लिये ऐसा मान लेना ठीक है कि इस देश में कोई राष्ट्र-विरोधी दल है। मुझे समझ नहीं आता कि केवल आरोपों के आधार पर ही हम इस सब पर कैसे विचार कर सकते हैं।

श्री नम्बियार: बिना साक्ष्य के इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है।

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना): अब तक दलों को मान्यता प्राप्त है और उनपर प्रतिबन्ध नहीं लगा हुआ है इस बारे में कोई चर्चा नहीं की जानी चाहिये। इस पर इस सभा में कोई चर्चा नहीं हो सकती।

श्री नाथपाई (राजापुर): जब यह विषय सभा की कार्य सूची में दर्ज है और उसे छापा गया है तो इसका अर्थ यह हैं कि आपने इस पर विचार के बाद इसकी अनुमति दी है। अब आप इस पर विचार स्थगित किए जाने की अनुमति दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सदस्य इस प्रकार आपत्ति कर सकते हैं और अध्यक्ष इस प्रकार कार्य-सूची में दर्ज विषय पर विचार स्थगित करने के लिये तैयार होंगे?

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी): इस ध्यान दिलाने वाली सूचना का प्रयोजन किसी दल को बदनाम करना नहीं है। इस प्रकार का समाचार छपा है और हम चाहते हैं कि सरकार इसे ठीक अथवा गलत बताये। यदि आप इसपर विचार स्थगित करेंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि आप अपने ही निर्णय को बदल रहे हैं।

श्री अमियानाथ बोस (आरामबाग): श्री नम्बियार ने कहा है कि इस सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत किया जाये। मैं प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ।

अध्यक्ष महोदय: आप वह प्रमाण मुझे दे दीजिये। इस विषय पर सभी दलों के नेताओं तथा सभा के नेता के बीच कोई विचार-विमर्श होना चाहिये ताकि अध्यक्ष इस आधार पर कोई निर्णय कर सकें। मैं नहीं चाहता कि इस सभा में किसी दल के विरुद्ध किसी प्रकार का मुकदमे का निर्णय किया जाये।

श्री मी० र० मसानी (राजकोट): गृह-कार्य मंत्री चाहें तो इस समाचार का खंडन कर सकते हैं अथवा इसकी पुष्टि कर सकते हैं अथवा तथ्यों के बारे में कोई और वक्तव्य दे सकते हैं। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि गृह-कार्य मंत्री को उत्तर देने दिया जाये।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): जब सभा में कोई मामला होता है तो यह सभा का अधिकार होता है कि माननीय सदस्य को उसे वापिस लेने की अनुमति दे अथवा इसपर कार्यवाही चलने दे। सभा की अनुमति के बिना आप इसे स्थगित नहीं कर सकते तथा माननीय सदस्य अथवा सभा को उसका उत्तर लेने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : It is the first occasion when such a Calling Attention Notice against a particular party has been admitted. I would like you to give an assurance that such Calling Attention Notices will be accepted against all the parties including the Congress. In that case, we have no objection .

श्री शशि रंजन (पपरी) : आपके द्वारा किसी भी विषय को स्वीकार करने या न करने के अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिये, आपसे कोई आश्वासन माँगना असंगत है और इसपर कोई विचार नहीं किया जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : My personal opinion has always been to interprest the rules liberally and this House should get an opprtunity to discuss everything. Under Rule 25 "the order of business shall not be varied on the day that business is set down for disposal unless the Speaker is satished that there is sufficient ground for such variation". A procedure should be decided in this regard and thereafter discussion must be held on it.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : ध्यान दिलाने वाली सूचनायें समाचारपत्रों के समाचारों पर आधारित होती हैं और वे अविलम्बनीय महत्व की होनी चाहिये। हमने श्री अजय मुखर्जी द्वारा प्रधान मंत्री को पत्र लिखे जाने के समाचार के बारे में ध्यान दिलाने की सूचना दी थी। यह बात समाचारपत्रों में छपी थी। परन्तु आपने उसे अस्वीकार कर दिया है। इन बातों के बारे में कोई तरीका निकाला जाना चाहिये। हमने सी० आई० ए० के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी और हम उसपर चर्चा चाहते थे। हम जानना चाहते हैं कि उसके सम्बन्ध में क्या हुआ।

श्री श्री० अ० डांगे : यदि सदस्य किसी विशेष दल के किसी विशिष्ट कार्य अथवा किसी विशिष्ट वक्तव्य के बारे में पूछना चाहते हों तो ऐसा नियमों के उल्लेख के बिना नहीं किया जा सकता। परन्तु जब किसी विशेष दल के राष्ट्र विरोधी कार्यों का प्रश्न हो तो वह ध्यान दिलाने वाली सूचना द्वारा नहीं उठाया जाना चाहिये।

श्री नाथ पाई : नियम 25 के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय किसी मद को आगे पीछे कर सकते हैं परन्तु आप इसे स्थगित नहीं कर सकते। केवल सभा की इच्छा पर ही ऐसा कर सकते हैं।

श्री हेम बरुआ : मैं इस ध्यान दिलाने वाली सूचना के स्थगन का विरोध करता हूँ। इसे अभी लिया जाना चाहिये।

संसद-कार्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): नियम 25 का प्रन्तुक बिलकुल स्पष्ट है उस प्रन्तुक के अनुसार आप कार्य सूची में परिवर्तन के लिए सक्षम हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल यही कहा है कि यदि सभा इसे स्थगित करना चाहती हैं तो ऐसा किया जा सकता है । मैं स्वयं ऐसा नहीं करना चाहता । मेरे समक्ष सी० आई० ए० आदि के अन्य मामले भी विचाराधीन हैं । यदि मैं उन्हें स्वीकार करूँ ता कठिनाई पैदा होगी और यदि न करूँ तो भी कठिनाई पैदा होगी। इसलिए, सभा को ही निर्णय करना है। यदि सभा इसे स्थगित करने के लिए तैयार न हो तो मैं श्री हेम बरुआ से निवेदन करूँगा कि वह सूचना पढ़ें और मंत्री उत्तर दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या भविष्य में भी आप ध्यान दिलाने वाली सूचना स्वीकार करने के बारे में भी सभा से परामर्श करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं माननीय गृह-मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"पश्चिम बंगाल तथा काश्मीर में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में सी० पी० आई० (मार्क्सिस्ट) का हाथ होने का समाचार"

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : सभा के सदस्यों को सी० पी० आई० (मार्क्सिस्ट) की गतिविधियों के बारे में जानकारी है। नक्सलबाड़ी आन्दोलन के पीछे सी० पी० आई० (मार्क्सिस्ट) के उग्रवादी दल का मुख्य हाथ था। इस आन्दोलन पर काबू पाने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी पुलिस कार्यवाही करनी पड़ी थी। यह दल चीनी ढंग की क्रान्ति का प्रचार कर रहा है। उनके अपने कथनों के अनुसार उनका दर्शन उनके इस विश्वास में निहित है कि "शक्ति बन्दूक से प्राप्त की जा सकती है", कहा जाता है कि उग्रवादियों ने पश्चिम बंगाल में कई सभाओं का तथा खेल तमाशों का आयोजन किया ताकि वे लोगों को एक हिंसात्मक वर्ग संघर्ष आरम्भ करने के लिये उकसा सकें।

यद्यपि जम्मू तथा काश्मीर में ये उग्रवादी अराजकता फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तथापि उनकी गतिविधियों के सम्बन्ध में हम सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ घनिष्ट सम्पर्क बनाये हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए आवश्यक पग केन्द्रीय और राज्य सरकारें उठायेंगी।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान्, मैं आपका ध्यान पश्चिमी बंगाल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा संयुक्त मोर्चा सरकार के एक मंत्री के बारे में लिखे गए पत्र की ओर दिलाना चाहता हूँ। इससे मालूम होता है कि भारत में हर प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ चल रही हैं। कलकत्ता की गलियों में 'माओ जिन्दाबाद' के नारे लगे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार इन बातों के बारे में गुप्त सूचनाओं की जाँच करेगी और उनपर कार्यवाही करेगी ? यह बात कहां तक सच है कि सरकार के पास ऐसे प्रमाण हैं जिनके कारण साम्यवादी दल (मार्किस्ट) पर प्रतिबन्ध लगाना उचित होगा और क्या यह भी सच है कि ढाका में बैंक आफ चाइना और चीनी वाणिज्य दूतावास द्वारा सभी प्रकार की सामग्री भेजी जा रही है और पश्चिमी बंगाल में कुछ राजनैतिक दलों को धन भेजा जा रहा है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम इन सभी घटनाओं पर नजर रख रहे हैं और उन मामलों के बारे में हमारी अपनी सूचनायें हैं। प्रतिबन्ध लगाने के बारे में मैंने कुछ दिन पहले उत्तर दिया था।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I would like to know whether the Central Government have collected any information of its own on the basis of the letter of Shri Ajoy Mukherjee ? If so, what are the conclusion arrived at? Whether it is also a fact, that all the extremists of Naxalbari have not been apprehended so far? They have gone underground and they have begun their activities underground after the Ghosh Government has come into power, whether it is also a fact that such activities in the areas bordering China in Ladakh and Kashmir have increased? If so, the action taken by Government so far?

Shri Vidya Charan Shukla: Stern action has been taken with regard to the extremists of Naxalbari and not of their leaders have been apprehended. A few of them have gone underground and attempts to arrest them are going on. Such activities in Jammu and Kashmir have come to our notice and we are taking steps to put a stop to scuh activities. No particular action has been taken on the letter of Shri Ajoy Mukherje. However, we are keeping this in our mind and whatever action is called for in this direction, will be taken.

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : यह समाचार मिले हैं कि नदिया जिले में पुलिस की टुकड़ियों, पुलिस चौकियों तथा पुलिस संचार व्यवस्था पर आयोजित ढंग से आक्रमण किए गए हैं। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ महत्वपूर्ण तथा सामरिक महत्व के स्थानों में बड़े पैमाने पर बिना लाइसेंसों के आधुनिक शस्त्र है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस गैर कानूनी कार्यवाही में कुछ उग्रवादियों का हाथ है। शस्त्र आदि के बारे में हमारे पास जानकारी है। हम उनका पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Hardyal Devgun (East Delhi) : I would like to know whether the Government have any information regarding preparation of bloody revolution in West Bengal.

Shri Vidya Charan Shukla: The Government are keeping a watch on the situation and whenever any action is called for, immediate action will be taken.

Shri Balraj Madhok: Such activities of the communists are not new The Marxits were responsile for all the conspiracy for the separation of Kashmir from India. I would like to know how far is it correct to allow such people to work against the security of the country in the name of democracy.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने पहले बताया है कि हमें इसके बारे में सूचना है परन्तु हम तब तक किसी दल पर प्रतिबन्ध नहीं लगायेंगे जब तक कि ऐसा करना अत्यावश्यक न हो।

श्री राममूर्ति : आप मुझे भी अपने दल का पक्ष प्रस्तुत करने के लिये अवसर दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूँगा।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे सभा को राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा ने अपनी 6 दिसम्बर, 1967 की बैठक में कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) संशोधन विधेयक, 1967 को पास कर दिया है।

कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) संशोधन विधेयक

COAL BEARING AREAS (ACQUISITION AND DEVELOPMENT) AMENDMENT BILL

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) संशोधन विधेयक 1967 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

राजभाषा (संशोधन) विधेयक के विरुद्ध दिल्ली में आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re: AGITATION IN DELHI OVER THE OFFICIAL LANGUAGES AMENDMENT) BILL.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से राजभाषा (संशोधन) विधेयक के विरुद्ध दिल्ली में आन्दोलन के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये एल० टी० 1938/67]**

अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक

ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL

प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित की अवधि का बढ़ाया जाना

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Sir, I beg to move. "That the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill further to amend the Essential Commodities (Amendment) Act, 1964, for a further period, be extended up to 18th December, 1967".

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : Sir since its appointment the Committee has not held even a single meeting. Will the committee chairman give an assurance that the Committee would be able to finish its work by the 18th December, 1967.

Shri Bibhuti Mishra : Sir, it is wrong to say that no meeting of the Committee was held. We held one meeting on the 8th. The members wanted time to study the report.

अध्यक्ष : महोदय प्रश्न यह है :

"कि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आगे संशोधन करने तथा अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 को अग्रेतर अवधि के लिए जारी रखने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिए नियत समय 18 दिसम्बर, 1967 तक बढ़ा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

पाँडीचेरी (विधेयकों का विस्तारण) विधेयक—पुरस्थापित

PONDICHERRY (EXTENSION OF LAWS) BILL—INTRODUCED

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) मैं श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि पाँडीचेरी में कतिपय केन्द्रीय अधिनियमों के पाँडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तारण सम्बन्धी विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि कतिपय केन्द्रीय अधिनियमों के पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तारण सम्बन्धी विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत आ

The motion was adopted.

श्री विद्याचरण शुक्ल: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

राज्य भाषा (संशोधन) विधेयक तथा राज भाषा सम्बन्धी संकल्प के बारे में—जारी

Official Languages (Amendment) Bill and Question re: Official languages—Contd.

अध्यक्ष महोदय: सभा अब राज्य भाषा (संशोधन) विधेयक तथा संकल्प पर अग्रेतर चर्चा करेगी। श्री प्रकाश वीर शास्त्री अपना भाषण जारी रखेंगे।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिय 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha then re-assembled after lunch at Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आज प्रातः जब अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा चल रही थी तो कहा गया था कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री श्री अजय मुखर्जी ने साम्यवाद (वायें बाजू) के बारे में कुछ कहा था। मैं गृह-कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि...

उपाध्यक्ष महोदय: आप अध्यक्ष महोदय को इसके बारे में लिखिये।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Deputy Speaker Sir, when our country was not free, Hindi was given a place of pride. But after that its importance is being relegated to a second place.

I also agree with the argument that Hindi should not be forced on non-Hindi States. But English should also not be forced on Hindi States, The Centre even today is bi-lingual and it can remain so. It should not be bilingual on paper only but in practice too.

According to the Constitution and according to Official Language Act of 1963 Hindi is the main language of this country. English was only an associate-language.

In the I.A.S. the representation of various States indicate that Madras has got more space in I.A.S. than its populaion warrants. I myself do not believe in the quota system as it will also be a wrong thing to be done.

A period of fifteen years has passed but no progress has been made in the propagation of Hindi, whenever the late Dr. Rajendra Prasad issued orders regarding propagation of Hindi the Government used to do very little only as an eye-wash.

The Central Government taught Hindi to 1,84,000 of its employees but they are past forgetting the languagge as it was not put to any use. Similarly although 8000 Hindi typewriters were manufactured but only 1100 of them are in use. This indicates the neglect of Hindi by the Central government.

Before independence the lanaguage of Court in Madhya Pradesh and Gwalior region of old Madhya Bharat was Hindi but later on it was switched over to English.

The greatest damage to Hindi has been done by a section of English newspapers and by the English news agencies especially the P.T. I. They always gave publicity to anti-Hindi propaganda.

There are 73 universities in India and 36 of them are in Hindi-speaking region. In Hindi speaking areas the medium of education upto M. A. is Hindi now. If the provisions of the measure under disversion are accepted those people who got their education through Hindi would not be able to find jobs. Hence this will cause strikes.

The Bill of 1963 indicated Government's inactivity but the official (Amendment) Bill of 1967 indicates Government's evil intention. I am using such words deliberately.

The present measure will give veto to one State which is against Hindi that this language will not be given place of pride in the country. Secondly it will take away some of the rights of Parliament. Then it will create problem of translation. It has also not prescribed time-limit for the full introduction of Hindi. But the resolution has given all importance to English.

Gandhiji as late as 1921 had stated that he would give education in the mother tongue and not in English. Even in the assurances of late Prime Minister Shri Jawaherlal Nehru he had not stated that English would be imposed on Hindi-speaking people. Also if there is a choice between what the Constitution says and what Nehruji stated we will prefer Constitution. They do not say anything what late Dr. Rajendra Prasad said about Hindi or what Gandhiji stated about Hindi because if they say so their arguments against Hindi will crumble down.

I want this measure to be withdrawn. If you cannot do so, you should not issue whip on this people to the members of your party. If you do not do so the people of India will not excuse you.

Dr. Sushila Nayar (Jhansi) : No important country is such which does not have its own national language. We too have adopted Hindi as our national language. No other language except Hindi can he the link language of India.

Raja Ram Mohan Roy and Mahatma Gandhi although were born in non-Hindi areas advocated Hindi as the national language of India. The Government's dealing with it religated Hindi to a junior position. Had Government been infirm in handling with this problem the position of Hindi would not have been as it is today.

It is a sign of slavery that Hindi is not fully developed. Chinese language was such more complicated than our language, yet they adopted Chinese as their national language. The same was the case with Japanese language.

English language has created obstacle in the way of the progress of the people. When we get education through the medium of a foreign language most of our time is wasted in learning that language and we do not get real education.

I agree with Shri Madhu Limaye that this bill needs some change. We should also remove the doubts which are in the minds of non-Hindi speaking people. We should remove their psychological fear.

I known that many people from Madras are learning Hindi and if they want some more time to learn Hindi, it can be agreed to. By and by there will be psychological atmosphere

in favour of Hindi and then there will be no opposition. The need of the hour is that this issue should not be used for gaining political advantages.

I want to say that had our script been one, our work would have been very easy. The Government should appoint a committee of Experts in order to introduce reforms in Devnagri script. They should enrich Hindi by assimilating words from other regional languages.

It is a matter of great concern that there have been disturbances in the name of language. There is an element of toleration in Indian culture. The people living in Hindi speaking areas should also adopt it. We should make efforts for development of Hindi in such a way that it gets due place as national language.

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : जितना ढोंग हमारे देश में है उतना संसार भर में और कहीं नहीं है। हमारे विचार बहुत ऊँचे हैं परन्तु हमारे काम बहुत निचले दर्जे के हैं। हमारी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। हम हिन्दी प्रेमी हैं। परन्तु हम लोगों को हिंसात्मक कार्यवाही करने के लिए उत्तेजित करते हैं। परन्तु जब हिंसात्मक कार्य होते हैं, हम कहते हैं कि हम शान्ति चाहते हैं।

अब भाषा का प्रश्न है। मुझे विश्वास है कि जितने हिन्दी प्रेमी इस सभा में हैं वे सभी अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजते हैं। हम अपने बच्चों को 'पापा' 'ममा' और 'टा,टा' आदि शब्द सिखाते है। आज हिन्दी का विरोध अहिन्दी भाषी लोगों द्वारा ही नहीं किया जा रहा बल्कि यह सब गड़बड़ी इसलिए है कि इस प्रश्न को ठीक ढंग से नहीं हल किया जा रहा। फिर सरकार भी उस भाषा के सम्बाध में कोई तत्काल कार्यवाही करने नहीं जा रही है जिसे स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की राष्ट्रभाषा समझा जाता था। यह हिन्दी प्रेमियों और सरकार का दोष है कि गत 20 वर्षों में हमने किसीविशेष साहित्य की रचना नहीं की। यदि हम चाहते तो इस दिशा में पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जा सकता था परन्तु अनिश्चित के कारण आज हम गढ़े में गिर पड़े हैं।

यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से इस विषय पर विचार करें तो पता चलता है कि सर्वप्रथम भारत में संस्कृत का प्रयोग होता था परन्तु बाद में वह केवल ब्राह्मणों की भाषा रह गई। फिर इस भाषा में परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन धार्मिक संतों ने किया। ये लोग प्रान्तीय भाषाओं में उपनिषदों एवं गीता के सर्वोत्कृष्ट विचार लाये। यह सब जनसाधारण को जागृत करने के लिए किया गया और यह कार्य अपनी मातृ भाषा के माध्यम से ही हो सकता था।

योरुप में भी पहले 'लेटिन' भाषा का प्रयोग होता था। बाद में जनसाधारण की सुविधा के लिये अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, रूसी आदि भाषाओं में लिखना आरम्भ किया गया। योरुप में विज्ञान के क्षेत्र में लेटिन भाषा के काफी शब्द लिये जाते हैं। सारा 'मटेरिया मेडिका लेटिन भाषा से लिया गया है। अब भी वे अन्य भाषाओं के शब्द लेने में कदापि संकोच नहीं करते। भाषा की शुद्धता का कोई प्रश्न नहीं है। भाषा ऐसी होनी चाहिये जिससे हम अपने पड़ोसी को स्पष्ट रूप से अपने विचार बता सकें।

जब योरुप वालों ने लेटिन भाषा को छोड़ा तो उन्होंने एक सम्पर्क भाषा बनायी थी परन्तु योरुप में उस भाषा को किसी पर लादा नहीं गया। सम्पर्क भाष लादी नहीं जा सकती। भारत में भी एक सम्पर्क भाषा है। हमारी समस्त सेना में इसका प्रयोग होता है। सेना में सभी लोग हिन्दी बोलते हैं। उनको सभी आदेश हिन्दी में दिए जाते हैं। अंग्रेज लोग भी जब भारत में आये थे तो उन्हें भी सर्वप्रथम हिन्दी सीखनी पड़ी थी।

मेरे विचार में इस विधेयक को पास करने की आवश्यकता नहीं थी। स्थिति में अपने आप सुधार होता जा रहा है। अधिक से अधिक लोग हिन्दी सीख रहे हैं और अंग्रेजी का स्तर गिरता चला जा रहा है। अंग्रेजी केवल उन्हीं लोगों में प्रचलित रहेगी जो अपने बच्चों को मिशनरी अथवा तथाकथित पब्लिक स्कूलों में भेजते हैं। इस विधेयक से हिन्दी वालों को कोई डर नहीं होना चाहिये क्योंकि इससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। भारत और योरुप में जैसे स्वाभाविक प्रक्रिया होती रही है, वह होकर रहेगी चाहे हम उसे पसन्द करें या न करें।

श्री रूपनाथ ब्रह्म (कोकराझार) : सरकार ने तथा विरोधी पक्ष ने यह स्वीकार कर लिया है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी होनी चाहिये। परन्तु हमारे सामने प्रश्न यह है कि अंग्रेजी को कितने समय तक रखा जाये। अंग्रेजी को तो रखना ही पड़ेगा। भाषा के प्रश्न पर बहुत खून खराबा हुआ है।

[श्री एस० एम० जोशी पीठासीन हुए]
[Shri S. M. Joshi in the Chair]

आसाम एक सामरिक महत्व का राज्य है जिसके चारों ओर पहाड़ियाँ हैं उनमें नागा, मिजो, गारो, मिकिर लोग हैं। चीन और पाकिस्तान के बीच एक तंग रास्ता है। आसाम के पुनर्गठन के मामले में पता नहीं, कब निर्णय होगा। आसाम एक छोटा राज्य है पर सांसरिक दृष्टि से उसका महत्व है। चीन और पाकिस्तान उसके साथ-साथ हैं। आसाम का दो-तिहाई क्षेत्र पहाड़ों में है आसाम में जन जातियों से सम्बन्धित लोगों की स्थिति बहुत खराब है। नागाओं में भी कई जन जातियाँ हैं। उनकी संस्कृति, रिवाज, रहने के ढंग अलग अलग हैं। नागा पहाड़ियों में टूटी-फूटी असमी भाषा का प्रयोग होता है। यही उनकी सम्पर्क भाषा है। वहाँ पर हिन्दी कैसे लागू की जा सकती है। यह ठीक है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा होनी चाहिये और यह भारत की राष्ट्रभाषा रहेगी परन्तु प्रश्न समय का है।

हम सब जानते हैं कि भारत के अन्दर और बाहर किस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं आन्तरिक सुरक्षा का प्रश्न हमारे सामने है। अतः हमें कोई ऐसी बात करनी या कहनी नहीं चाहिये जिससे तनाव विभाजन या गलत धारणा पैदा हो। हमें काफी सावधान रहना चाहिये। मैं हिन्दी का सम्मान करता हूँ और हिन्दी में बोलना चाहता हूँ। परन्तु अभी मैं हिन्दी में बोल नहीं सकता। मेरे विचार में हिन्दी भारत की राष्ट्र भाषा अवश्य होनी चाहिये।

कभी-कभी हम हम निर्णय करने में जल्दी करते हैं और कभी राष्ट्रीय महत्व के मामलों के बारे में निर्णय करने में हम असाधारण रूप से देर कर देते हैं। अब जैसे आसाम के पुनर्गठन का मामला है। इस काम में अब अधिक देर नहीं होनी चाहिये। क्योंकि देर खतरनाक है।

जो मिशनरियां मानवीय कार्य कर रही है उन्हें वहाँ से नहीं निकलना चाहिए। हाँ जी मिशनरियाँ अच्छा कार्य नहीं कर रही उन्हें वहां से निकाल देना चाहिए कुछ मिशनरियां ऐसी हैं जो घर-घर में जाकर वहां के लोगो की सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं और इस प्रकार नागा लोगों के मन में उन्होने अपना स्थान बना लिया है ।

Shri S. A. Dange (Bombay-Central South) : Sir, I want to speak in Hindi. I want Hindi to be the link-language of India and there cannot be any doubt about it. But now I want to put forward my arguments in English.

महोदय मेरे विचार में इस प्रश्न को ठीक रूप में लिया नहीं गया है। 15 वर्ष के बाद भी हम हिन्दी को राष्ट्र की सह-भाषा नहीं बना सके। अब सरकार का यह सुझाव रख रही है कि देश को

द्विभाषी बनाया जाये। वैसे तो हिन्दी का ही राष्ट्र की सम्पर्क भाषा होनी चहिये परन्तु हिन्दी का इस समय ढांचा, शब्दकोष तथा साहित्य ऐसा है कि आज तो यह अंग्रेजी का पूरा स्थान नहीं ले सकती। इसी कारण सरकार अंग्रेजी को एक सह-भाषा नहीं अपितु हिन्दी के बराबर की भाषा का स्थान देती रही।

यह समझते हुए भी कि हिन्दी सम्पर्क भाषा हो हमें यह स्वीकार करना पड़ा कि कुछ लोग अंग्रेजी की राष्ट्र की वर्तमान स्थिति में जारी रखना नहीं चाहते। मेरे दल का मत यह है कि दोनों प्रकार के विचारों में तालमेल होना चाहिये। उसके अनुसार हिन्दी को गैर-हिन्दी क्षेत्र के लोगों पर न लादा जाये तथा अंग्रेजी को हिन्दी-भाषी क्षेत्रों पर न लादा जाये। भाषा के बारे में हमारा रवैया आरम्भ से ही गलत रहा है। पहली गलती तो यह हुई कि संविधान की अनुसूची में 14 भाषाओं को रख दिया गया। उसके बाद उसमें सिंधी और उर्दू को और जोड़ दिया गया। यह भी समझ में नहीं आता कि संस्कृत भाषा जिसे देश के किसी भी भाग में बोला नहीं जाता उसे इस अनुसूची में क्यों रखा गया है। ऐसा दिखाई देता है कि संविधान के बनाने वालों में हिन्दू साम्प्रदाय का बहुमत था। वस्तुतः प्रारम्भ से ही हिन्दी के बारे में हमारा दृष्टिकोण बहुत गलत रहा।

दूसरी गलती यह हुई कि जो हिन्दी हम निर्माण करने लगे वह इस प्रकार की थी कि उसका प्रयोग विद्वान लोग, कारोबारी लोग अथवा जन साधारण नहीं करते थे। हिन्दी में डा० रघुवीर के हिन्दी कोष के निर्माता एक ऐसा आन्दोलन आरम्भ हुआ जो वास्तविकता से दूर था। उन्होंने वह हिन्दी बनाई जो वास्तविक हिन्दी नहीं थी। उससे लोग परेशान हो गए। यह तर्क मेरी समझ से बाहर है कि अंग्रेजी भाषा के द्वारा देश में एकता रह सकती है। यह भाषा तो दासता तथा भारतीय संस्कृति के सर्वनाश की भाषा है। यदि अंग्रेज हम पर आक्रमण न करते तो हमारा राष्ट्र आज कहीं अच्छा होता।

भाषा के प्रश्न पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करना चाहये न कि साम्प्रदायिक दृष्टि से अंग्रेजी भाषा जानने वाले तथा हिन्दी भाषा जानने वाले दोनों दृष्टिकोणों का तालमेल होना चाहिये क्योंकि अन्तोगत्वा हिन्दी ही ऐसी भाषा बनेगी जिसके द्वारा एक राज्य दूसरे राज्य से लिखा-पढ़ी करेगा। इसके अतिरिक्त और कोई बात हो नहीं सकती। अंग्रेजी को तो आपस की बातचीत से सिद्धान्त रूप में रद्द कर देना चाहिये तथा प्रयास करना चाहिये कि इसका स्थान दूसरी भाषा ले। यह आरम्भ हम विश्वविद्यालय की शिक्षा से करें। उसके बाद इसे उन न्यायालयों तथा बड़े बड़े कारखानों में लागू करें जहाँ अब तक केवल अंग्रेजी का ही प्रयोग होता रहा है।

हमारे दल का यह मत है कि भारत की सरकारी रूप से सम्पर्क भाषा हिन्दी होनी चाहिये। हिन्दी एकमत से तब ही सम्पर्क भाषा बनेगी जब सारे राज्य विधान मंडल इसके बारे में निर्णय कर लेंगे। तब तक अंग्रेजी सह-भाषा के रूप में रहेगी। प्रत्येक राज्य विधान-मंडल में अंग्रेजी के स्थान के बारे में बहुमत से निर्णय किया जाये। केन्द्रीय सरकार को हिन्दी-भाषी राज्यों में हिन्दी में पत्र-व्यवहार करना चाहिये। तथा गैर-हिन्दी भाषी राज्यों से पत्र व्यवहार करते समय अंग्रेजी अनुवाद की भी एक प्रतिलिपि साथ भेजनी चाहिये जब तक कि वह राज्य स्वयं हिन्दी में पत्र व्यवहार करने को तैयार न हो। एक गैर-हिन्दी राज्य केन्द्र से तब तक हिन्दी में अथवा अपनी भाषा में अथवा अंग्रेजी में पत्र व्यवहार करे जब तक कि वह हिन्दी में पत्र व्यवहार करने को तैयार न हो। अनुवादक देना केन्द्र का कार्य है। एक राज्य दूसरे राज्य से तब तक हिन्दीमें अथवा अपनी राज्य भाषा में अथवा अंग्रेजी में पत्र व्यवहार कर सकता है जब तक कि वे आपस में एक भाषा पर समझौता न कर लें।

संसद सदस्यों को अपनी मातृ-भाषा में संसद में बोलने की अनुमति होनी चाहिये तथा संसद कार्यालय इस सम्बन्ध में सरकारी रिकार्ड के बारे में तथा सारी बोली जाने वाली भाषाओं में अनुवाद की सुविधा दे।

केन्द्रीय सेवा आयोग की सब परीक्षायें सारे राज्यों की भाषाओं में होनी चाहिये। प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर केन्द्रीय सेवाओं में कोटा मिलना चाहिये।

शासन दल को लोकसभा में अनुवाद की व्यवस्था करनी चाहिये। उसके पश्चात् उन्हें ऐसी हिन्दी का विकास करना चाहिये जो लोकप्रिय है तथा इसमें अन्य भाषाओं के भी शब्द शामिल करने चाहिये। यदि वे यह साधारण से सुधार कर लें तो इस विधेयक को स्वीकार करने के बारे में उचित वातावरण उत्पन्न हो जायेगा।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज) : संस्कृत में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के बारे में आपत्ति उठाई गई थी। इसे वहाँ इस कारण शामिल किया गया क्योंकि यह भारत की अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। इसमें साम्प्रदाय का लाना अच्छा नहीं है। इस विधेयक में पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री के आश्वासनों को शामिल किया गया था। वह आश्वासन गैर-हिन्दी राज्य के लोगों को दिए गए थे। विधेयक के उद्देश्यों और कारण के विवरण को थोड़ा और स्पष्ट करना चाहिये। कम से कम उसमें दोनों प्रधान मंत्रियों के नाम लिखे जाने चाहिये। आश्वासन के शब्दों को भी शामिल करना चाहिये। तब इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिये।

इन आश्वासनों का आरम्भ कहाँ से हुआ? 1959 में श्री फ्रेंक एन्थनी ने इस सदन में एक संकल्प पेश किया तब ऐसा वातावरण दिखाई दिया कि इस बारे में बहुमत है।

7 अगस्त, 1959 को स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कोई भी भाषा किसी पर लादी नहीं जानी चाहिये। उन्होंने यह भी कहा था कि मैं अंग्रेजी को तब तक एक वैकल्पिक भाषा के रूप में रखूगा जब तक कि लोग उसे चाहेंगे और इस सम्बन्ध में निर्णय अहिन्दी भाषी लोग करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि मैं इसे वर्तमान सुविधाओं के कारण ही नहीं चाहता अपितु इसलिये भी चाहता हूँ कि अहिन्दी भाषी लोग यह अनुभव न करें कि उनकी प्रगति के द्वार बन्द कर दिए गए हैं और उन्हें हिन्दी में पत्र व्यवहार करने के लिये बाध्य किया जा रहा है। वे अंग्रेजी में पत्र व्यवहार कर सकते हैं।

पंडित नेहरू ने इसके अतिरिक्त यह भी कहा था कि संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज सभी भाषायें भारत की राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मानी जायेंगी। यदि इस महत्वपूर्ण तथ्य को याद किया जाये तो हमारे राजनैतिक क्षेत्र मे यह वर्तमान भ्रान्ति बहुत हदतक दूर हो जावेंगी। जो लोग हिन्दी का पक्ष लेते हैं उन्हें यह बात याद रखनी चाहिये कि हिन्दी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषाओं में से एक है न कि वह राष्ट्रीय भाषा है, प्रथम प्रधान मंत्री ने यह बात कई बार स्पष्ट की थी।

स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी यह आश्वासन दिया था कि अंग्रेजी जारी रखने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जानी चाहिये। यह दोनों प्रधान मंत्री हिन्दी भाषी राज्यों के थे। उन्होंने यह आश्वासन उस कारण दिए थे कि संविधान में हिन्दी को राज-भाषा बनाने से हिन्दी भाषी लोगों को इतना लाभ मिला था कि उन्होंने अहिन्दी भाषी लोगों को यह आश्वासन देना आवश्यक समझा।

संविधान में सम्पर्क भाषा तथा राष्ट्रीय भाषा का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में हिन्दी पर एक राजभाषा के रूप में विचार किया गया है। इसलिए हमें यह चर्चा इसी मामले तक सीमित रखनी चाहिये क्या हमें हिन्दी से इसकी वर्तमान स्थिति में भी जारी रखना चाहिये जबकि अंग्रेजी राजभाषा के रूप में रहेगी अथवा अंग्रेजी को थोड़े और समय के लिये जारी रखा जाये।

हमारे कुछ मित्रों ने बहुत से संशोधन रखे हैं। इन संशोधनों को आँकने का आधार केवल एक ही है और वह यह कि क्या वे विधेयक के उपबन्धों को दोनों प्रधान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के अनुरूप बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। अथवा नहीं। यदि वे इस कसौटी पर पूरे नहीं उतरते तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता।

हमारे संविधान में जानबूझ कर द्विभाषीय नीति स्वीकार की गई है। पहले तो इसमें द्विभाषावाद को एक निश्चित कालावधि तक ही सीमित रखा गया है और उसके पश्चात् यह अवधि एक कानून द्वारा बढ़ाई गई है। हमें यह द्विभाषीनीति जारी रखनी चाहिये। 1962 में जब इसके स्थान पर एकभाषावाद लाने का प्रयत्न किया गया तो यह झगड़ा आरम्भ हो गया था। यदि आन्दोलनकारियों की माँग पूरी की गई तो वही स्थिति पुनः उत्पन्न हो जायेगी। हमें देश की एकता को नष्ट नहीं होने देना चाहिये।

श्री अंबाजागन (तिरुचेंगोड): दक्षिण में तथा अहिन्दी भाषी राज्यों में आन्दोलन के कारण ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि इस विधेय का उद्देश्य सामान्य रूप से अहिन्दी भाषी लोगों और उन लोगों को सन्तुष्ट करना है जो हिन्दी को इस देश की एकमात्र भाषा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, तथापि कुछ प्रस्तावित संशोधनों के कारण अहिन्दी भाषी राज्यों के लोग कभी सन्तुष्ट नहीं होंगे। हमारे आन्दोलन का उद्देश्य यह विधेयक नहीं है। हम इस प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन द्वारा गारंटी चाहते हैं।

1950 में संविधान ऐसे सदस्यों द्वारा बनाया तथा स्वीकार कया गया था जिनको न तो चयन किया गया था न ही वे निर्वाचित किए गए थे। वे सभी सदस्य एक ही दल अर्थात् कांग्रेस के सदस्य थे और महात्मा गाँधी जो कुछ चाहते थे, उन सदस्यों ने वैसा ही किया। उन्होंने सोचा कि कुछ समय पश्चात् हिन्दी एकमात्र राजभाषा बन जायेगी और इसपर उन्होंने संविधान में यह प्रस्ताव एक अनुच्छेद के रूप में रखी थी। परन्तु जब बीस वर्षों के पश्चात् एक नई पीढ़ी आई है जिसका दृष्टिकोण और है। आज जनता हिन्दी को इस देश की एकमात्र राजभाषा स्वीकार नहीं करना चाहती। हम चाहते हैं कि इस देश में हिन्दी का जो भी स्थान हो, वही स्थान हमारी भाषा तमिल को भी दिया जाये। इसी प्रकार बंगला, मराठी और सभी प्रादेशिक भाषाओं को समान अवसर तथा समानता का दर्जा मिलना चाहिये संविधान में तमिल को आठवीं अनुसूची में शामिल करके एक प्रादेशिक भाषा का स्थान दिया गया है परन्तु हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिया गया है। हिन्दी लादने के लिये लगभग 15 वर्ष की मोहलत आवश्यक थी। इससे पहले ऐसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि हिन्दी पूरी परह विकसित नहीं थी। हिन्दी के विकास के लिये प्रतीक्षा करनी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोई तरीका नहीं है। यदि हिन्दी तुरन्त लादने का प्रयत्न किया गया तो सरकार जिस प्रकार इस समय चल रही है, उस प्रकार नहीं चल सकेगी। सरकार चलाने के लिये अंग्रेजी का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ऐसा करना अहिन्दी भाषी लोगों के साथ कोई रियायत नहीं है।

उत्तर प्रदेश में भी सभी लोग ऐसे नहीं हैं जो केवल हिन्दी ही जानते हैं। वहाँ पर भी ऐसे लोग हैं, जो अंग्रेजी के माध्यम से उनकी सहायता करते हैं। राजस्थान, बिहार, आदि में भी ऐसा ही है। मैं व्यक्तिगत रूप से हिन्दी के विरुद्ध नहीं हूँ। परन्तु हिन्दी को जनसाधारण की भाषा रहने का कोई लाभ नहीं। हिन्दी उत्तरी भारत की सामान्य भाषा तो हो सकती है परन्तु दक्षिण की नहीं हो सकती। हिन्दी केवल एक प्रादेशिक भाषा है। आप यह मान सकते हैं कि यह सबसे अधिक क्षेत्र में बोली जाती है।

इस समय सभी अहिन्दी भाषी लोग तथा उनके नेता अंग्रेजी को जारी रखने के पक्ष में हैं। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री ने अंग्रेजी जारी रखने के लिये आश्वासन दिए थे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

जिस प्रकार देश के सभी लोगों को नागरिकता के समान अधिकार होने चाहिये उसी प्रकार आपको इस देश की सभी भाषाओं को एक मानना चाहिये। श्री जवाहरलाल नेहरू तथा श्री शास्त्री के आश्वासनों के अनुसार यदि आप किसी भी हालत में देश की एकता को बनाये रखना चाहते हैं तो आपको अहिन्दी भाषी लोगों की व्यावहारिक माँगें स्वीकार करनी पड़ेंगी। यदि उनके आश्वासनों का पालन करना है तो सरकार को राजभाषा के सम्बन्ध में संवैधानिक उपबन्ध का संशोधन प्रस्तुत करना चाहिये। यदि यह सम्भव नहीं है तो कम से कम यह विधेयक बिना किसी परिवर्तन के पारित किया जाना चाहिये। अंग्रेजी को भले ही आठवीं अनुसूची में न भी सम्मिलित किया जाये तो भी अंग्रेजी तो रहेगी। जब तक हिन्दी के साथ-साथ तामिल को भी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार नहीं कर लिया जाता तब तक अंग्रेजी जारी रखी जानी चाहिये और वर्तमान स्थिति बनी रहनी चाहिये। इस देश में अंग्रेजी के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग से देश को हानि होगी।

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर) : भाषा के प्रश्न पर भावनाओं और कभी-कभी स्वार्थ का प्रभाव रहता है। यह बात बहुत से माननीय सदस्यों ने स्वीकार की है। मेरे विचार में इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। हिन्दी क्षेत्रों के लोग कहते हैं हिन्दी राष्ट्रीय भाषा है परन्तु इस दावे को एकदम स्वीकार नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक सूत्र के अनुसार भाषा स्थान और समय के अनुसार बदलती रहती है। सर्वप्रथम संस्कृत सम्पर्क भाषा रही। फिर फारसी भाषा बनी फिर भारत की राजभाषा अंग्रेजी बन गई। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् लोगों में जागृति आई। अब हमें एक अपनी भाषा का निर्माण करना है। इसलिये यदि कोई कहे कि तामिल राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिये या हिन्दी को समस्त देश पर थोपा जाये तो यह बात अनुचित होगी। इसी बात का ध्यान रखते हुए संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया था कि एक ऐसी हिन्दी का विकास किया जाना चाहिये जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द, विचार और कल्पनाओं के साथ मेल हो। अन्ततोगत्वा भारत में एक भाषा होगी जिसे हिन्दी कहा जायेगा और जो राष्ट्रीय भाषा बनेगी।

अब यदि भारत की स्थिति पर विचार किया जाये तो पता चलता है कि मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश और हरियाने के छोटे से क्षेत्र को छोड़कर समस्त भारत अहिन्दी भाषी क्षेत्र है। यदि उर्दू बोलने वालों को हिन्दी बोलने वालों की जनसंख्या में सम्मिलित न किया जाये तो

पता चलेगा कि जिन लोगों की मातृभाषा हिन्दी है उनकी संख्या घट कर 20 करोड़ के लगभग रह जायेगी। इसका क्षेत्र भी 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। हिन्दी भाषियों को इस बात से काफी संतुष्ट होना चाहिये कि देश की बहुसंख्या हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में स्वीकार करती है और यहाँ तक कि हममें से बहुत से लोग यह कते हैं कि हिन्दी को अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाना चाहिये और अहिन्दी भाषी लोगों के साथ सब प्रकार से सहयोग करना चाहिये। इलाहाबाद, लखनऊ आदि स्थानों में आन्दोलन संकीर्णता के परिचायक हैं। मद्रास और मैसूर में कोई आन्दोलन नहीं।

आज कुछ लोग अंग्रेजी की निन्दा करते हैं और उसे दासता की भाषा कहते हैं। परन्तु पिछले 85 वर्षों से सभापति के सभी भाषण अंग्रेजी में ही दिए जाते रहे हैं। हमने स्वतंत्रता संग्राम के लिये अंग्रेजी में लिखी बहुत सी पुस्तकों से प्रेरणा ग्रहण की थी।

जब हम राज्यों में रहते हैं तो उस राज्य की भाषा का प्रयोग करते हैं; इसी प्रकार अखिल भारतीय उद्देश्यों के लिए हमें हिन्दी का प्रयोग करना चाहिये और जब हम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जायें तो हमें अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहिये। परिस्थितियों के अनुसार ही भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में किसी को उत्तेजित नहीं होना चाहिये।

कुछ लोगों ने सेवाओं में कोटा प्रणाली लागू करने के बारे में कहा है जिससे हिन्दी भाषी लोगों को भी वही लाभ प्राप्त हो सके जो अहिन्दी भाषी लोगों को प्राप्त है। यह अच्छी बात है परन्तु यही सिद्धान्त राजनीतिक क्षेत्र में भी लागू होना चाहिय। संविधान द्वारा सबसे ऊँचा और शक्तिशाली पद प्रधान मंत्री का बनाया है और यह पद प्रत्येक राज्य को बारी बारी दिया जाना चाहिये (**व्यवधान**) इस संसद ने अब तक केवल हिन्दी-भाषी क्षेत्रों से प्रधान मंत्री चुने हैं। इस बात को इलाहाबाद के लोगों ने कभी महसूस ही नहीं किया जो अब हिंसात्मक प्रदर्शन हो रहे, हैं। मेरी यह भविष्यवाणी है कि यदि प्रधानमंत्री का पद अहिन्दी-भाषी व्यक्ति को दिया जाये तो हिन्दी राष्ट्रीय भाषा बन जायेगी। उसे इस प्रयोजन के लिये समर्थन प्राप्त होगा।

हमने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा ग्रहण की है इसलिये यह भाषा हमें प्यारी है। यदि मद्रास त्रिवेन्द्रम और बंगलौर में एक-एक हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया जाता जिसमें हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दी जाती तो 20 वर्षों में हजारों की संख्या में विद्यार्थी होते जो हिन्दी का समर्थन करते जो आज अंग्रेजी का समर्थन कर रहे हैं। परन्तु सभी विश्वविद्यालय केवल उत्तर भारत में स्थापित किए गए हैं।

आज भारत की स्थिति यह है कि मैं आज पंजाब विधान सभा की कार्यवही को समझ नहीं सकता और यदि कोई पंजाबी मद्रास में जाता है तो वह वहाँ की विधान सभा की कार्यवाही नहीं समझ सकता। हम अपने ही देश में अजनबी बन गए हैं। यह बहुत ही खतरनाक बात है।

इसलिये मैं यह चाहता हूँ कि अन्ततोगत्वा हिन्दी ही एक ऐसी भाषा बने जो विभिन्न राज्यों और राज्यों की बिधान सभाओं में बोली जाये परन्तु हमें उस समय की प्रतीक्षा करनी होगी। उस समय तक हमें दोनों भाषाएं चलानी चाहिये। यही इस विधेयक का सार है।

यह कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। अंग्रेजी को जारी रखने के लिए यह अस्थायी व्यवस्था है। यदि हिन्दी भाषी लोग दक्षिण की कोई भाषा सीखें तभी उनको पता चल सकता है कि एक नयी भाषा सीखने में कितनी कठिनाई होती है।

जब से मैंने रामायण का अनुवाद पढ़ा है मैं हिन्दी का पक्षपाती बन गया हूँ।

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : इस विधेयक पर चर्चा करने का हमारा यह प्रयोजन नहीं कि हमें कौनसी भाषा बोलनी चाहिये। निश्चय ही हमें सबसे पहले इस देश की एकता के बारे में चिन्ता होनी चाहिये। राष्ट्र में जागृति पैदा करनी चाहिये। हमें देश के विकास एवं जनता की खुशहाली के बारे में विचार करना चाहिये न कि भाषा के बारे में। भाषा विचार विनिमय का साधन है। परन्तु भाषा के नाम पर आज क्या-क्या हो रहा है। भाषा का मामला एक गम्भीर समस्या बन गई है। हमने बनारस, लखनऊ, और शायद दिल्ली में विद्यार्थियों के बड़े खेदजनक दृश्य देखे हैं। जो लोग इन कार्यों के लिये विद्यार्थियों को उत्तेजित करते हैं उनकी कड़ी निन्दा की जानी चाहिये। इस प्रकार के कार्य अनजान बच्चे अपने आप नहीं कर सकते। सर्वप्रथम देश की एकता का ध्यान रखना चाहिये। देश की एकता की खातिर यदि संविधान में भी परिवर्तन करना आवश्यक हो तो भी सबको इस परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिये। इस प्रयोजन के लिए यदि सरकार को अपदस्थ भी करना पड़े तो करना चाहिये।

इस देश में अंग्रेजी को 1835 में शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। अंग्रेजी हम पर लादी नहीं गई थी। बल्कि हमने स्वयं अंग्रेजी में शिक्षा की मांग की थी जिससे हम संसद और मूलभूत अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। अब हम अंग्रेजी को हटाना चाहते हैं। अंग्रेजी का प्रयोग सारे संसार में होता है। जो लोग अंग्रेजी को विदेशी भाषा कहते हैं उनके मनमें हीनता की भावना है। प्रत्येक हवाई अड्डे पर अंग्रेजी बोलनी पड़ती है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

संसार में हमारे राष्ट्र का विशेष स्थान है। अन्तर्राष्ट्रीय सभाओं में हमारे परामर्श और बुद्धिमता की मान्यता तथा राष्ट्रमण्डल में हमारा महत्त्वपूर्ण स्थान अंग्रेजी के ही कारण है। अंग्रेजी को हटाना अस्वाभाविक एवं राष्ट्रविरोधी कार्य होगा।

अब जो लोग यह गड़बड़ करते हैं उनका विश्लेषण करता हूं। इन लोगों में सर्वप्रथम वे लोग हैं जो विनाश के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं। वे कहते हैं कि अंग्रेजी को हटा देना चाहिये चाहे उसके स्थान पर और कोई भी भाषा हो। दूसरे लोग वे हैं जो इस प्रयोजन के लिए पब्लिक स्कूलों को अपना निशाना बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति शिक्षा की परवाह नहीं करते। तीसरे लोग वे हैं जिन्हें हम सामान्य भाषा में हिन्दी वाले कहते है। हिन्दी वालों का सबसे पहला दावा यह है कि सबसे अधिक लोग हिन्दी बोलते हैं। यदि 1961 की जनगणना पर ध्यान दिये जाये तो पता चलता है कि 27 प्रतिशत लोग हिन्दी बोलते हैं। इन आंकड़ों में कई प्रकार से वृद्धि करके इसे 43 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। इन आंकड़ो में वे सभी लोग सम्मिलित हैं जो उर्दू बोलने वाले हिन्दू हैं और जो पंजाबी, राजस्थानी, सिन्धी, बिहारी, भोजपुरी आदि सभी लोग इस वर्ग में जोड़ दिए गए हैं। जो लोग हिन्दी पढ़ सकते हैं उनकी संख्या 35 लाख है। इस देश की कुल जन-संख्या 0.7 प्रतिशत है जो हिन्दी पढ़ सकते हैं। मलयालम बोलने वालों में से 8.9 प्रतिशत लोग, गुजराती बोलने वालों में 6.3 प्रतिशत, बंगाली बोलने वालों में 3.3 प्रतिशत और हिन्दी भाषी लोगों में 2.6 प्रतिशत हिन्दी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार यदि वे हिन्दी थोपना चाहते हैं तो यह कार्य केवल गृह-युद्ध द्वारा ही किया जा सकता है। रूस ने ऐसा ही किया था। यदि एक ही भाषा को राजभाषा बनाना है तो लगभग 3 करोड़ लोगों का अस्तित्व समाप्त करना होगा।

***चीनी सम्बन्धित नीति

SUGAR POLICY

Shri S. S. Kothari (Mandsaur) : The market rate of sugar was Rs. 1 and Annas 2 per kilo in 1962-63. which has now risen to Rs. 1.75 paise per Kilo at controlled rates. In open market the rate of sugar is as high as Rs. 5 to Rs. 8 per Kilo whereas international price of sugar has come down to 36 Paise per kilogram.

In 1965-66 the production of sugar was 35 lakh ton but the some was reduced to 22 lakh tons in 1966-67. The demand of sugar is about 30 lakh tons. The stock of sugar is almost nil. As a result thereof the state of affairs is very bad.

अब चीनी पर से आंशिक रूप से नियंत्रण हटा लिया गया है। सरकार ने चीनी का 60 प्रतिशत स्टाक वसूल करने और 40 प्रतिशत बाजार में बेचने का निर्णय किया है। अब सरकार ने कहा है कि वे 1967-68 में 60 प्रतिशत या उससे अधिक वसूली भी कर सकते हैं जिससे यह मात्रा 13 लाख टन तक पहुँच जाये। इस कारण जो कम उत्पादन वाले चीनी के कारखाने हैं उनके मन में यह आशंका है कि यदि वे पिछले वर्ष के बराबर उत्पादन नहीं कर सके तो उन्हें बहुत हानि होगी क्योंकि उन्हें गन्ना खरीदने के लिए ऊँचे दाम देने पड़ेंगे। इसका समाधान सरकार को करना चाहिये। सरकार को यह आश्वासन देना चाहिये कि यदि 13 लाख टन से कम वसूली हुई तो कम उत्पादन वाली मिलों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राशन का कोटा एक किलो से घटा कर 800 ग्राम कर दिया गया है। मेरे विचार में सरकार को खण्डसारी के उत्पादन की 40 प्रतिशत मात्र वसूल करके नियंत्रित दर पर वितरित करनी चाहिये। इससे एक तो चीनी का दाम कम हो जायेगा दूसरे खण्डसारी उत्पादक गन्ने का अधिक ऊँचा मूल्य नहीं दे सकेंगे।

दक्षिण के राज्यों में गुड़ के निर्यात पर प्रतिबन्ध है ताकि गुड़ के मूल्य में कुछ कमी हो। उत्तर प्रदेश को भी गुड़ के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। एक जिले से दूसरे जिले में गुड़ ले जाने पर भी प्रतिबन्ध लगाना चाहिये ताकि गुड़ के मूल्य में कमी हो। इससे चीनी की मिलों को अधिक गन्ना मिलेगा। यदि सरकार इस सुझाव से सहमत न हुई तो गुड़ के मूल्यों में कमी नहीं होगी और कारखानों को अधिक गन्ना उपलब्ध नहीं होगा। सरकार द्वारा प्राप्त उत्पादन शुल्क में भी कमी होगी।

उप-कर का प्रयोग गन्ने के क्षेत्र के विकास के लिए किया जाना चाहिये। सरकार को सिंचाई की अधिक सुविधाएं देनी चाहिये। (व्यवधान) इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि मिलों द्वारा सप्लाई की गई चीनी के वितरण में बाधा नहीं होनी चाहिये। यदि बाँटने वाले असामाजिक ढंग अपनाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करना चाहिये। गुण्डू राव समिति के प्रतिवेदन के अनुसार आधुनिकीकरण की कार्यवाही करनी चाहिये। प्रति एकड़ भूमि में उत्पादन में वृद्धि करने और इस विषय में अनुसंधान करने के सम्बन्ध में प्रयत्न करने चाहिये।

***आधे घन्टे की चर्चा।

***Half-an-hour Discussion.

मिलों, खण्डसारी और गुड़ उत्पादकों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध करना चाहिये। तभी सब के हितों की रक्षा की जा सकती है। मिलें बन्द होने से श्रमिकों को हानि पहुँचती हैं। उपरोक्त उपायों से स्थिति में सुधार होगा और सब को लाभ पहुँचेगा।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Only industrialists have been benefited by partial decontrol. Some State governments have banned the production of Khandsari. This is not proper. I want to ask the hon'ble Minister as to who has been benefitted by partical decontrol. What steps have been taken to watch the interests of the farmers? How many mills have been closed and the number of labourers who have become unemployed as a result thereof?

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में कोरम नहीं है। अतः कल 11 बजे तक सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोकसभा मंगलवार 12 दिसम्बर, 1967/21 अग्रहायण, 1889 (शक) 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 12, 1967 Agrahayana 21, 1889 (Saka).

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Allahabad.

P.L.S. 48. X. 20. 67.(N)
600

© 1967 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
जॉब प्रिन्टर्स, इलाहाबाद द्वारा मुद्रित ।

© 1967 By Lok Sabha Secretariat

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and
Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and printed
by the Manager, Job Printers, Allahabad.